खण्ड–32, अंक–4
सोमवार, 08 कार्तिक, शक संवत् 1933
(31 अक्टूबर, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 32 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग..	1–2
प्रश्नोत्तर	3–161
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)..	162–163
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)..	164
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड का विधान सभा को संदेश..	165
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–152(2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक..	165
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010, 23 सितम्बर, 2010 को पारित विधेयक की वापसी का प्रस्ताव (पारित)..	165
उत्तराखण्ड विनियोग (2011–12 का प्रथम अनुपूरक विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	166
उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)..	166
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)..	166
ग्राम सभा नकरौंदा वार्ड संख्या–11, जनपद देहरादून में 250 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)...	167
जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थायी खण्ड लोक निर्माण घनशाली के कोट घण्डियाल सौड़ सितकुण्डा मार्ग के सुधारीकरण एवं बरसाती नाले के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	167
उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	167–168

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत).. 169–170

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.. 170–171

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) 172

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए(क्रमागत).. 173–232

संविधान 74वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों में निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत).. 233–239

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों का उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत).............................. 239

राज्य में आम आदमी को महगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत).. 240–241

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनायें 241

नत्थियां.. 242–278

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड्क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगाराम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवाकर भट्ट
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. काजी मौ० निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल
37. श्री बलबीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री शेर सिंह गड़िया
42. मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूडी
43. श्री मदन कौशिक
44. श्री मनोज तिवारी
45. श्री मयूख सिंह
46. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"
47. श्री मातबर सिंह कण्डारी
48. श्री कुलदीप कुमार
49. श्री यशपाल बेनाम
50. डा० यशवीर सिंह
51. श्री रणजीत रावत
52. श्री राजकुमार
53. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
56. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57. श्रीमती वीना महराना
58. श्री शहजाद
59. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61. श्री सुरेन्द्र राकेश
62. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63. डा० हरक सिंह रावत
64. श्री हरिदास
65. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात करते रहे।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल के बाद इन पर विचार कर लेंगे। कृपया, आसन ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय, जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण न कर ले। अगर कोई सूचना होगी तो प्रश्नकाल के बाद उस पर विचार कर लेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य।)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार द्वारा जिस तरह उत्तराखण्ड में भाईचारा समाप्त करने की साजिश रची गयी है और रुद्रपुर में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको जो भी बात कहनी है, प्रश्नकाल के बाद कहें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी "क" तारांकित प्रश्न संख्या : 01 पुकारे जाने पर।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सौ वर्षों से भाईचारा था, उसको बनाये रखने के लिए यह सरकार फेल हुई है, जिस तरह से यह दंगा हुआ है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव हमारे माननीय विधायकों के 'काम रोको' के माध्यम से सदन में दिये गये हैं। उन पर चर्चा स्वीकार करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल के बाद अगर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सूचनायें होंगी तो उन सूचनाओं को स्वीकार कर लिया जायेगा। कृपया, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य।)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' से अपने स्थान पर वापस चले गये। बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य नारायण पाल एवं हाजी तस्लीम अहमद 'वेल' पर खड़े अपनी–अपनी बात कहते रहे।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। अगर सुसंगत नियमो के अन्तर्गत कोई सूचना होगी तो उस पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। कृपया, स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता, बी0एस0पी0, माननीय सदस्य से बैठने के लिए कहें। आपको अच्छा लग रहा है, सदन को बाधित करना ? आप लोगो ने ही खुद निर्णय लिया है कि प्रश्नकाल बाधित नही होगा। आप लोग प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नारायण पाल जी, मुझे कुछ ऐसा बाध्य न करें, जिसके लिए कुछ करना पड़े। मेरा अनुरोध है, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं हाजी तस्लीम अहमद 'वेल' से अपने स्थान पर वापस चले गये।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

विधान सभा भवन स्थल हेतु चयन की कार्यवाही एवं परिणाम

***1 श्रीमती अमृता रावत–**

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के लिए पूछे गये उत्तारित अल्पसूचित प्रश्न के क्रम मे क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा भवन हेतु स्थान चयन की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या सरकार विधान सभा का एक सत्र जनपद चमोली के स्थान गैरसैंण मे आयोजित करने हेतु प्रस्तावित विधान सभा भवन का निर्माण गैरसैंण में करवाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री {मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी}–

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2011 के उपवेशन में "विधान सभा भवन स्थल चयन" कराये जाने हेतु विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति के द्वारा अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि इस समिति के द्वारा अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि यह जो समिति है, यह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी, इसकी कोई समय सीमा तो होगी, क्योंकि 7 माह पहले से ही बीत चुके हैं और 7 माह में भी अगर कोई समिति उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो यह बड़े खेद की बात है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह समिति विधान सभा द्वारा बनायी गयी है, यह पूछने का कोई औचित्य नहीं होगा कि कब तक समिति अपना प्रतिवेदन दे देगी।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विधान सभा द्वारा कोई समिति बनी है तो उसको और अधिक कार्य करना चाहिए और हम सबको पता है कि कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है और जब केन्द्र सरकार ने ₹ 88 करोड़ लगभग 1 साल पहले मंजूर कर दिया था और पैसा होने के बावजूद भी अगर आप लोग अभी तक भूमि का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो कब करेंगे, यही तो मैं जानना चाहती हूं कि 7 महीने होने के बावजूद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कितने वर्ष लगेंगे इसमें ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि सरकार विधान सभा की समिति को निर्देशित करने की अधिकारी नहीं है, यह तो माननीय विधान सभा ने तय करना है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो धन विधान भवन के लिए आवंटित किया गया है, उसको खर्च करने की कोई समय अवधि है या नहीं है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि हमें स्वीकृत हुई है उसको 5 वर्ष के अन्दर खर्च करना होता है और अभी इसी वर्ष से इसकी संस्तुतियाँ जारी हो रही हैं और ज्यों ही माननीय विधान सभा की समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, उसके पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब समय अवधि निश्चित है, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या उस समय अवधि में समिति की रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रीतम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और अभी उनको उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिल चुका है और अविभाजित उत्तर प्रदेश के सदस्य भी रहे हैं तो जो माननीय विधान सभा की समिति है, उसको सरकार निर्देशित नहीं कर सकती है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर समिति किसी स्थल का चयन कर भी लेती है तो क्या बिना स्थायी और अस्थायी, चूँकि अस्थायी राजधानी अभी देहरादून है तो इसका निर्णय लिए बिना उस पैसे को खर्च कर दिया जायेगा ? जब तक स्थायी राजधानी का फैसला सरकार नहीं कर देती तो कैसे आप बना देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, यह प्रश्न नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, क्यों नही है, बिना स्थायी राजधानी के कैसे सरकार बना देगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना राजधानी के चयन के धन खर्च कर देंगे तो क्या यह पैसे की बरबादी नही है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि विधान सभा भवन स्थायी बने और इसके लिए एक समिति का निर्माण सम्मानित सदन ने किया है और जब सम्मानित सदन के द्वारा गठित समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी तो सम्यक् विचारोपरांत सरकार निर्णय लेगी और जो 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर धनराशि हमें मिली है तो उस धनराशि से विधान भवन का निर्माण किया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थाई और अस्थाई राजधानी का प्रश्न पूछा है तो क्या स्थाई और अस्थाई राजधानी के लिए सरकार निर्णय ले लेगी ? सरकार पहले निर्णय स्थाई राजधानी का लेगी या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूँ। मान्यवर, यह प्रदेश का सवाल है, सरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार धन का दुरूपयोग कर रही है, सरकार गम्भीर नहीं है, इसलिए मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने सदन का बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

*2. श्री जोत सिंह गुनसोला–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

वित्तीय वर्ष 2009 10 में अन्य राजकोषीय सेवाओं से प्राप्त आय

*3 श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 2009–10 के वित्तीय वर्ष मे अन्य राजकोषीय सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय की स्थिति विगत वर्ष की तुलना मे क्या थी ?

यदि विगत वर्ष की तुलना में आय कम हुई हो तो उसको सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री {मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी}–

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के वित्त लेखे के अनुसार अन्य राजकोषीय सेवाओं से ₹ 1.47 लाख की आय प्राप्त हुई, जो विगत वर्ष 2008–2009 मे ₹ 0.08 लाख की आय से ₹ 1.39 लाख अधिक है।

विगत वर्ष की तुलना मे आय कम नहीं हुई है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब मे कहा है कि वर्ष 2008–2009 में मात्र 8 हजार रुपये की ही आय अधिक हुई है, राजकोषीय सेवाओं मे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार किन–किन सेवाओ को चिन्हित करेगी और सरकार क्या–क्या आय के सुधार के लिए कदम उठायेगी, क्या सरकार इसको बताने का कष्ट करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा है, जो राजकोषीय सेवाओ से रिलेटेड है, तो इस हेड के अन्तर्गत जो हेड है 0047 राजकोषीय

सेवायें, जो भाग–2 वित्त लेखे के तहत सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, इसके अन्तर्गत जो 800 का हेड है, इसमें यह हेड इसलिए रखा गया था, ताकि जो मिसलेनियस धनराशि है या कहीं ब्याज की धनराशि है या कोई अन्य इस तरह की धनराशि, जो किसी लेखे में सम्मिलित नहीं होती है, उसको यहाँ पर इसके अन्तर्गत जमा करने का प्राविधान है, इसलिए इसमें ऐसा कोई विषय नहीं बनता है, जिसमें आय बढ़ाने का विषय हो या इसमें कोई और सुधारात्मक उपाय करने का विषय हो, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में अगर हम तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आय कम नहीं हुई है।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन द्वारा बिजली परियोजनाओं हेतु लिये गये ऋणों का ब्यौरा

*4. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की बिजली परियोजनाओं, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन के ग्रामीण ऋण, पॉवर ट्रांसमिशन को नाबार्ड से ऋण, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन को ऋण तथा पारेषण योजनाओं हेतु बाह्य सहायता के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के गठन से वर्ष 2009–10 तक लिये गये सभी ऋणों का ब्यौरा क्या है ? तथा

उक्त ऋणों की अदायगी की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री {मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी}–

बाह्य सहायता के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के गठन से वर्ष 2009–10 तक लिये गये सभी ऋणों का ब्यौरा निम्नवत् है :–

यूजेवीएन लि0–

- पी0एफ0सी0 से मनेरी भाली द्वितीय चरण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 288.59 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।
- राज्य सरकार से मनेरी भाली द्वितीय चरण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 90.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।
- नाबार्ड से वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु ₹ 17.29 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।
- ए0डी0बी0 से वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु ₹ 28.05 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0–

- आर0ई0सी0 से आर0जी0जी0वी0वाई0 मद में ₹ 5114.98 लाख का ऋण प्राप्त किया गया।
- ए0आर0ई0पी0 मद में ₹ 1.62 लाख का ऋण प्राप्त किया गया।

पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 को पारेषण परियोजनाओं हेतु–

- नाबार्ड से ₹ 244.96 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।
- शासन की अंशपूंजी ₹ 36.58 करोड़ के सापेक्ष ए0डी0बी0 से ऋण मद में कुल खर्च का 70: (₹ 24.82 करोड़) प्राप्त हुआ।

उक्त ऋणों की अदायगी की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

- पी0एफ0सी0 को ₹ 382.61 करोड़ की अदायगी की गई।
- राज्य सरकार को ₹ 27.00 करोड़ की अदायगी की गई।
- नाबार्ड से लिये गये ऋण की अदायगी दिनांक 01.04.2012 से प्रारम्भ होगी।
- ए0डी0बी0 से लिये गये ऋण की अदायगी दिनांक 15.07.2012 से प्रारम्भ होगी।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0–

- आई0ई0सी0 से आर0जी0जी0वी0वाई0 मद में लिये गये ऋण के सापेक्ष ₹ 1091.00 लाख की अदायगी की गई।

पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0–

- नाबार्ड से प्राप्त ऋण के सापेक्ष ₹ 108.71 करोड़ की अदायगी की गई।
- ए0डी0बी0 से प्राप्त ऋण की अदायगी जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह कहा कि ऋण प्राप्त हुए और ऋण की फिर अदायगी भी शुरू हुई। मैं सरकार से पहला प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड ने पी0एफ0सी0 को ₹ 382.61 करोड़ की अदायगी की गई तो इस योजना पर कुल लिया ऋण क्या था और इस ऋण के सापेक्ष किन–किन किश्तों के आधार पर ये ऋण अदायगी की गयी ? मान्यवर, इसी के सापेक्ष मेरा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार को ₹ 27 करोड़ की अदायगी की गयी तो यह किस मद में और कितना उस परियोजना पर ऋण लिया गया था ? जिस पर 27 करोड़ रुपये की एक ऋण की किश्त बनती है। मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न है, नाबार्ड से लिये गये ऋण की अदायगी, जो प्रारम्भ बाद में होनी है और फिर उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें आर0ई0सी0 से आर0जी0जी0वाई0ई0 मद मे लिये गये ऋण के सापेक्ष 1091 लाख की अदायगी की गयी, परियोजना को कुल कितना ऋण स्वीकृत हुआ था और किन–किन मदों में ऋण की अदायगी की गयी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने यू०जी०वी०एन० लिमिटेड के 382.61 करोड़ की अदायगी का प्रश्न पूछा है। मान्यवर, यू०जी०वी०एन० लिमिटेड ने जो पी०एफ०सी० का 382.61 करोड़ की अदायगी का प्रश्न है। इसके अन्तर्गत जो हमारा कुल लोन था, उस लोन के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में 146.81 करोड़, वर्ष 2003–04 में 227.82 करोड़, वर्ष 2004–05 मे 210.39 करोड़, वर्ष 2005–06 में 188.89 करोड़, वर्ष 2006–07 में 232.15 करोड़, वर्ष 2007–08 में 193.94 करोड़, वर्ष 2009–10 मे 94.66 करोड़। मान्यवर, इस तरह से कुल 1294.66 करोड़ रु० का ऋण हमने विथड्रॉ किया है और इसका जो रिपेमेंट हमने किया है, इसमें जो प्रिंसिपल लॉन का जो रिपेमेंट हमने किया है, वह हमने वर्ष 2008–09 से शुरू किया था और वर्ष 2008–09 में ₹ 60 करोड़, वर्ष 2009–10 मे 127.17 करोड़, वर्ष 2010–11 में 130.29 करोड़, वर्ष 2011–12 मे 97.72 करोड़ और मान्यवर, इसका जो हमने इंट्रेस्ट पे करना आरम्भ किया था। मान्यवर, इंट्रेस्ट के जो इन्स्टालमेंट हमने वर्ष 2002–2003 से ही प्रारम्भ कर दिया था। मान्यवर, इसके अन्तर्गत वर्ष 2002–2003 में 3.28 करोड़, वर्ष 2003–04 में 18.14 करोड़, वर्ष 2004–05 में 24.19 करोड़, वर्ष 2005–06 में 45. 10 करोड़, वर्ष 2006–2007 में 61.21 करोड़, वर्ष 2007–2008 मे 111.21 करोड़, वर्ष 2008–2009 मे 135.31 करोड़, वर्ष 2009–2010 मे 191.95 करोड़, वर्ष 2010–11 में 116.41, वर्ष 2011–12 में 79.23 का पेमेंट किया। इस तरह से कुल मिलाकर हमने 786.03 करोड़ का पेमेंट पी०एफ०सी० को कर दिया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जिस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप अदायगी कर रहे हैं, उसके लिए कुल कितना लोन लिया गया था ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह मैंने बता दिया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, अभी नहीं बताया है। मान्यवर, यह तो आपने ऋण की अदायगी मूल धन और इंट्रेस्ट की बतायी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना लोन था, जिसके अंगेस्ट यह रिपेमेंट हो रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप टोटल फीगर पूछना चाहते है तो वह मैंने पहली फीगर बतायी थी, वह मैंने लोन ड्रॉ की ही बतायी थी। मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि जो टोटल यू०जे०वी०एन०एल० ने लिया है, वह बता देता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कुल ऋण कितना है ? जिसके सापेक्ष आप यह धनराशि वापस कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 1294.66 करोड़ रुपये पी0एफ0सी0 से लिए हैं। इसमें वर्ष 2002–03 से लेकर वर्ष 2011–12 तक की फीगर मैं पूर्व में बता चुका हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पॉवर कारपोरेशन वाला और राज्य सरकार वाला भी बता दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सारी जानकारी दे रहा हूँ। यह जो राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना है, इसके तहत हमको 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के सापेक्ष धनराशि प्राप्त होती है। वर्ष 2005–06 से यह योजना प्रारम्भ हुई है। इसमें ऋण की धनराशि 10 प्रतिशत है। वर्ष 2005–06 में हमको 623.97 लाख, वर्ष 2006–07 में 2048.79 लाख, वर्ष 2007–08 में 2304.41 लाख, 2008–09 में 697.23 लाख, वर्ष 2009–10 में 977.96 लाख और वर्ष 2010–11 में कोई प्राप्ति नही हुई है। कुल मिलाकर यह जो 10 प्रतिशत धनराशि आरही हे, यह 6636.52 लाख 3पया आ रही है। श्रीमन, हमने इसके ब्याज का भुगतान प्रारम्भ कर दिया था। इस ऋण का भुगतान आई0ई0सी0 का माग–पत्र प्राप्त होने पर करना है तथा तथा ब्याज का भुगतान आर0इ0सी0 के द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मांग–पत्र के आधार पर वर्ष 2005–06 स नियमित रूप से किया जा रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है, वर्ष 2005–06 में हमने 7.69 लाख, वर्ष 2006–07 मे 44.79 लाख, वर्ष 2007–08 मे 200.33 लाख, वर्ष 2008–09 में 343.73 लाख, वर्ष 2009–10 मे 552.01 लाख, वर्ष 2010–11 मे 736.06 लाख और अभी सितम्बर, 2011 तक 371.38 लाख अर्थात् 2235.89 लाख रुपये की धनराशि हम भुगतान कर चुके हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर,यही स्थिति नाबार्ड की भी है। जरा नाबार्ड के बारे मे भी बता दे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, नाबार्ड में जो यू0जे0वी0एन0एल0 का है, इसके अन्तर्गत हमने वर्ष 2008–09 में 13.99 करोड़, वर्ष 2009–10 में 3.31 करोड़, वर्ष 2010–11 मे 24.38 करोड़, वर्ष 2011–12 मे 11.54 करोड़ अर्थात् कुल 53.22 करोड़ रुपया हमने लिया था। इसकी ऋण अदायगी का माग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, लेकिन हमने इट्रेस्ट का पेमेण्ट करना 2010–11 से प्रारम्भ कर दिया था। वष 2010–11 मे 1.81 करोड़ और वर्ष 2011–12 में 1.85 करोड़, कुल 3.66 करोड़ रुपया इन्ट्रेस्ट का पेमेण्ट कर चुके हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मै यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने नाबार्ड से लिया, यह कुल धन कितना है, जिसके सापेक्ष मे आपन यह मूलधन और ब्याज की अदायगी की है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने आपको यू0जे0वी0एन0एल0 का बताया था। यू0जे0वी0एन0एल0 में हमने नाबार्ड से 53.22 करोड़ लिया था, जिसके सापेक्ष में अभी हमने 3.66 करोड़ रुपये की इंटरस्ट की अदायगी की है। इसके अलावा यू0पी0सी0एल0 में भी हमने नाबार्ड से ऋण लिया था। इसके तहत पिटकुल को नाबार्ड से 31 मार्च, 2008 तक 244.96 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ था और 31.03.2008 के उपरान्त नाबार्ड से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। इस ऋण के सापेक्ष वर्ष 2010–11 तक 108.71 करोड़ ऋण की अदायगी तथा 2010–11 तक 63.40 करोड़ ब्याज की अदायगी कर दी गयी है। नाबार्ड से प्राप्त ऋण के सापेक्ष ब्याज की दर 6.5 प्रतिवर्ष है। अवशेष ऋण जो 136.25 करोड़ तथा 15.47 करोड़ जो ब्याज है, उसकी अदायगी का हमने शिड्यूल तय किया है। इसको हम वर्ष, 2015 तक पूरा कर देंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे साथ बैठकर इस सम्बन्ध में पूरी चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे साथ बैठकर इस सम्बन्ध में पूरी चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अन्य प्रश्न भी लगे हैं।

प्रदेश में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा प्रयास

***5. श्री प्रेमानन्द महाजन–**

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है ?

यदि हाँ, तो विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं, कभी–कभी विद्युत उपलब्धता के सापेक्ष मांग अधिक होने एवं ग्रिड आवृत्ति कम होने एवं अनुरक्षण कार्यों के कारण आकस्मिक कटौती करनी पड़ती है, जो अपरिहार्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि विद्युत कटौती नहीं की जा रही है तो पिछले 6–7 महीने से प्रदेश के जो हालात थे, जुलाई से लेकर सितम्बर तक छः–छः, सात–सात, आठ–आठ घण्टे की जो कटौती की गई, वह किस नियम या किस नीति के तहत की गई ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सुबह–शाम विद्युत कटौती की जाती है, वहां के बच्चे भी पढ़ते हैं और उनका भी भविष्य है, लेकिन वहां सुबह–शाम विद्युत कटौती की जा रही है और इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितम्बर में आठ से दस घण्टे की कटौती की गई, यह किस नियम के तहत की गई ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जाती है, लेकिन जब ग्रिड से आपूर्ति कम होती है, उस कडीशन में अचानक कटौती हो जाती है और कभी आकस्मिक कटौती लोकल फाल्ट होने के कारण भी होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सात–सात, आठ–आठ घण्टा कटौती हो रही है, तो ऐसी कोई जानकारी यहां पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अभी मैंने अक्टूबर माह का फीगर निकाला है, उसके अनुसार जहां पर कटौती हुई है, उसमें सात–आठ घंटा कटौती नहीं हुई है। कभी इन्डस्ट्रियल एरिया में हो सकता है, लेकिन कहीं पर एक घंटा है, कहीं पर दो घंटा है और कहीं पर तीन घंटा है, इससे अधिक विद्युत आपूर्ति कहीं बाधित नहीं हुई है। मान्यवर, हम लोग मांग और आपूर्ति के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके तहत हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग नियमित आपूर्ति कर सकें। फिर भी कतिपय कारणों से मांग और आपूर्ति के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है, हमने अभी 31–10–2011 तक कटौती करने का निर्णय लिया है और यह निर्णय बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में लिया जाता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अधिकतम आपूर्ति कर सकें, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सात–आठ घंटा विद्युत कटौती हुई है, यदि आप स्पेशिफिक स्थान बता दें तो मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जिस समय यह प्रश्न विधान सभा में लगाया गया था, उस समय गदरपुर और रुद्रपुर में यही स्थिति थी। लोग इससे बहुत परेशान हुये थे और इसके लिये आन्दोलन भी हुये, लेकिन आज की परिस्थिति में यह जवाब दिया जाता है तो मैं समझता हू कि यह गलत है। जब भी कोई सदस्य प्रश्न लगाता है तो उस समय की परिस्थिति को देखते हुये लगाता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री प्रेमानन्द महाजन—

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुबह–शाम विद्युत कटौती की जाती है, जो कि डेली का रूटीन है। शाम को 6–7 बजे जब बच्चों के पढ़ने का समय हुआ तो बिजली काट दी जाती है और सुबह 5–6 बजे बिजली काट दी जाती है, यह कटौती किस नियम के तहत की जाती है।

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की बात की है, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ, अप्रैल मास से लेक अक्टूबर माह का जो फीगर है। मान्यवर, काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में 23.05 घंटे औसतन बिजली की आपूर्ति हुई है, जिसमें विशेष तौर पर माह अप्रैल मे थोड़ा कम हुई है, 21 घंटे 54 मिनट हुई है और रूद्रपुर, किच्छा क्षेत्र में 21.54 और ग्रामीण क्षेत्र में 19.02 घंटे की आपूर्ति अप्रैल मास मे हुई थी। उसके बाद से ठीक हुआ है लेकिन अक्टूबर मास में 18.32 घंटे की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। हमारा प्रयास है कि हम इसको सुव्यवस्थित करें और आपकी जो आपत्ति है, मैं प्रयास करूँगा कि उस पर विधिवत् कार्यवाही हो सके।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूँ क्योंकि अभी उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि उत्तराखण्ड मे विद्युत उपलब्धता कितनी है, जानकारी चाहता हूँ कि उपलब्धता कितनी है, माग कितनी है ? और माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत उपलब्धता और माग का जो अन्तर है, उसे समाप्त किया जाय तो इसे समाप्त करने के क्या–क्या उपाय किये गये हैं और कब तक इसे समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष, 2007 मे जब हमारी सरकार बनी थी और उस समय से लेकर आज तक हमारा अनवरत प्रयास रहा है कि हम विद्युत की माग और आपूर्ति के मध्य एक सामन्जस्य स्थापित कर सें और काफी हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। जो मांग जो हमारी वर्ष 2007–08 में थी वे 7049 मिलियन यूनिट थी, इसके सापेक्ष हमने आपूर्ति 6847 मिलियन यूनिट की, अर्थात् जो हमारी कमी रही, वो 202

मिलियन यूनिट की रही अर्थात् 98 प्रतिशत आपूर्ति में हम सफल रहे श्रीमन्। वर्ष 2008–09 में 7847 मिलियन यूनिट मांग थी और ये मांग लगातार बढ़ती रही है, क्योंकि हमारी इण्डस्ट्री ग्रोथ होनी प्रारम्भ हो गयी थी और मांग बढ़ती गयी हैं 7847 मिलियन यूनिट हमारी मांग थी औ उसके सापेक्ष हमने 7769 मिलियन यूनिट की आपूर्ति की, 78 मिलियन यूनिट की कमी रही अर्थात् 99 प्रतिशत करने में सफल रहे। वर्ष 2009–10 में 8936 मिलियन यूनिट मांग थी और 8355 मिलियन यूनिट हमने आपूर्ति की है, जिसमें 580 मिलियन यूनिट हमारी कमी रही, अर्थात् 93 प्रतिशत आपूर्ति की गयी वर्ष 2010–11 में 9854 मिलियन यूनिट हमारी मांग के सापेक्ष 9294 मिलियन यूनिट आपूर्ति की जिसमें 560 मिलियन यूनिट हमारी कमी रही। 94 प्रतिशत आपूर्ति करने में हम सफल रहे। इसके साथ–साथ श्रीमन्, वर्ष 2010–11 से अक्टूबर मास तक 6137 मिलियन यूनिट मांग थी 5937 मिलियन यूनिट हमने आपूर्ति की है। 200 मिलियन यूनिट की कमी रही जो 97 प्रतिशत आपूर्ति है। अभी हम अक्टूबर में चल रहे हैं। जनवरी तक हम इसको और बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो स्थापित हों। अभी हमने यू0जे0वी0एन0एल0 और गेल के माध्यम से एक ज्वाइंट वैंचर बनाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें लगभग–लगभग 300–350 मेगावाट विद्युत क्षमता का संयंत्र गैस पर आधारित लगेगा। इसके माध्यम से तथा अपनी बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा और अग्रिम बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा से हम यह बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ–साथ श्रीमन्, जो विशेष तौर पर हमने जो उत्कृष्ट प्रयास इसमें किये हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हम लाईन लॉसेस को कम कर सके। उत्तरांचल राज्य की जो खामियाँ हैं, जो लाईन लॉस से या अन्य किसी तरह से जो नुकसान होता है, उस पर हम लगातार कमी करते आये हैं श्रीमन्, और अगर आप इस फीगर को देखेंगे वर्ष 2008–09 में 33.50 प्रतिशत लाईन लॉस हुई, वो घटती गयी है श्रीमन्, और आज वर्ष 2009–10 में 29.50 प्रतिशत और 2010–11 में 27.54 प्रतिशत लाईन लॉस स्थित हुए है श्रीमन्, हमारा प्रयास है कि लाईन लॉस कम हो, उत्पादन हम बेहतर कर सकें, वितरण ठीक तरीके से हो सके श्रीमन्, और उपभोक्ता को उसकी सुविधा प्राप्त हो सके, यह हमारा प्रयास है। मान्यवर, जो हमारी प्रगति है, उससे हम संतुष्ट हैं, उसको और बेहतर किये जाने की आवश्यकता है, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में कितनी मॉग है और घरेलू क्षेत्र में कितनी मॉग है, कितनी बिजली की हमारी उपलब्धता है, किस–किस रेशियों से उपलब्ध कराया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को और घरेलू क्षेत्र को ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो बहुत ही विस्तृत प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो अनुपूरक है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो प्रश्न है, यह लाइन लास से सम्बन्धित है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैंने पूछा कि हमारी इस वर्ष की औद्योगिक क्षेत्र की क्या मांग है और घरेलू क्षेत्र की क्या माँग है औरउपलब्धता क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र तो पूरे राज्य भर में है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं पूरे राज्य की ही पूछ रहा हूँ कि पूरे राज्य मे औद्योगिक माँग कितनी है और घरेलू माँग कितनी है, हमारे पास उपलब्धता क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य जी, हमारी उपलब्धता जितनी है, वह हमने आपको बताया कि हमारी आपूर्ति कितनी मिलियन यूनिट कर रहे हैं, वही हमारी उपलब्धता है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आ जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमे हमारी इस टोटल का 55 प्रतिशत लगभग डिमान्ड जा रही है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आप स्पेसिफिक जानकारी दीजिए कि हमारी औद्योगिक माँग कितनी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका उत्तर मैं आपको अलग से दे दूँगा।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, पता कैसे चलेगा कि हमारी उपलब्धता कितनी है ? और कटौती कितनी हो रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप हमारी प्रति वर्ष की उपलब्धता जानना चाह रहे हैं, यह मैंने आपको बता दी है और आपूर्ति कितनी है, यह भी मैंने बता दी है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं इतना विस्तृत नहीं जाना चाहता। इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में कितनी माँग है, घरेलू क्षेत्र में कितनी माँग है, उपलब्धता कितनी है और किस सेक्टरों से उपलब्ध कराया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं जनपदवार आपको इसकी सूचना उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, स्पेसिफिक जानकारी दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक जानकारी दे दी है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जब आप उपलब्धता बतायेंगे, तभी तो कटौती का पता चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल डिमान्ड है उस डिमान्ड का 55 प्रतिशत इण्डस्ट्रियल एरिया में खर्च होता है, 24 प्रतिशत हमारा डोमेस्टिक एरिया में खर्च होता है और कामर्शियल एरिया में 10 प्रतिशत खर्च होता है। ये डिमान्ड मैंने अभी माननीय सदन के सम्मुख रख दी थी। अगर इसको पुनः बताने की आवश्यकता है तो मैं इसको पुनः बता देता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सीधे–सीधे पूछा है कि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी आपूर्ति हो रही और घरेलू क्षेत्र में कितनी आपूर्ति हो रही है ? (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा रहा हूँ कि इस वर्ष हमारे औद्योगिक क्षेत्र की कितनी माँग है, घरेलू क्षेत्र की कितनी माँग है और हमारी उपलब्धता कितनी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारी जो कुल माँग है, वह 9800 मिलियन यूनिट है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, अलग–अलग बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप तो इस सदन के इतने पुराने सदस्य हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिये। मान्यवर, हमारी औद्योगिक माँग 5300 मिलियन यूनिट है और घरेलू माँग 2450 मिलियन यूनिट है। मान्यवर, जो आपूर्ति हम कर रहे हैं, वही तो हमारी उपलब्धता है। हमने वर्ष 2007–2008 में आपूर्ति 6847 मिलियन यूनिट किया, यही तो आपूर्ति है। लगभग 98 प्रतिशत तक हम आपूर्ति कर रहे हैं।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, सरकार के पास न जवाब है और न जवाब देने की मंशा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, और क्या जवाब चाहिए आपको। जो आपको चाहिए, वह पूछिये।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, डिमान्ड कितनी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हिन्दी में माँग कहते हैं और अंग्रेजी में डिमान्ड कहते हैं, वह मैंने आपको बता दिया है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आपूर्ति कितनी है, वह बता दीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक क्षेत्र में कितनी माँग है और घरेलू क्षेत्र में कितनी माँग है, उपलब्धता क्या है और औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र मे कितना उपलब्ध कराया जा रहा है। माँग क्या है और उपलब्धता क्या है, तभी तो कटौती का पता चल पायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित करा दीजिए। जब सरकार को यही पता नहीं है कि माँग कितनी है और उपलब्धता कितनी है। सरकार प्रश्न को जवाब देने के लिए गम्भीर नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने माँग और आपूर्ति की जानकारी दे तो दी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

आपको अलग से बता देंगे।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, सदन का प्रश्न है, सदन को बतायें।

शिक्षा निदेशालय में उच्च पदों के सृजन से निदेशालय का स्वरूप एवं भूमिका

*6. **श्री अमृता रावत**–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयी शिक्षा मे तीन निदेशक और एक महानिदेशक का पद सृजित कर दिया गया है ?

यदि हॉ, तो इन निदेशालयों का स्वरूप तथा अधिकार क्या–क्या होंगे तथा महानिदेशक की भूमिका क्या होगी तथा इन निदेशालयों/महानिदेशालय के गठन पर प्रति वर्ष कितना व्यय भार बढ़ेगा और निदेशालय के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और उनके पदों का विवरण क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि कक्षा–1 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था पर निदेशक (बेसिक) का नियंत्रण तथा कक्षा 9 से 12 तक निदेशक (माध्यमिक) का नियंत्रण रहेगा ?

यदि हॉ, तो राजकीय इण्टर कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा 6 से 8 की शिक्षा व्यवस्था पर किसका नियंत्रण रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी हॉ,

निदेशालय मे निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा–01, निदेशक माध्यमिक शिक्षा–01, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण–01 पद स्वीकृत किये गये हैं। तीनों निदेशक अपने–अपने विभागों के विभागाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा महानिदेशक की भूमिका उक्त 03 निदेशकों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं इनको एक छत्र के अन्तर्गत सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने की होगी। महानिदेशालय/निदेशालयों पर प्रतिवर्ष ₹ 1,33,50,776 (एक करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार सात सौ छियत्तर) का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। निदेशालयों के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं पदों का विवरण संलग्न है। †

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–242 से 252 पर)

जी हाँ।

ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा I से V, VI से VIII अथवा I से VIII तक संचालित है, निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) के नियन्त्रण में तथा ऐसे विद्यालय जिसमें कक्षा VI से X, VI से XII, IX से X, IX से XII, I से X तथा I से XII संचालित है, निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के नियंत्रण में रहेंगे।

राजकीय इण्टर कॉलेजों मे शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को जो सुविधायें दी जाती है, यह बेसिक शिक्षा निदेशालय के नियत्रणाधीन रहेगी तथा उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षको एवं कार्मिको कीसेवा शर्तों एवं व्यवस्थ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा का नियत्रण रहेगा।

श्री अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि बताया गया है, विद्यालयी शिक्षा मे तीन निदेशक और एक महानिदेशक का पद सृजित किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन तीन निदेशक और एक महानिदेशक के पद के सृजन की क्यो आवश्यकता पड़ी और यह जो पद सृजित किये गये हैं, इससे विद्यालयी शिक्षा को क्या लाभ प्राप्त होगा और क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता मे कोई अन्तर आयेगा और क्या इनके पुनर्गठन करने से नौकरशाही के ऊपर कोई शिंकजा बढ़ेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयी शिक्षा मे तीन निदेशक और एक महानिदेशक बनाये गये हैं। यह इसलिये करना पड़ा क्योंकि बेहतर शिक्षा के लिए और शिक्षा मे गुणवत्ता लाने के लिए और सुव्यवस्थित समन्वय के लिए यह ढांचा स्वीकृत किया गया है। इससे शिक्षा मे सुधार आयेगा और पठन–पाठन में सुविधा बढ़ेगी और फिर उसकी मॉनिटरिंग करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, तीन निदेशक और एक महानिदेशक के पद पर जो यहॉं सदन में उत्तर मे बताया गा है कि महानिदेशालय/निदेशालयों पर प्रतिवर्ष एक करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार सात सौ छिहत्तर का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा तो मैं माननीय मत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यह जो धनराशि तीन निदेशक और एक महानिदेशक के पद के सृजन मे लगा रहे हैं, क्या इससे अच्छा यह नही होता कि हमारे प्रदेश के असख्य भाई और बहनें जो बेरोजगार है, उनके लिए पदों का सृजन करते और वे स्कूलों मे जाकर पढ़ाते तो उससे स्कूलों मे शिक्षा की प्रणाली हमारी और मजबूत होती और उससे हमारे बच्चो की पढ़ाई और अच्छी होती। आज सब जानते है कि हमारे उत्तराखण्ड मे विद्यालयो की क्या स्थिति हैं ? शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नही है, स्कूलो में

बच्चो का पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, जिस प्रकार हमारे प्रदेश के बच्चो का रिजल्ट दिन–प्रतिदिन प्रतवर्ष खराब होता जा रहा है, मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि तीन निदेशक और एक महानिदेशक की बढ़ोत्तरी से अच्छा यदि आप शिक्षकों के पदों को भरते तो प्रदेश को लाभ होता।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्रीमती अमृता रावत–

आपने शिक्षकों को क्यो नहीं रोजगार दिया ? आप जो है निदेशक और महानिदेशको के पद बढ़ा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक महानिदेशक और तीन निदेशक बनाये और प्रवक्ता में हमने 1513 की नियुक्ति की है और एल0टी0 ग्रेड में हमने लगभग 2300 की नियुक्ति की है अर्थात् अध्यापको की नियुक्ति कर रहे हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या लगभग 22 लाख है। विद्यालयों की संख्या लगभग 23000 हजार है। विद्यालयो की संख्या को देखते हुए और छात्रों की संख्या को देखते हुए एक महानिदेशक और तीन निदेशक के पद आवश्यक थे। हमारी सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रयास कर रही है, प्रवक्ताओं के नियुक्ति का प्रयास कर रही है और जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा है हमने 2200 प्रधानाध्यापको को प्रोन्नति देकर प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–07 के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि पिछली बार भी मेरा यह प्रश्न लगा था, उसको भी अगले बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया, इस बार भी बुधवार के लिए स्थगित किया गया है। बार–बार अगले बुधवार के लिए स्थगित करते है और अगला बुधवार कभी आता नही है क्योंकि सदन हमेशा दो दिन के लिए आहूत किया जाता है।

***7. श्रीमती अमृता रावत–**

प्रथम बुधवार के तारांकित–4 में स्था0।

जनपद देहरादून में आवासीय भवनों के ऊपर विद्युत हाईटेंशन लाइनों को हटाने की कारगर योजना

***8. श्री गणेश जोशी–**

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में विद्युत की झूलती तारों, चौराहों पर लगी संकेतक लाइटों व अव्यवस्थित विद्युत खम्भों के कारण रोजमर्रा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं ?

क्या यह सत्य है कि जुलाई माह में हर्बटपुर विकासनगर में झूलती विद्युत तारों की चपेट में आने से कई लोगों की अकाल मौत हो गयी और कई घायल हो गये ?

यदि हाँ, तो सरकार झूलती तारो एवं आवासीय भवनों के ऊपर गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को हटाने के लिए कोई कारगर योजना बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ, झूलती तारो व अव्यवस्थित विद्युत खम्भों के मामले संज्ञान में आते ही आवश्यक कार्यवाही की जाती है। चौराहों पर लगी सकेतक लाइटों का रख–रखाव यूपीसीएल द्वारा नही किया जाता है।

जी हाँ।

झूलती तारों के संज्ञान में आते ही तत्काल तारों की सैगिंग की जाती है।

शासन द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को निर्देश दिये गये हैं कि विद्युत लाईन संचालित होने के उपरान्त जो–जो भवन उसके नीचे निर्मित हुए हैं उनके ऊपर से विद्युत लाईन को हटाने हेतु जितना भी व्यय आयेगा, वह सम्बन्धित मकान मालिकों द्वारा जमा करने विद्युत लाईन निर्मित मकानों के ऊपर बाद में संचालित की गई है, उसके ऊपर आने वाल व्यय निगम अपने संसाधनों से पूरा करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर मे कहा कि जिन मकानों के ऊपर से विद्युत लाईन बाद में गयी है, उनको देख लिया जायेगा। आदमी अपना प्लॉट लेकर छोड़ देता है, बाद में उसके ऊपर विद्युत लाईन डाली जाती है, ऐसा अक्सर देखने में आता है जब आदमी पाँच या दस साल बाद मकान बना रहा जाता है तो वहां पर विद्युत लाईन रहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कन्डोली, धोरण आदि गाँव के मामले संज्ञान में आये हैं। जब हमने सम्बन्धित अधिकारी से बात की तो कहा जाता है कि ऐसी विद्युत लाईन सरकार खर्चे से नहीं हटाये जाती हैं। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि क्या इनमें शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? दूसरा जो आपने कहा कि संज्ञान मे आने पर जो विद्युत पोल खराब हैं उनको भी ठीक किया जाता है। मैं कई बार लिखित एवं मौखिक रूप

से अधिकारियों के संज्ञान में ला चुका हूँ। राजपुर, कालिदास रोड आदि पर विद्युत पोलों की स्थिति बहुत खराब है। क्या उनको ठीक किया जायेगा ? तीसरा अधिकतर मलिन बस्तियों में एक ही पोल से 50–50 संयोजन किये जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। जबकि संयोजन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी विद्युत के कनेक्शन लेते हैं उसमें जितने भी पोल लगाये जाते हैं, वे शासन द्वारा लगाये जाते हैं। लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में कब तक शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जैसे–जैसे शहरीकरण हुआ है और विशेष तौर पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जो 63 हमारे नगरी क्षेत्र हैं। इसके साथ–साथ लगभग 889 कस्बे शहरी क्षेत्र मे तब्दील हो गये हैं और इन शहरो के आस–पास लगे गांव की भी शहरो की तर्ज पर वृद्धि हुई है। इसके चलते हुए जहां–जहां पर हमारी विद्युत लाईने 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 की चल रही थी। उसके नीचे लोगो ने मकान बना दिये हैं। जब लाईन गुजरने के बाद लोगो ने मकान बनाये है तो निश्चित रूप से दुर्घटना को आमत्रण देते हैं। इसके साथ–साथ जैसा आपने कहा कि कहीं–कहीं कॉलोनियों पर एक पोल के साथ 50–50 संयोजन किये हैं। ऐसी भी अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण करने से ऐसी समस्या आयी है। इनके निदान करने के लिए हमारे माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। जिस पोल पर ज्यादा दबाव है दुर्घटना आमत्रित करने का, ऐसे पोलो को तत्काल चिन्हित करके व्यवस्थित कर रहे हैं। जब–जब प्रकरण संज्ञान में आता है, उसके सम्बन्ध में हम कार्यवाही करते हैं। इसके साथ–साथ आपने विशेष तौर पर देहरादून की जानकारी दी है। मैं माननीय सदन के संज्ञान मे लाना चाहूँगा कि देहरादून के अन्तर्गत जो आवासीय भवनों के ऊपर से लाईनें गुजर रही हैं, यह 33 एवं 11 के0वी के लाईन है। उसमें शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत जो 33 के0वी0 की लाईन है, यह 28 कि0मी0 क्षत्र की हैं। इसके साथ–साथ 11 के0वी0 लाईन की 44 कि0मी0 की लाईन हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे 33 के0वी0 लाईन 26 कि0मी0 तथा 11 के0वी0 लाईन की 142 कि0मी0 लाईन हैं। इस तरह से कुल मिल करके देहरादून जनपद में 54 कि0मी0 लाईन 33 के0वी0 की और 186 कि0मी0 लाईन 11 के0वी0 की गुजर रही हैं। इसके लिए हमने जो योजना बनायी हैं इसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। ज्यो–ज्यों हमारी आर्थिक संसाधनो की उपलब्धता होगी उसको चरणबद्ध रूप से लाईन शिफ्टिंग पर हम प्रस्तावित करने जा रहे है और जहाँ तक आपने पोलो के बदलने का विषय कहा या नये पोल लगाने का विषय कहा, ऐसी खतरनाक स्थिति जहाँ पर भी है, उस सम्बन्ध मे, मैं माननीय सदस्य अनुरोध करूँगा कि जहाँ पर भी हैं हमें अवगत

करा दें, हम तत्काल कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि विद्युत लाईन बिछने के बाद कोई घर बना ले तो उसमें व्यक्ति को अपने खर्चे पर लाईन शिफ्टिंग करने का प्रावधान ह। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जिस प्रकार से आज आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, धरती बढ़ नही सकती, धरती उतनी ही रहेगी आदमी आखिर मकान तो कहीं बनायेगा और लाईनें जिस तरह से बनी हैं, जगह–जगह तारें झूल रहे हैं, मैं अपना क्षेत्र चन्द्रभागा, सोमेश्वर नगर, गंगा नगर और रायवाला, में विशेष रूप से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा हूँ कि अनेको ऐसी दुर्घटनाएँ हो गयी है और मृत्यु भी हुई है तो क्या ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद मुआवजा देने का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या फिर ऐसी स्थिता मे कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी, यदि माना उन्होंने मकान बना भी लिया तो कोई और वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि स्पेसिफिक क्षेत्रों में दिक्कत है मैंने इस सम्बन्ध मे सम्मानित सदन को विनम्रतापूर्वक निवेदन भी किया था, चूँकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि हमने कहा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, हमारी 11 के0वी0 की लाईन जहाँ से गजर रही है या 33 के0वी0 की लाईन जहाँ से गुजर रही है, उसकी ऊचाई लगभग 18 फिट की होती है, अगर हम उसके नीचे मकान बनाते है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम दुर्घटना अपने आप आमंत्रित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राविधान किया है कि यदि वे मकान बनाना चाहते हैं तो आवेदन करे विधिवत और हम लाईन शिफ्ट करवायेंगे ताकि कोई दुर्घटना न हो और अगर हमारी लाईन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमे मुआवजे का प्राविधान है, जैसे अभी हरबर्टपुर मे हादसा हुआ कि बस लाईन के नीचे लाकर खड़ी कर दी और व्यक्ति बस के ऊपर खड़ा हो गया तो इसका मतलब हमने दुर्घटना को आमंत्रित किया, उसमें हमने 6 लाख 72 हजार रु0 की धनराशि मुआवजे के रूप में दी है। इस तरह विभाग प्रक्रिया को संचालित कर रहा है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, मैंने इसस पहले वर्ष 2007–08 में विधान सभा प्रश्न भी लगाया था और मुझे आश्वासन भी दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र डालवाला मे चार–चार दुर्घटनाएँ घट चुकी है, इसमे पशुओ की और दो व्यक्ति

की मृत्यु भी हुई है और वहाँ पर हमें आश्वासन भी दिया गया था कि लाईन शिफ्ट की जायेगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अब तक उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन का एक भी अधिकारी वहाँ पर देखने तक के लिए नहीं पहुँचा है। वहाँ पर घर पहले से थे लाईनें बाद में बिछायी गयी हैं, वहाँ पर अनियमित रूप से विद्युत लाईन बिछायी गयी हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप पीठ से इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि देहरादून के 142 किलोमीटर के शहरी इलाकों में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने सिर्फ इतना चाहा है कि जो आश्वासन आपने पूर्व में दिया था, उसकी पूर्ति कब तक होगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने देहरादून के बारे में विस्तृत योजना बताई।

श्री अध्यक्ष–

आपने बहुत नीतिगत प्रश्न पूछा है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इन्होंने टिहरी की जानकारी पूछी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, टिहरी की जानकारी नहीं पूछी है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, जो इसमें सम्मिलित किया गया है, उसकी जानकारी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमान, जो टिहरी में हमारे पास क्षेत्र है तो उस टिहरी में 14.87 किलोमीटर की लाईन हमको शिफ्ट करनी है और उसके लिए 178 लाख रुपये का व्ययभार हमारे ऊपर पड़ेगा, इसलिए हमने जो योजना बनाई है कि अगर मकान लाईन पड़ने के बाद में बनता है, क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि मकान के ऊपर से लाईन पड़ी हो।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, लाईन बाद में पड़ी है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा, क्योंकि लाईन पहले पड़ी होगी और मकान बाद में बना होगा और अगर मकान बाद में बना है तो उसका व्ययभार मकान मालिक से ही लिये जाने का प्राविधान है, यह विधान सभा सदन के अन्दर आश्वासन है। इसको मैं दिखवा लूँगा, उसकी पूर्ति की जायेगी।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ विद्युत लाईन ग्रामीण क्षेत्र में भी है और आबादी बढ़ रही है, उससे जानमाल का नुकसान हो रहा है, कई जगह पशु भी मरे हैं, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ लाईन खिंच रही है और वह गाँव के करीब है और वहाँ छोटा किसान है या मजदूर है उसके पास साधन नहीं है और अपना गुजारा कर रहा है, उसके पास और कोई साधन नहीं है और वह मकान बना लेगा तो क्या विद्युत विभाग या सरकार उसकी जमीन पर खम्भा गाड़ेगी तो क्या उसको कोई मुआवजा देगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें यह नीतिगत नहीं है क्योंकि बिजली पानी की योजना में हम इसका मुआवजे का भुगतान नहीं करते है, बिजली का जो पोल लगेगा, उसके मुआवजे का भुगतान नहीं होता है, लाईन अगर पहले पड़ी है और मकान बाद में बनता है तो उसकी व्यवस्था वह स्वयं करेगा।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, जहाँ पर घनी आबादी होगी तो वहाँ पर खम्भे बढ़ेंगे तो वहाँ से हटवाने के लिए विभाग दोबारा कार्यवाही करे।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, जब नक्शे पास होते हैं तो वह पहले कैसे हो गया होगा।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अनुपूरक प्रश्न में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि लोगों के खाली प्लॉटों के ऊपर से आपने जो हाई टेंशन लाइन बिछवा दी है, तो क्या आप उसको अपने खर्चे पर हटवायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जी नहीं, क्योंकि जब लाईन पड़ रही थी तो उसके सम्बन्ध में उस

समय आपत्ति की जाती तो उस पर विचार किया जाता, लाईन पड़ गई तो उसके बाद हटाने का प्रश्न नहीं।

जनपद देहरादून मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु विचार

*9. **श्री गणेश जोशी–**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश मे खोले गये लगभग 35 महाविद्यालयों में एक भी राजकीय महाविद्यालय, देहरादून जिला मुख्यालय मे स्थापित नहीं किया गया हैं ?

यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिला मुख्यालय में स्थित अशासकीय महाविद्यालय डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज में छात्र–छात्राओं की संख्या उपलब्ध आधारभूत सुविधाओ की तुलना में कई गुना अधिक हो गयी है, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को इतने अधिक संख्या बल को नियंत्रित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ?

क्या यह भी सत्य है कि सभी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयो मे कक्षाओं मे प्रवेश संख्या य0जी0सी0 के मानको से अधिक है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओ की बढ़ती संख्या का दबाव कम करने के लिये जनपद मुख्यालय में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हॉ।

महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र के द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय (गढ़वाल विश्वविद्यालय) द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयो में कक्षाओं मे प्रवेश संख्या के निर्धारण के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक नही है, अपितु महाविद्यालय में कक्षा में छात्र संख्या का निर्धारण सम्बद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है।

शासन के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि छात्रों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय करता है, जबकि पिछले 10 सालों से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की संख्या 12500 दर्ज की गई है।

मान्यवर, मैं वर्ष, 2003 से आकड़े आपको दे रहा हूँ। वर्ष 2003–04 में 19704, वर्ष 2004–05 मे 20664, वर्ष 2005–06मे 22392, वर्ष 2006–07 में 24234, वर्ष 2007–08 में 25703, वर्ष 2008–09 मे 29144, वर्ष 2009–10 में 30446 और आज लगभग 33 हजार से अधिक छात्र–छात्राए इस विद्यालय में पढ रहे है। मै। आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 12500 छात्रों के अनुरूप क्या वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था है ? यदि हम इसके अनुरूप 12500 की बात करें तो वहां पर आज लगभग 244 अध्यापक होने चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी में है। शासन द्वारा पदो का निर्धारण किया जाता है। तो क्या सरकार वहां पर जो पद रिक्त है, इन पदों पर अध्यापको की नियुक्ति करेगी ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बात का ध्यान रखा जाय कि जहां पर 12500 छात्र–छात्राओ की निर्धारित संख्या है और वहां पर लगभग 30000 की संख्या में छात्र–छात्राएं हैं और यहा पर 12500 के मानक के अनुरूप भी वहां पर अध्यापक नही है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, देहरादून मे 5 अशासकीय महाविद्यालय हैं और इन 5 अशासकीय महाविद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या डी0ए0वी0 कॉलेज मे है और इस पर जो मानक निर्धारित किया गया था, वह 12480 छात्रो का हैं यह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक है। चूंकि यह सम्पूर्ण व्यवस्था विश्वविद्यालय के नियंत्रण में रहती है और यह विश्वविद्यालय अब 15 जनवरी, 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी मे आ चुका है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय से इसको सम्बद्धता मिली हुई है। मान्यवर, जहा तक शिक्षकों का प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय मे अभी 191 प्रवक्ताओं के पद सृजित हैं। मान्यवर, जो 33517 छात्रों का प्रवेश इस महाविद्यालय में है, निश्चित रूप से इस आधार पर यह संख्या काफी कम है और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार का सरकुलर भी लगाया गया था कि आप इतने अधिक छात्र संख्या को प्रवेश नहीं देंगे और परीक्षा से सम्बन्धित भी, महाविद्यालय ने अपनी ओर से आपत्ति लगायी थी, लेकिन इसके बाद फिर कतिपय परिस्थितियो में, विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजित कर ली थी। चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संगठन है, इसके चलते हुए, वह इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वयं सक्षम है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय का मामला है तो मेरे ख्याल से हम इस पर यहा पर कहां चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन विषय सदन के संज्ञान में आ सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, मेरे ख्याल से यह प्रश्न ही सदन में नहीं आना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, मैंने मापदण्ड के बारे में पूछा है।

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि मापदण्ड का परीक्षण किया जाता है कि वास्तव में आवश्यकता है या नहीं।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, इसमें शासन के कुछ मापदण्ड तो होंगे ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, यह छात्रों की उपलब्धता के आधार पर होता है। श्रीमन्, चूँकि यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसके लिए पृथक से प्रश्न करें तो उचित होगा।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार छात्र–छात्राओं की बढ़ती संख्या का दबाव कम करने के लिए जनपद मुख्यालय में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, अभी 5 महाविद्यालय हैं और अद्यतन कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें। तारांकित प्रश्न संख्या–10 (व्यवधान)

राजपुर वि0स0 क्षेत्र मौजा धोरणखास भूमि का भू उपयोग पूर्व की भांति आवासीय करने पर विचार

***10. श्री गणेश जोशी—**

क्या आवास मंत्री अवगत है कि राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मौजा

धोरणखास की अधिगृहित की गयी भूमि को शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उक्त भूमि पूर्व में आवासीय भूमि थी किन्तु वर्तमान में महानगर योजना में शहरी निदेशालय द्वारा बनाये गये मास्टर प्लॉन 2005–2025 मे गलत तरीके से 400 वर्ष पुराने गांव धोरणखास व आबादी का भू–उपयोग उद्यान व आई0टी0 पार्क दर्शाया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मौजा धोरणखास की उक्त भूमि का भू–उपयोग पूर्व की भांति आवासीय कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

आवास, खेल–कूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री खजान दास)–

जी हाँ।

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित भूमि को शासन द्वारा अधिगृहण से अवमुक्त किया गया है।

जी नहीं। धोरणखास की पुरानी आबादी क्षेत्र की भूमि को देहरादून महायोजना–2025 में आवासीय न्यून सघनता के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

देहरादून महायोजना 2005–2025 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप तैयार की गयी है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसाना की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूड़ी जी द्वारा उसे अधिग्रहण से मुक्त किया गया, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मास्टर प्लॉन की बात आयी तो मास्टर प्लॉन मे इसका भू–उपयोग कहीं पर उद्यान और कहीं पर हॉस्पिटल आदि दिखाया गया, जिससे यहाँ के लोगो में बड़ा रोष है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको अधिग्रहण से मुक्त किया गया है, तो क्या यह करना न्याय संगत है ?

श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद देहरादून में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम धोरणखास में खसरा संख्या 65 से 87 तक और 142 से

174 तक, कुल रकबा 15.909 हेक्टेयर, भूमि प्राधिकरण की योजना हेतु अधिग्रहित की गयी, जिसे शासनादेश संख्या–3551, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 द्वारा अधिग्रहण से अवमुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि अवमुक्त करने के बाद जो उसका भू–उपयोग, कहीं पर उद्यान और कहीं पर हॉस्पिटल दिखाया गया है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, कहीं आइ0टी0 पार्क दिखाया जा रहा है जबकि यह लम्बित में छोड़ा गया है। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि मास्टर प्लॉन में जो गलत भू उपयोग दर्ज है, आप उसको ठीक करेंगे ?

श्री खजान दास–

मान्यवर, ग्राम धोरणखास, देहरादून की आबादी पुरानी महायोजना, 2001 में आबादी क्षेत्र एवं आवासीय आर–3 भू उपयोग के तहत प्रस्तावित थी। वर्तमान महायोजना में भी धोरणखास ग्राम कीपुरानी आबादी आवासीय आर–3 भू उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी थी। जहॉ तक आई0टी0 पार्क का प्रश्न है, ग्राम धोरण, गजराणा, मान सिंह, डांडा लखौंड एव डांडा नूरीवाला मे 19.92 हेक्टेयर भूमि की सूचना प्रौद्योगिकी एव सांख्यिकी पार्क हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि एवं सन्निकट नाले एवं बिजली पुरानी भूमि को सम्मिलित करते हुए लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को देहरादून महायोजना 2025 में सूचना एव प्रौद्योगिकी भू उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था। ग्राम सभा की भूमि आई0टी0 पार्क हेतु दी गई थी और उसी भूमि का उपयोग आई0टी0 पार्क मे किया गया था। इस भूमि के कुछ भाग जो पहले आबाद थे, वह अब आबादी क्षेत्र है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो मूल प्रश्न है, वह यह है कि क्या सरकार इस भूमि का भू उपयोग पूर्व की भांति आवासी करेगी ? उसका भू–उपयोग पहले रजिडेंशियल था, क्या सरकार उसको रैजिडेंशियल करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से प्रश्न का उत्तर दिया है, जहा तक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या सरकार इसका भू उपयोग आवासीय करेगी तो यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि देहरादून महायोजना 2025 घोषित होने के उपरान्त जो विसंगतियां शासन के समक्ष आई,

उन विसंगतियों के लिये उत्तराखण्ड शासन ने अपर सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, यह कमेटी उनकी सुनवाइ करेगी और उस पर कार्यवाही की जायेगी। जो माननीय सदस्य ने कहा है उसके लिये भारत सरकार के यू0डी0पी0एफ0आई0 से परमीशन लेनी पड़ेगी और उसके पश्चात कार्यवाही होगी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनहित में..................(व्यवधान) मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको जनहित में अधिग्रहण से मुक्त किया गया है, वह इसलिये किया गया है कि उसे रेजिडेंशियल बनाया जाय तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसको आवासीय बनायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने बताया कि देहरादून महायोजना 2025 को अंगीकृत किया गया है और इसे घोषित किया गया है तथा इसमें जो भी विसंगतियां हैं, उसकी सुनवाई के लिये हमने विधिवत एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, उस प्रक्रिया के आधार पर यह सुनवाइ होगी और सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री ओत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो सरकार से यह जानना चाहेंगे कि धोरणखास की भूमि के लिये मास्टर प्लॉन से अवमुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या वजह थी और धोरण खास के लिये वर्ष, 2006 में यह निर्णय लिया गया और यह वर्ष 2005–2025 का मास्टर प्लॉन है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि फिर से उसे आवासीय में परिवर्तित करना पड़ रहा है ? इस भूमि को अवमुक्त ही क्यों किया गया और फिर जब अवमुक्त कर दिया गया था तो किसी कारण से किया गया होगा, तो वह कारण क्या है कि उसे फिर से आवासीय करना पड़ रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने धोरणखास की बात की तो यह आबादी क्षेत्र की भूमि को आवासीय न्यून घनत्व और इसकी पूरब दिशा की भूमि को सूचना प्रोद्यौगिकी पार्क के लिये प्रस्तावित किया गया था। ग्राम धोरणखास की पुरानी आबादी क्षेत्र में आई0टी0 पार्क और उद्यान प्रदर्शित नहीं है तो इसके चलते हुये यह निर्णय लिया गया है और जो भी इस तरह की विसंगतियां है तथा कहीं पर इस तरह का विषय निकलकर आया है, उस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि देहरादून के जो महायोजना 2025 तक बनाई गई है, उसके बारे में समय–समय

पर कई विसंगतियां सामने आईं। तो क्या सरकार इन विसंगतियों को दूर करने के लिये किसी निर्णय पर पहुँच गई है और अगर पहुँच गई है तो उसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, मैं पुनः सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष, 2005 से वर्ष, 2025 तक उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के आधार पर योजना बनाई गई थी। इस महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गये......................।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, इसी अन्तिम रूप के बाद ही तो विसंगतियां आ रही हैं, तभी तो इसके निस्तारण की बात हो रही है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, जब इसका अन्तिम रूप से घोषित किया गया श्रीमन्, और अन्तिम रूप घोषित होने के बाद भी विसंगतियाँ और आपत्तियां आयी तो उसके लिए अपर सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी, जो इसकी सुनवाई करती है और रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करने के पश्चात् विचारोपरान्त इस पर निर्णय लिया जाता है। (व्यवधान) मैं जानकारी देना चाहूँगा 200 से अधिक आपत्तियां आयी हैं श्रीमन्, और उन पर सुनवाई हो रही है। गुण–दोष के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा, लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है श्रीमन्, इस महायोजना के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन के लिए, पुनर्निर्धारण के लिए भारत सरकार के यू0डी0पी0एफ0आई0 से सहमति लेनी पड़ेगी श्रीमन्, उसके लिए पश्चात् ही यह होगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

क्या सरकार ने इसकी सहमति ले ली है भारत सरकार से ? (व्यवधान) क्या पर्यावरण मंत्रालय ने मास्टर प्लॉन को पास कर दिया है, इस पर सहमति दे दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देहरादून का। सरकार इसका जवाब ही नहीं दे रही है। इस मास्टर प्लॉन की भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति ले ली गयी है। जो मास्टर प्लॉन यहां लागू है, यह दून वैली का मास्टर प्लॉन है। इसमें आवश्यक है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति इसमें ली जाय, उसके बाद यह लागू होगा। (व्यवधान) यह गलत लागू हुआ है, इसमें पहले आपको स्वीकृति लेनी चाहिए थी। यह तो इनवैलिड है। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल –

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि क्या जनपद देहरादून के बिधौली को वर्ष 2005–25 के महायोजना में शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं है, तो वहां के ग्रामवासियों को, वहां के लोगों के लिए अभी से किस प्रकार की योजना बनायी जा रही है वहां की जनता, वहां के ग्राम प्रधान तमाम लोग परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि जो भी इस तरह की आपत्तियाँ हैं, उनकी सुनवाई होगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो भू–परिवर्तन हुआ है, भू–उपयोग की बात की जा रही है। केवल आई0टी0 पार्क का और उद्यान के लिए भू–उपयोग आवासीय होगा या सारा भू–उपयोग आवासीय होगा, यह तो जरा बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमने विषयों का निस्तारण तो किया नहीं है। 200 से अधिक शिकायतें हमको मिली हैं और अपर सचिव, आवास की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और वो कमेटी ने अपना निर्णय सरकार को दिया है, इस पर विचार कर रहे हैं श्रीमन्, और विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि क्या सरकार मौजा धोरणखाल की जमीन को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिग्रहण से मुक्त की गयी थी, उसका भू–उपयोग पूर्व की भांति आवासीय करेगी, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं पुनः कह चुका हूँ कि इसके लिए अपर सचिव, आवास की अध्यक्षता मेंएक कमेटी सुनवाई कर रही है, उसने सुनवाई कर ली। 200 के अधिक शिकायतें आयीं और एक प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। अगर वो गुण–दोष के आधार पर उचित पाया जाता है तो निर्णय लिया जायेगा श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीनगर स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोटद्वार में किये जाने का प्रस्ताव

*11. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या 117/2011, दिनांक 06.02.2011 के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में किये जाने की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध मे हुयी प्रगति का विवरण क्या है ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2010 11 में प्रदेश के कुल मोटरमार्गों का डामरीकरण एवं स्वीकृत धनराशि

*12. श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010–11 मे प्रदेश के कुल कितने मोटर मार्गों के रख–रखाव तथा पेंटिंग व डामरीकरण हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृति कब जारी की गयी ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश अन्तर्गत अधिकांश मोटर मार्गों की स्थिति काफी खराब है ?

यदि हाँ, तो कुल कितने सड़कों की स्थिति खराब है तथा कब तक सड़कों की स्थिति मे सुधार किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2010–11 मे प्रदेश के कुल 5210 नं0 मोटर मार्गों (कुल लम्बाई 22618.27 कि0मी0, राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर) के रख–रखाव हेतु ₹ 3197.71 लाख तथा 376 नं0 मोटर मार्गों पर (कुल लम्बाई 835.55 कि0मी0) पेंटिंग/डामरीकरण से नवीनीकरण हेतु ₹ 6402.29 लाख अर्थात् कुल ₹ 9600.00 लाख स्वीकृत किये गयें यह स्वीकृतियां माह जून, जुलाई एवं दिसम्बर, 2010 में जारी की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रदेश के 13 नं0 राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव हेतु कुल ₹ 4812.00 लाख तथा 11 न0 राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेपित सतह नवीनीकरण हेतु ₹ 2395.99 लाख स्वीकृत किये गये। यह स्वीकृतियाँ माह जून, सितम्बर, 2010 तथा माह–जनवरी एवं मार्च, 2011 में जारी की गई।

आंशिक रूप से सत्य है। वर्ष 2010–11 की प्रदेश व्यापी दैवीय आपदा तथा पुनः वर्तमान वर्ष 2011–12 की अतिवृष्टि के कारण बार–बार होने वाले भू–स्खलन, भू–धसाव तथा जल कटान से मार्गो को अप्रत्याशित क्षति पहुँची है तथा राइडिंग क्वालिटी में ह्रास हुआ है।

प्रदेश में कुल 1488 मार्ग अतिवृष्टि के कारण से बन्द हुये थे, जिनमें से 1468 मार्गों को यातायात हेतु खोला जा चुका है अवशेष 20 मार्ग "ग्रामीण मार्ग" श्रेणी के है तथा आंशिक रूप से बन्द है। इन मार्गों को खोलने की कार्यवाही गतिमान है तथा शीघ्र ही यातायात हेतु उपलब्ध करा दिये जायेंगे। मार्गों की सतह पर सुधार का कार्य व हॉट मिक्स प्लॉन्ट द्वारा नवीनीकरण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा वर्तमान वर्किंग सीजन एवं शीतकाल के उपरान्त उपलब्ध होने वाले वर्किंग सीजन में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत लखवाड़ व्यासी परियोजना का आरम्भ तथा विद्युत उत्पादन

*13. **श्री कुलदीप कुमार**–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत लखवाड़ व्यासी परियोजना कब तक शुरू होने जा रही है और

कब तक इसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

तथा इससे कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

लखवाड़ व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना (420 मे0वा0) के व्यासी परियोजना भाग (120 मे0वा0) का निर्माण कार्य वर्ष, 2012 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

परियोजना की निर्माण अवधि 36 माह रखी गई है एवं परियोजना से लगभग वर्ष, 2015 तक उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

व्यासी परियोजना से कुल 375.24 मि0यू0 प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होने की सम्भावना है।

देहरादून अन्तर्गत पछवादून जल विद्युत परियोजनाओं से क्षतिग्रस्त पुल, रोड आदि का पुनर्निर्माण

*14. श्री कुलदीप कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पाछवादून क्षेत्र में बनाई गई जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत आम जनता को सुविधा हेतु बनाये गये पुल, रोड आदि के रख–रखाव के लिये कौन जिम्मेदार है ?

क्या उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा डाकपत्थर शक्ति नहर पर बने पुल नं0–1 जो पाँच वर्षों से क्षतिग्रस्त है का पुनर्निर्माण कब तक किया जायेगा ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद देहरादून के अन्तर्गत पछवादून क्षेत्र म बनाई गई जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत आम जनता को सुविधा हेतु बनाये गये पुल, रोड आदि का रख–रखाव वर्तमान मे यूजेवीएन लि0 द्वारा किया जाता है।

डाकपत्थर शक्ति नहर पर बने पुल नं0–1 के पुनर्निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर ली गई है तथा व्यय की स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से अनुरोध किया गया है स्वीकृति मिलने के पश्चात् पुल का पुनर्निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

प्रथम सत्र, 2010 के अता0 प्रश्न संख्या 01 के सन्दर्भ में जनपद पौड़ी के रा0इ0का0 बसन्तपुर में स्वीकृत कक्षों का निर्माण एवं कार्यवाही

1. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के द्वितीय शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–01 के सन्दर्भ मे क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, बसन्पुर (बसन्तपुर), पौड़ी गढ़वाल के लिए विधायक निधि से स्वीकृत कक्षा–कक्षों क निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रकरण के निस्तारणोपरान्त कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

राजकीय इण्टर कॉलेज बसन्तपुर, पौड़ी गढ़वाल के लिए विधायक निधि से स्वीकृत कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु जिला विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, बसन्तपुर को अपूर्ण कार्य का प्राकलन तैयार करने एवं शेष धनराशि ₹ 2.00 लाख के व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाने एवं नियमितीकरण पर विचार

2. श्री मयूख सिंह–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पी0आर0डी0 जवान अपनी मांगों को लेकर गत माह आन्दोलनरत थे ?

क्या सरकार उनके मानदेय बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने पर विचार कर रही है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री खजान दास–

जी हाँ।

वर्तमान मे प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) स्वयं सेवको का मानदेय ₹ 150.00 से बढ़ाकर ₹ 200.00 प्रतिदिन कर दिया गया है परन्तु इनको नियमित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के स्वयं सेवकों को नियमित किए जाने हेतु पी0आर0डी0 एक्ट में कोई व्यवस्था नही है।

जनपद पिथौरागढ़ में विगत तीन वर्षों में कुल शिक्षकों का स्थानान्तरण

3. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि गत तीन वर्षो में जनपद पिथौरागढ मे मा0 मंत्रियों/मा0 विधायको के आदेश/सिफारिश पर कितने शिक्षको के स्थानान्तरण हुये ?

क्या मंत्री जी स्थानान्तरण आदेशो की प्रति उपलब्ध करायेगे ?

क्या उक्त स्थानान्तरण नियमानुसार किये गये हैं ?

यदि नही, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ में विगत 3 वर्षों मे कोई भी स्थानान्तरण माननीय मंत्रियों/माननीय विधायकों के आदेश/सिफारिश पर नही किये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन हैलीपैड हेतु वन विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति कुल भू भाग

4. श्री मयूख सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन, हैलीपैड क्रमशः मुनस्यारी, मार्गीबौरा व कनालीछीना वन भूमि के अन्तर्गत निर्माणाधीन है ?

क्या वन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो कितने भू–भाग हेतु ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निस्तारण

5. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 की अवधि में अभी तक विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गम्भीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपनी तथा अपने परिजनों की बीमारी का उपचार प्रदेश से बाहर कराया गया है ?

शिक्षा विभाग मे ऐसे किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी देयक शासन को स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए है ?

क्या शिक्षा मंत्री यह भी अवगत हैं कि विभाग द्वारा शासन को प्रेषित चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी देयक शासन स्तर पर अभी तक लम्बित है ?

यदि हाँ, तो ऐसे प्रकरण कब से शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार इन लम्बित प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

13 कर्मचारियों के प्रकरण शासन को प्राप्त हुए थे, जिनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2009–10 का कोई भी प्रतिपूर्ति सम्बन्ध देयक शासन स्तर पर लम्बित नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत एन0एच0 74 बिन्दुखेड़ा से रा0इ0का0 रामनगर तक के प्रस्तावित मार्ग का निर्माण

6. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत एन0एच0–74 बिन्दुखेड़ा से रा0इ0का0 रामनगर तक मार्ग का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो मार्ग कब तक बन जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

शासन मे राज्य योजनान्तर्गत एन0एच0–74 के कि0मी0 209 से बिन्दुखेड़ा, रामपुर होते हुए गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मार्ग से रा0इ0का0 जयनगर तक चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का प्रस्ताव प्राप्त है।

मार्ग स्वीकृत नही है।

उपरोक्तानुसार।

पन्त नगर गदरपुर मोटर मार्गों का वर्ष अप्रैल, 2011 के बाद अनुरक्षण कार्य

7. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट कि विधान सभा क्षेत्र 60 पन्तनगर–गदरपुर में कौन–कौन से मार्गों का अनुरक्षण कार्य 01 अप्रैल, 2011 के बाद हुआ है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के पश्चात् विधानसभा क्षेत्र–पन्तनगर–गदरपुर के अन्तर्गत 04 मोटर मार्गों क्रमशः गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मोटर मार्ग, गदरपुर–गुलरभोज मोटर मार्ग, गदरपुर–रौदलीगंज मोटर मार्ग, बलरामपुर–कौशलपुर मोटर मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मदनापुर–करणपुर लिंक मार्ग के कि0मी0 4 व 5 में लम्बाई 1.50 कि0मी0 तथा लागत ₹ 12.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

8. श्री प्रेमानन्द महाजन–

द्वितीय सोमवार के अतारांकित–13 में स्था0।

जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना अन्तर्गत पूर्व मा0वि0 डुँगरी, हरड़ीखान, चौपता तथा तामाखानी आदि का प्रान्तीयकरण तथा उच्चीकरण

9. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि दिनांक 24.04.2011 को मा0 मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कनालीछीना भ्रमण पर पूर्व मा0वि0 डुँगरी के प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण की घोषणा की गयी है ?

क्या सरकार पू0मा0वि0 हरड़ीखान, चौपाता तथा तामाखानी का भी प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

मानकों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के मा0वि0 बजेटी तथा नैनी में समस्त स्टाफ एवं छात्रों की संख्या

10. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गत वर्ष उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालय बजेटी तथा नैनी में कुल कितने स्टाफ है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत तथा वर्तमान शिक्षा सत्र में कितने छात्रों को उक्त विद्यालयों में दाखिला दिया गया है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दोनों विद्यालयों के 01 कि0मी0 की परिधि में कितने सरकारी तथा गैर सरकारी हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ गत वर्ष राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजेटी में 023 स0अ0 एल0टी0 तथा रा0उ0मा0वि0 नैनी में स0अ0 एल0टी0 में 05 अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्त उच्चीकृत विद्यालयों में विगत एवं वर्तमान शिक्षा सत्र में निम्न छात्रों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया :–

उच्चीकृत विद्यालय का नाम	छात्र संख्या			
	विगत शिक्षा सत्र		वर्तमान शिक्षा सत्र	
	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 9	कक्षा 10
रा0क0उ0मा0वि0 बजेटी	00	00	16	00
रा0उ0मा0वि0 नैनीसैनी	03	00	14	03

उक्त दोनों विद्यालयों के 01 कि0मी0 की परिधि में कोई भी सरकारी तथा गैरसरकारी हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज नहीं है।

चम्पावत एवं लोहाघाट नगर में रिंग रोड के प्रस्ताव हेतु कार्यवाही

11. **श्री बीना महाराना–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जिला चम्पावत में मुख्य मार्ग एन0एच0–125 के चौड़ीकरण हेतु बरिदया से आगे मुख्य मोटर मार्ग के मध्य से 27 फीट नीचे घाटी की ओर व 33 फीट ऊपर पहाड़ी की ओर आधार लेकर पूर्व में चिन्हीकरण किया गया ?

क्या विभाग द्वारा मोटर मार्ग के मध्य से नीचे घाटी की ओर 10 मीटर व ऊपर पहाड़ी की ओर 10 मीटर आधार लेकर इसका पुनः चिन्हीकरण कराया गया ?

क्या इससे अधिकांश जनता प्रभावित हो रही है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार द्वारा जनहित में घनी आबादी चम्पावत नगर व लोहाघाट नगर क्षेत्र में रिंग रोड प्रस्तावित करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

जी नहीं।

भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत एवं लोहाघाट नगर में क्रमशः 7 कि0मी0 तथा 8 कि0मी0 रिंग रोड हेतु शासनादेश दिनांक 28.02.2004 द्वारा ₹ 216.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। चम्पावत में रिंग रोड के निर्माण का कार्य संरेखण विवाद के कारण समय से प्रारम्भ नहीं किया जा सका, जिसे प्रशासन के सहयोग से सुलझा लिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। लोहाघाट में रिंग रोड के अवशेष कार्य हेतु 1.025 कि0मी0 एवं कि0मी0 7 व 8 में दो सेतु के निर्माण हेतु पुनः शासनादेश दिनांक 20.09.2006 द्वारा ₹ 103.53 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोहाघाट में रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के वि0ख0 पाटी में डिग्री कॉलेज खोले जाने हेतु कार्यवाही

12. श्रीमती वीना महराना–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जिला चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20.02.2011 को पाटी में डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हॉं।

वर्तमान में पाटी नामक स्थान पर नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम सत्र, 2008 के अता0 प्रश्न संख्या 14 के सन्दर्भ में प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती

13. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती की जाने हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर गतिमान कार्यवाही का परिणाम क्या है तथा तबसे अब तक कितने प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों की तैनाती की जा चुकी है और शेष रिक्त पदों पर कब तक तैनाती की जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्ष, 2008 से अद्यतन प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पदों पर 238 एवं प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं के पदों पर 775 की पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जा चुकी है शेष रिक्त पदों पर कार्यवाही गतिमान है।

तृतीय सत्र, 2009 के अता0 प्रश्न संख्या 13 के सन्दर्भ में बीरोंखाल अन्तर्गत अवशेष कच्चे मार्गों के डामरीकरण की प्रगति का विवरण

14. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा बीरोंखाल के अन्तर्गत अवशेष कच्चे मार्गों के डामरीकरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी की जाने की सम्भावना है तथा इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त कच्चे मार्गों के डामरीकरण किये जाने की योजना है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के अनुक्रम में प्रकरण विधान सभा की मा0 आश्वासन समिति के समक्ष आश्वासन स0–145/2009 के रूप में विचाराधीन है। तथापि अवगत कराना है कि उक्तानुसार उत्तरित अतारांकित प्रश्न–13 के संलग्नक में उल्लिखित 13 कच्चे मार्गों में से 03 मार्गों में डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 03 मार्गों में कार्य प्रगति पर है। 01 मार्ग में डामरीकरण कार्य ए0डी0बी0 फेज–3 में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 06 मार्गों में डामरीकरण कार्य स्वीकृत नहीं है।

द्वितीय सत्र, 2009 के अता0 प्रश्न संख्या 09 तथा 14 के सन्दर्भ में प्रस्तावित क्रीड़ा स्थलों का निर्माण

15. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित

प्रश्न संख्या–09 तथा 14 के सन्दर्भ में क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नोत्तर में वर्णित/प्रस्तावित क्रीड़ा स्थलों के निर्माण हेतु की गई कार्यवाही और वर्तमान स्थिति/प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या वर्ष 2007–08 से अभी तक क्रीड़ा स्थलों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित नहीं हुई हैं ?

खजान दास–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–09 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी में 2007–08 एवं 2008–09 में प्रस्तावित सभी क्रीड़ा स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के राजकीय इण्टर कॉलेज, सीतारवाल तथा जनता इण्टर कॉलेज, कमलपुर को 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में पायका योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किया गया था। उक्त स्थलों पर पायका योजना के अन्तर्गत क्रीड़ा स्थलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वर्ष, 2009 से अब तक वाह्य सहायता एवं पारेषण परियोजना हेतु आवंटित धनराशि

16. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वाह्य सहायता के अन्तर्गत ए0डी0बी0 से वर्ष, 2009 से वर्तमान तक कितनी सहायता प्राप्त की गयी ?

उसमें से पारेषण परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित एवं व्यय की गयी तथा

अन्य कार्यों पर किन–किन मदो मे कितनी–कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

क्या सरकार ए0डी0बी0 के अन्तर्गत वाह्य सहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वाह्य सहायता के अन्तर्गत यूजेवीएन लि0 के द्वारा ए0डी0बी0 से वर्ष, 2009 से वर्तमान तक प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	शून्य
2010–11	3546
2011–12	शून्य

पारेषण परियोजना हेतु पिटकुल को आवंटित एवं उसके द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	शासन से प्राप्त की गयी धनराशि	पिटकुल द्वारा व्यय की गयी धनराशि
2009–10	16.88	16.88
2010–11	—	—
अप्रैल, 2011 से वर्तमान तक	13.45	12.05
योग	30.33	28.93

अन्य कार्यों हेतु शासन स्तर से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

परियोजना लागत बढ़ने अथवा परियोजना की क्षमता बढ़ने की स्थिति में यथा समय ए0डी0बी0 के अन्तर्गत वाह्य सहायता बढ़ाने पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सड़क कॉंग्रेस एवं भारतीय भवन कॉंग्रेस की सहायता/ अनुदान/अंशदान/राज सहायता की वर्ष, 2009 से वर्तमान तक की स्थिति एवं राशि बढ़ाये जाने पर विचार

17. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारतीय सड़क कॉंग्रेस एवं भारतीय भवन कॉंग्रेस की सहायता/अनुदान/अंशदान/राज सहायता की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष, 2009 से वर्तमान तक क्या स्थिति है ?

क्या सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कितनी और कब तक ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

भारतीय सड़क कॉंग्रेस हेतु सहायक अनुदान—अंशदान/राज्य सहायता की मद में वित्तीय वर्ष 2009—10, वर्ष 2010—11 एवं वर्ष 2011—12 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1.	2009—10	5.00	5.00	1.50
2.	2010—11	5.00	5.00	3.10
3.	2011—12	5.00	2.50	2.20

उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि निम्न मदों में व्यय की गयी :—

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2009—10	वर्ष 2010—11	वर्ष 2011—12
1.	भारतीय सड़क कॉंग्रेस	1.00	—	1.50
2.	भारतीय भवन कॉंग्रेस	—	0.10	0.10
3.	आई0एन0जी0/बाई0ए0बी0एस0ई0	0.30	1.50	0.60
4.	भारतीय सड़क कॉंग्रेस (एच.आर0बी0)	0.20	1.50	—
	योग—	1.50	3.10	2.20

उक्त धनराशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पन्तनगर गदरपुर मार्गों के मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव पर प्रगति

18. श्री प्रेमचन्द महाजन—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर—गदरपुर में कितने मार्गों के मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

क्या सरकार उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित मरम्मत/पुनःनिर्माण कार्यों के कुल 17 आगणन शासन स्तर पर प्राप्त है।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

रूद्रपुर से दिनेशपुर, जिला ऊ0सिं0 नगर में विद्युत लाईन बिछाये जाने पर कुल व्यय धनराशि

19. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि रूद्रपुर से दिनेशपुर (जिला ऊधमसिंह नगर) में एक बड़ी विद्युत लाईन बनायी गई ?

यदि हाँ, तो विद्युत लाईन बिछाये जाने में कुल कितना धन व्यय किया गया ?

क्या विद्युत लाईन का उपयोग हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ। 33 के0वी0 की लाइन वर्ष 2004–05 में बनायी गयी है।

विद्युत लाईन बिछाये जाने में ₹ 77.88 लाख का व्यय किया गया।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

गदरपुर एवं रूद्रपुर में आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों एवं उपकरणों की स्थिति

20. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि दिनांक 06 मई, 2010 को ऊधमसिंह नगर मे अत्यन्त विनाशकारी आँधी–तुफान आया था ?

यदि हाँ, तो विद्युत विभाग के विकास खण्ड गदरपुर व रूद्रपुर में कितनी क्षति हुई ?

क्या क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन व फुंके ट्रांसफार्मर ठीक कर दिये गये ?

यदि नहीं, तो क्षतिग्रस्त उपकरणों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

विकासखण्ड गदरपुर में 18.12 लाख एवं रूद्रपुर में 28.16 लाख की क्षति हुई।

तुफान से क्षतिग्रस्त 33 केवी आईटीबीटी, 33 केवी अशोक लिलेण्ड, 33 केवी रूद्रपुर, दिनेशपुर, 33 केवी बाजपुर, गदरपुर, 11 केवी रामनगर बगवाड़ा, रामबाग एवं गूलरभोज आदि पोषक एवं एल0टी0 लाईनों को ठीक कर दिया गया है तथा ग्राम विजयनगर, डलपुरा, बरान्हीपुर, कोपा चिद्दा तथा अलखदेवा के क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदल दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के रा0 हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती एवं रिक्त पदों का विषयवार विवरण

21. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन–कौन से राजकीय हाईस्कूल तथा राजकीय इण्टर कॉलेज है जिनमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी शिक्षकों की तैनाती है और ऐसे हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेजो की संख्या क्या हैं, जिनमें शिक्षकों के पद रिक्त है ?

उक्त रिक्त पदो पर कब तक शिक्षकों की तैनाती किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा जनपद में शिक्षकों के रिक्त पदो का विषयवार विवरण क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में रा0इ0का0 कण्डखाटी, रिंगवाड़ी, कलुली, स्वीत, दिउली, मोहनचट्टी, में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी प्रवक्ता तथा रा0इ0का0 धोबीघाट, कोटड़ीढांग, बल्ली, कीर्तीखाल, सिद्धपुर, खैरासैंण, दिउसी, सुमाड़ी, खोलाचौरी, नाहरसैंण, सतपालखाल, कमलपुर, पटोलिया, पिपली, कमान्द, कोटियार, दोमटखाल, पौड़ी नगर, निसणी, मौजखाल, लक्ष्मणझूला, गैण्डखाल, रा0का0 इ0का0 श्यामपुर, दुगड्डा, रा0 हाईस्कूल जुड्डाराठिगाल, कुल्हाड़, थल्दा, मुच्छियाली, बरखार, बैंगवाड़ी, शला, मरखोड़ा, श्रीकोट, गगवाली, उल्ली, उफल्डा, रा0क0हाईस्कूल पौड़ी नगर, लालपानी, में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी स0अ0 कार्यरत है।

जनपद पौड़ी के 153 विद्यालयों मे प्रवक्ता एवं स0अ0 के पद रिक्त है।

उक्त 153 विद्यालयों के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। शेष अभ्यर्थियों द्वारा अपने तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण पद रिक्त है तथा स0अ0 के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। जनपद पौड़ी मे 153 इण्टर कॉलेजो में प्रवक्ता हिन्दी–75, अंग्रेजी–36, संस्कृत–23, भौ0वि0–46, रसायन वि0–63, गणित–46, अर्थ0–54, ना0शा0–48, इतिहास–18, भूगोल–27, समाजशास्त्र–06, शिक्षाशास्त्र–03, कला–02, वाणिज्य–05, कृषि–01 तथा 242 रा0 हाईस्कूल तथा इ0 कॉलेजों में स0अ0 भाषा–95, अंग्रेजी–42, गणित–76, विज्ञान–74, सामान्य–83, कला–115, व्यायाम–60, कृषि–01, संगीत–03, गृहविज्ञान–01 तथा संस्कृत मे 04 पद रिक्त हैं।

22. श्री मयूख सिंह–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष, 2006 से अब तक प्रा0ख0लो0नि0वि0 द्वारा कुल निर्मित सड़कों पर बस एवं ट्रकों का संचालन

23. श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष, 2006 से अभी तक ऐसी कितनी सड़कों को निर्मित दर्शाकर उनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है किन्तु उक्त सड़कों पर पब्लिक सर्विस बस तथा बड़े ट्रकों का संचालन अभी तक नहीं हुआ है ?

क्या उक्त मार्ग भारी यातायात हेतु खोला जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

10 मोटर मार्ग।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों की हस्तान्तरण की स्थिति तथा गठित विकास प्राधिकरणों की आय व्ययक का विवरण

24. श्री ओम सिंह गुनसोला–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने आवास–विकास परिषद् का गठन कर लिया है तथा उ0 प्र0 सरकार से आवास विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों की हस्तान्तरण की क्या स्थिति है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के द्वारा वर्तमान अवधि तक कितने विकास प्राधिकरणों का गठन कर लिया गया है तथा प्रत्येक विकास प्राधिकरण की कुल आय–व्यय की स्थिति क्या है ?

क्या आवासीय कॉलोनियों को बनाने के लिए, लिए गये ऋणों का भुगतान समय पर किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री खजान दास—

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों का विभाजन दोनों राज्यों के सचिवों के मध्य दिनांक 31.10.2003 एवं 18.11.2004 को आहूत बैठक में हुई सहमति के आधार पर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान अवधि तक उत्तराखण्ड राज्य में तीन विकास प्राधिकरण गठित हैं, जिसमें से मसूरी—देहरादून एवं हरिद्वार विकास प्राधिकरण पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय से गठित है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

विकास प्राधिकरणों के वित्तीय वर्ष 2010—2011 तक कुल आय—व्यय की स्थिति निम्नवत् है :—

(लाख रुपये में)

विकास प्राधिकरण	आय	व्यय
मसूरी—देहरादून	6979.86	4857.85
हरिद्वार	4736.84	3000.02

टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का विधिवत् कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

प्राधिकरणों परवर्तमान में आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु कोई ऋण अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विद्यालय शिक्षा विनियम, 2008 में पारित नियमों के अन्तगत अशासकीय विद्यालयों में पदोन्नत की अर्हताएं

25. श्री मयूख सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2008 में पारित नियमों के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में पदोन्नति की अर्हता राजकीय शिक्षकों की भाँति ही घोषित की गयी है ?

क्या यह सत्य है कि अशासकीय विद्यालयों हेतु उ0प्र0 अधिनियम में दो संशोधन राजाज्ञा सं0 भा0/4428/15-72(13)-78, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि जिस विद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता कार्यरत है, वहां पर हिन्दी प्रवक्ता को बी0ए0 संस्कृत होना अनिवार्य नहीं होगा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अशासकीय विद्यालयों को उक्त लाभ यथावत् रखेगी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी

जी नहीं।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों मे उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम के अध्याय-दो, प्रस्तर 5 से 9 तक मे पदोन्नति प्रक्रिया प्रख्यापित है, जिसमे 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित है। पदोन्नति के लिये पद की उपलब्धता, पद रिक्ति की तिथि को अर्हता एवं पात्रता, रिक्ति की तिथि को 5 वर्ष की लगातार मौलिक सेवा आदि का प्राविधान है, जो कि राजकीय विद्यालयों से भिन्न है।

जी हॉं। पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 मे उक्त राजाज्ञा लागू थी, लेकिन वर्तमान मे उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विनियम में उक्त व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

विद्यालयी शिक्षा अधिनियम एवं विनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न होने के कारण।

पौड़ी के वि0ख0 कोट के बहेड़ाखाल में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला का निर्माण कार्य

26. श्रीमती अमृता रावत–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट क स्थान बहेड़ाखाल मे मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, गढ़वाल के निर्देशानुसार ग्रामवासियों द्वारा लगभग 60 नाली भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम करवाई गई है ?

यदि हॉं, तो अभी तकउक्त भूमि पर मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक प्रस्तावित मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला का निर्माण किया जायेगा ?

श्री खजान दास–

जी हॉं।

उक्त भूमि का सर्वेक्षण करने पर विदित हुआ है कि भूमि के समतलीकरण रिटेनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल मात्र पर ही लगभग ₹ 75.00 लाख का व्यय आ जायेगा। व्यय की अधिकता को देखते हुए सम्बन्धित को नयनित स्थल का नक्शा, खसरा संलग्न कर स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आख्या देने एवं प्राक्कलन तैयार करने हेतु आदेशित किया गया है इसके उपरान्त ही उक्त स्थल पर मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला का निर्माण किए जाने पर विचार किया जायेगा।

डीडीहाट वि0स0 के अधिवक्ता व नेता की टी0आर0सी0 पिथौरागढ़ में दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को सरकारी वाहन से हुयी मौत की सी0बी0आई0 जाँच

27. श्री मयूख सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0का0 दल से डीडीहाट विधानसभा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उ0का0 दल के वरिष्ठ नेता का दिनांक 11.12.2010 को संदिग्ध अवस्था में टी0आर0सी0 पिथौरागढ़ में एक सरकारी वाहन में हुयी मौत की क्या क्या सरकार सी0बी0आई जाँच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण की जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 को अभिदिष्ट है।

प्रदेश में कुल राजकीय मेडिकल की स्थापना तथा 15 हजार रु0 फीस में योजना के लाभान्वित छात्र छात्राओं का वर्षवार विवरण

28. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के द्वारा कितने राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना वर्तमान अवधि तक की गई है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत डाक्टरों को एक विशेष योजना के अनुरूप 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष की फीस निर्धारित है तथा कितने छात्र–छात्राओं के द्वारा इस योजना का लाभ अब तक लिया गया है तथा इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

क्या सरकार डाक्टरों को और अधिक सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान अवधि तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निम्न दो राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है।

(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर, गढ़वाल।

(2) राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर, गढ़वाल में शिक्षण शुल्क ₹ 15,000 का लाभ लेने वाले एम0बी0बी0एस0 छात्र–छात्राओं का विवरण निम्नवत् है :–

प्रवेश का वर्ष	छात्र/छात्राओं की संख्या
2008–09	100
2009–10	100
2010–11	100
2011–12	92

(यू0पी0एम0टी0–2011 प्रवेश परीक्षा के उपरान्त अन्तिम काउंसिलिंग की प्रक्रिया गतिमान है। द्वितीय काउंसिलिंग तक आवंटित 100 सीटों के सापेक्ष अभी तक 92 छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है)

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का राजकीयकरण 01.05.2010 से किया गया है, इससे पूर्व यह मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था। शिक्षण शुल्क ₹ 15,000 का लाभ लेने वाले एम0बी0बी0एस0 छात्र–छात्राओं का विवरण निम्नवत् है :–

प्रवेश का वर्ष	छात्र/छात्राओं की संख्या
2008–09	94
2009–10	98
2010–11	99
2011–12	87

(यू0पी0एम0टी0–2011 प्रवेश परीक्षा के उपरान्त अन्तिम काउंसिलिंग की प्रक्रिया गतिमान है। द्वितीय काउंसिलिंग तक आवंटित 100 सीटों के सापेक्ष अभी तक 87 छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है)

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने पर कार्यवाही गतिमान है।

सूचना तंत्र को सार्थक बनाने हेतु सभी विकास खण्डों को जोड़ने की व्यवस्था पर कार्य प्रगति

29. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार सूचना तंत्र को सार्थक बनाने हेतु सभी विकास खण्डों को पूर्ण रूप से जोड़ने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में निर्माणाधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

सहकारिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र के नाम से सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में कोई योजना निर्माणाधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों के सहायतार्थ कल्याण निधि की स्थापना पर विचार

30. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार खिलाड़ियों के सहायतार्थ कल्याण निधि की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

दुर्घटना या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में इस कोष से सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक वार्षिक पेंशन के रूप में प्रदान करने पर विचार करेगी ?

क्या सरकार इस हेतु खिलाड़ियों को वर्गीकृत करने पर भी विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री खजान सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दुर्घटना या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री राहत/विवेकाधीन कोष से सुविधा प्रदान की जा सकती है।

वि0ख0 बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकश्वर के अन्तर्गत महिला मंगल दलों एवं युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान का विवरण

31. श्रीमती अमृता रावत–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथाएकेश्वर के अन्तर्गत किन–किन महिला मंगल दलों को कितनी–कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान कब–कब किया गया है तथा किन–किन युवक मंगल दलो को कितने–कितने मूल्य का खेल आदि का सामान कब–कब दिया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अवशेष महिला मगल दलों और युवक मगल दलो को कब तक इन योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा ?

श्री खजान दास–

1. वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलो को ₹ 2000.00 प्रति की दर से खेलकूद सामग्री ढोलक, दरी एव चिमटा आदि हेतु प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई :–

विकास खण्ड बीरोखाल–महिला मंगल दल (वर्ष 2009–10)

1. कोरकन्डाई, 2. सिराई, 3. चोरखिण्डा, 4. भरसो, 5. ककरोड़ा, 6. बन्दोली, 7. रगूंसी, 8. कमलिया, 9. फरसाड़ी, 10. अरकन्डाई, 11. मेलधार, 12. खैतोली, 13. मरेला, 14. डुमैला मला, 15. दौण्ड, 16. डुमैला तल्ला, 17. डुलमोट, 18. सेरा, 19. ढौर, 20. धोबीघाट, 21. सीली तल्ली, 22. गुडिण्डा, 23. जिवई, 24. कोलरी, 25. कोटा, 26. द0 बैजरो, 27. तैलीपख्योली, 28. थापला, 29. सुकई, 30. सनरगाली, 31. सिमलाख्योली, 32, नाकुरी, 33. बगासा मल्ला, 34. रिखाड़, 35. ढंगा, 36. कैलाड़, 37. कन्दोला, 38. रगड़ीगाड़।

विकास खण्ड बीरोखाल–युवक मंगल दल (वर्ष 2009–10)

1. सिरवाड़, 2. खलधार, 3. ढौर, 4. नौगाव, 5. धोबीघाट, 6. डुमैला मल्ला, 7. थापला, 8. कोटा, 9. रगड़ीगाड़, 10. तैलीपख्योली, 11. बगासा मल्ला, 12. डुमैला तल्ला, 13. मेलधार, 14. कन्दोला, 15. बगासा म0, 16, गीन, 17. खतौली, 18. द0 बैजरो, 19. कमलिया, 20. पंचराड़।

विकास खण्ड बीरोखाल–महिला मंगल दल (वर्ष 2010–11)

1. पचराड, 2. जाखड़ी, 3. मैठाना, 4. चोपता, 5. थापला, 6. जसपुर, 7. कथड़ी, 8. कनेरा, 9. मेलधार, 10. खतौली, 11. छुमलोट, 12. बूढ़ाकोट, 13. बुगंधार, 14. कर्मलिया, 15. मारा, 16. छुमलोट, 17. भतार्गों मल्ला, 18. ढौण्ड, 19. कोलिण्डा, 20. मटेला, 21. कण्डूली बड़ी, 22. कोरकान्डई, 23. मासी, 24. दुबलाण, 25. देवकान्डई, 26. जामरी, 27. बयेड़ा।

विकास खण्ड बीरोखाल–युवक मंगल दल (वर्ष 2010–11)

1. भरपूर बड़ा, 2. देवकान्डई, 3. महादेव सैण, 4. छुमेला तल्ला, 5. पनास, 6. अरकन्डई, 7. सीला तल्ला, 8. चौबटा, 9. डिस्याणी, 10. भौराड, 11. नौगाव, 12. कण्डूली बड़ी।

विकास खण्ड पोखड़ा–महिला मगल दल (वर्ष 2007–08)

1. लखाड़ी, 2. एरोली, 3. कमेड़ी, 4. ल्वीता, 5. रौडियाधार, 6. किमगड़ी, 7. सिलेथ, 8. पणिया, 9. हडकोट, 10. सण्डियाल, 11. गडरी प्रथम, 12. सासाई, 13. बीणामल्ली, 14. बड़ेथ, 15. बगड़ीगाड, 16. राकनौली, 17. बीणाधार, 18. साल्ड, 19. ओड़गाव, 20. भेटी, 21. मालकोट, 22. जजेड़ी 23. पाण्ड, 24. गुडिण्डा, 25. अणखण्डा, 26. बौन्दर, 27. मथालगांव, 28. दाथा, 29. सौण्डल, 30. सलाण।

विकास खण्ड पोखड़ा–युवक मंगल दल (वर्ष 2007–08)

1. पोखड़ा, 2. श्रीकोट, 3. देवराड़ी, 4. साल्ड, 5. गडोली, 6. कुण्ज, 7. मेलगाव, 8. भरामोली, 9. असलोट, 10. बीणागाड, 11. चोपड़ा, 12. भदूली, 13. मजगांव बरगूर, 14. माल्ड बड़ा, 15. बोरगाव, 16. झलपाड़ी, 17. खेडगाव, 18. पाली, 19. गवाणा।

विकास खण्ड पोखड़ा–महिला मगल दल (वर्ष 2008–09)

1. चमनाऊ, 2. श्रीकोट, 3. सिलेथ, 4. सडियाल, 5. किमगड़ी अन्दपुर, 6. गवाणा, 7. असलोट, 8. बीणामल्ली, 9. पोखड़ा, 10. मदूली, 11. भरामोली, 12. कुण्ज, 13. राकनौली, 14. धरतोली, 15. मेलगाव, 16. गडरी कोला, 17. गडरी किमगड़ी, 18. कोला, 19. जजेड़ी, 20. बगड़ीगाड, 21. सासाई, 22. दलमाणा, 23. गवाणी 24. हडकोट, 25. पाली, 26. गडोली, 27. चोपड़ा, 28. देवराड़ी मल्ली, 29. नाई।

विकास खण्ड पोखड़ा–युवक मंगल दल (वर्ष 2008–09)

1. दलमाणा, 2. सासाई, 3. बड़ेथ, 4. बीणाधार, 5. सिलेथ, 6. देवराड़ी, 7. हडकोट, 8. बगड़ीगाड, 9. पोखड़ा, 10. गवाणी, 11. पणिया, 12. साल्ड।

<u>विकास खण्ड पोखड़ा–युवक मंगल दल (वर्ष 2009–10)</u>

1. दलखण्डा, 2. असलोट, 3. बड़ेथ, 4. मसमोली, 5. बगड़ीगाड, 6. गड़रीकाला, 6. कोला, 8. मांसाई, 9. पाण्डा, 10. देवराड़ी तल्ली, 11. भदूली, 12. धरतोली, 13. मयालगाव, 14. रौडिगाधार, 15. रावनोली, 16. दाथा, 17. गुडिण्डा, 18. बीणाधार, 19. जजेड़ी, 20. खेड़गाव, 21. पोखड़ा जिनौरा, 22. मझगाव नौबटा, 23. गड़री किम उमीला, 24. गवाणी, 25. कुई, 26. सिलेथ, 27. माल्ड बड़ा, 28. लाखोली, 29. बीणामल्ली, 30. बोरगांव, 31. बीणागाड, 32. मालकोट, 33. बोन्दर, 34. कुण्ज, 35. मेलगाव।

<u>विकास खण्ड पोखड़ा–युवक मंगल दल (वर्ष 2009–10)</u>

1. देवराड़ी, 2. राल्ड, 3. गड़ोली, 4. गवाणी, 5. भदूली, 6. श्रीकोट, 7. सिलेथ, 8. बमनाऊ, 9. मजगाव, 10. पणिगा, 11. ल्वीता, 12. गवाणी, 13. ओडगांव, 14. भेटी, 15. हड़कोट, 16. सौण्डल, 17. एरोली, 18. गड़री किम।

<u>विकास खण्ड पोखड़ा–महिला मगल दल (वर्ष 2010–11)</u>

1. मेलगांव, 2. पोखड़ा, 3. मसमोली, 4. गड़रीखोला, 5. बगड़ीगाड, 6. मजगांव नौबटा, 7. हड़कोट, 8. गड़रीकिम, 9. नाई, 10. किमगड़ी, 11. खेड़गाव, 12. धरतोली, 13. कुण्ज, 14. कोला, 15. गवाणी।

<u>विकास खण्ड पोखड़ा–युवक मंगल दल (वर्ष 2010–11)</u>

1. सिलेथ, 2. जजेड़ी, 3. भदूली, 4. पणिगा, 5. ओडगांव, 6. पोखड़ा, 7. माल्ड बड़ा।

<u>विकास खण्ड एकेश्वर–युवक मंगल दल (वर्ष 2010–11)</u>

1. भरपूर, 2. गोर्ली, 3. रिगवाड़ी, 4. मुडियाफ, 5. मालई, 6. रणरवा, 7. पाल्यरी, 8. बग्याली, 9. सिजोली।

<u>विकास खण्ड एकेश्वर–महिला मंगल दल (वर्ष 2010–11)</u>

1. कुलासू, 20 घरासू, 3. मासौ थपलियाल, 4. पुरोली, 5. थापल मल्ला, 6. कोटा, 7. ग्वाड मल्ला, 8. पचूर, 9. मुसासू, 10. नौगाव, 11. चैधार, 12. काण्डई, 13. कगशुन, 14. बाड़ेली, 15. बड़ोली धूर, 16. हलूण, 17. पांथर, 18. डियूल्ड, 19. ईड़ा मथाल्सू, 20. इसोटी. 21. सांगलाकोटी, 22. सुन्ना, 23. बड़ोली, गरसू।

2. शेष युवक एवं महिला मगल दलों को आगामी वर्षों में योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

वि0 क्षे. बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के अन्तर्गत क्रीड़ा स्थल/मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला हेतु स्वीकृत धनराशि तथा लम्बित प्रस्तावों के निस्तारण का विवरण

32. श्रीमती अमृता रावत–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष, 2007–08 से अब तक क्रीड़ा स्थल/मिनी स्टेडियम अथवा व्यायामशाला निर्माण हेतु कब–कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

और किन–किन स्थानों/ग्राम सभाओं में क्रीड़ा स्थल/मिनी स्टेडियम अथवा व्यायामशालाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव/प्रत्यावेदन विभाग के पास विचाराधीन लम्बित हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन लम्बित प्रस्तावों का निस्तारण कब तक किया जायेगा ?"

श्री खजान दास–

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 से अब तक निम्नानुसार क्रीड़ा स्थल/मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

स्थल का नाम जहां मैदान निर्माण किया गया है	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	
1	2	3	
वि0ख0 बीरोंखाल			
1. रा0इ0का रिमली	2007–08	जि0यो0	2.00
2. रा0इ0का बैंजीख्याल	2007–08	जि0यो0	2.00
3. ग्रा0 प0 बड़ाखाल्डा	2008–09	पायका	1.00
4. ग्रा0पं0 समरोली	2008–09	पायका	1.00
5. ग्रा0 प0 काण्डामल्ला	2008–09	पायका	1.00
6. ग्रा0 प0 मेलधार	2008–09	पायका	1.00
7. ग्रा0 पं0 बंदरकोट	2008–09	पायका	1.00
8. ग्रा0 प0 लाछी	2008–09	पायका	1.00
9. ग्रा0 प0 पनास	2008–09	पायका	1.00
10. ग्रा0 प0 काण्डातल्ला	2008–09	पायका	1.00
11. ग्रा0 पं0 सिराई	2008–09	पायका	1.00
12. ग्रा0 प0 मगरौ	2008–09	पायका	1.00
13. ग्रा0 प0 रिमडी	2008–09	पायका	1.00
14. ग्रा0 प0 कमडई	2008–09	पायका	1.00

1	2	3	
15. ग्रा0 प0 अरकण्डई	2008–09	पायका	1.00
16. ग्रा0 प0 घोडापाला	2008–09	पायका	1.00
17. ग्रा0 प0 पंचराड	2008–09	पायका	1.00
18. ग्रा0 प0 डुमैलामल्ला	2008–09	पायका	1.00
19. ग्रा0 प0 सीलीमल्ली	2009–10	पायका	1.00
20. ग्रा0 प0 गोरखिण्डा	2009–10	पायका	1.00
21. ग्रा0 प0 दरियामैजरों	2008–09	पायका	1.00

वि0ख0 बीरोखाल

1. श्री हंसराज जी महाराज, रा0इ0का0 पोखड़ा	2007–08	जि0यो0	2.00
2. रा0उ0मा0वि0 गडरी	2007–08	जि0यो0	2.00
3. गडरी (किमगडी)	2009–10	पायका	1.00
4. किमगाडी	2009–10	पायका	1.00
5. गमाणी	2009–10	पायका	1.00
6. कोला	2009–10	पायका	1.00
7. गडरीकोला	2009–10	पायका	1.00
8. पोखड़ा	2009–10	पायका	1.00
9. नगडीगाड	2009–10	पायका	1.00
10. राल्ड	2009–10	पायका	1.00
11. दांथा	2009–10	पायका	1.00
12. चोपड़ा	2009–10	पायका	1.00

वि0ख0 एकेश्वर

1. पौडख्याल	2007–08	जि0यो0	2.00
2. जू0हा0 मदमोली	2007–08	जि0यो0	2.00
3. ग्राम प0 परासू	2009–10	पायका	1.00
4. ग्राम प0 रणस्या	2009–10	पायका	1.00
5. ग्राम प0 नौगांव	2009–10	पायका	1.00
6. ग्राम प0 मलेठी	2009–10	पायका	1.00
7. ग्राम पं0 गोर्ली	2009–10	पायका	1.00
8. ग्राम प0 डोभल	2009–10	पायका	1.00
9. ग0पं0 नौमासूधार	2009–10	पायका	1.00
10. ग्र0पं0 मैडगांव	2009–10	पायका	1.00
11. ग्र0पं0 ग्वाडतल्ला	2009–10	पायका	1.00
12. ग्राम पं0 स्योली	2009–10	पायका	1.00
13. ग्राम प0 पाताल	2009–10	पायका	1.00
14. ग्राम प0 मौन्दाडी	2009–10	पायका	1.00
15. ग्राम प0 मुरासू	2009–10	पायका	1.00

1	2	3	
16. ग्राम प0 नहेश	2009–10	पायका	1.00
17. क्षेत्र प0 एकेश्वर	2009–10	पायका	5.00

विकासखण्ड बीरोंखाल एवं एकेश्वर में निम्न स्थलों पर क्रीड़ा स्थलों के निर्माण के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिन्हें पायका के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा रहा है :—

विकासखण्ड बीरोंखाल

1. फरसाड़ी
2. कदोला
3. स्यूंसी
4. दौंर
5. ग्वीनबड़ा
6. तैली पल्योली
7. कोटा
8. जिवई
9. ढिस्याणी
10. सिदुणी बड़ी
11. रा0इ0का0 बैंजरों
12. पसोल
13. पनास
14. चोरखिण्डा
15. रिसाड
16. स्ससियामहादेव

विकासखण्ड पोखड़ा

1. मजगांव
2. गडोली
3. रोड़ियाधार
4. देवराड़ी मल्ली
5. खण्डियाल
6. जजेड़ी

7. नगदीप मिल्कन एकेडमी जू0हा0 कमेडी, रौडियारखाल

8. नमनाऊ

<u>विकासखण्ड एकेश्वर</u>

1. कोटा
2. पंचूर
3. गमोली
4. कुरस्याल
5. सांगलाकोटी
6. सारौं
7. कुलासू
8. भण्डारी
9. रा0उ0मा0वि0 सिमारखाल
10. सतपाली
11. नकोली

विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला निर्माण हेतु प्रस्ताव/प्रत्यावेदन विभाग के पास विचाराधीन लम्बित नहीं है। विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम नकोली के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में मानक अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद

33. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों मे मानकों के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद खाली हैं ?

क्या यह सत्य है कि रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां दिये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

राज्य में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षिक श्रेणी के 334 पद सृजित हैं, सृजित पदों के सापेक्ष 165 पद भरे गये हैं एवं 169 पद रिक्त हैं।

जी नहीं। संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदो मे नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक निर्धारित अर्हता रखने वाले शिक्षकों की संविदा पर तैनाती की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पौड़ी में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदले जाने की कार्यवाही

34. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन–कौन से गांव है जिनके ट्रान्सफारमर वर्ष 2010–11 तथा इसके पूर्व में क्षतिग्रस्त हुए है और अभी तक इन क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमरों को बदला नही गया है तथा

कब तक उक्त ट्रान्फारमरों को बदल दिया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ग्राम जशोधरपुर, बडेथ, महेली, खडेथ एवं ढगल गाव के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुये है तथा विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल एवं पौड़ी के अन्तर्गत दिनाक 01.04.2010 से पूर्व एवं वर्ष 2010–11 तक क्षतिग्रस्त हुये सभी ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा कोई ट्रांसफार्मर बदलना शेष नही है।

विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त उक्त ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदल दिया जायेगा।

सरकार द्वारा संचालित जल विद्युत गृहों के मरम्मत हेतु संचालित कम्पनी

35. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि सरकार के द्वारा संचालित जल विद्युत गृहो की मरम्मत का कार्य किसी बाहरी कम्पनी के द्वारा किया जा रहा है ?

यदि हॉ, तो उक्त कम्पनी द्वारा कौन–कौन से जल विद्युत गृहों को इस मरम्मत कार्य में सम्मिलित किया है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

यूजेवीएन लि0 के अन्तर्गत संचालित अधिकांश जल विद्युत गृहों मे भारत सरकार की प्रतिष्ठित कम्पनी मै0 बीएचईएल द्वारा मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विद्युत गृहो में मरम्मत का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा अथवा निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार पर मै0 बीएचईएल के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों से भी कराया जा रहा है।

मै बीएचईएल द्वारा खोदरी, चीला, तिलोथ, धरासू एव छिबरो जल विद्युत गृहो की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

राज्य के माध्यमिक शिक्षकों से भिन्न पदों पर कार्यरत शिक्षकों की जनपदवार संख्या तथा असंगत विषयों के प्रति संगत विषयों में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव

36. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अनेक विषय शिक्षक असंगत विषय के प्रति कार्यरत है ?

यदि हॉ, तो क्या यह सत्य है कि उनके विषय के पद अनेक विद्यालयों में रिक्त चले आ रहे है ?

यदि हॉ, तो विषय शिक्षक से भिन्न पदो पर कार्यरत शिक्षकों की जनपदवार संख्या क्या है, उनके विषय से सम्बन्धित जनपदों म कितने पद रिक्त चले आ रहे हैं तथा जनपद में सम्बन्धित विषय के पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षकों को असंगत विषय के प्रति कार्यरत रखने का औचित्य एव उद्देश्य क्या है और इसके प्रति कौन–कौन उत्तरदायी है ?

क्या सरकार असंगत विषय के प्रति कार्यरत शिक्षकों को उनके संगत विषय के प्रति समायोजित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हॉ।

जी हॉ।

असंगत विषय मे कार्यरत शिक्षकों को संगत विषय के रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती हेतु कार्यवाही गतिमान है।

जी हॉ।

पौड़ी अन्तर्गत रा0क0इ0का0 थलीसैंण में छात्र संख्या तथा प्रवक्ताओं की तैनाती का अनुपातिक आधार

37. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में छात्र संख्या क्या है तथा इस विद्यालय मे कितने प्रवक्ताओ की नियुक्ति/तैनाती हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं ?

क्या जनपद के सभी राजकीय इण्टर कॉलेजों में इसी छात्र संख्या के अनुपात के आधार पर प्रवक्ताओं कि नियुक्ति/तैनाती की गयी है ?

यदि हां, तो छात्र संख्या तथा नियुक्त/तैनात प्रवक्ताओ की संख्या का विद्यालयवार विवरण क्या है ?

यदि नहो, तो क्यो और अल्प छात्र संख्या पर इतने प्रवक्ताओं की नियुक्ति/तैनाती करने का आधार क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड के अन्तर्गत रा0क0इ0का0 पोखरी मे कुल छात्र संख्या–47 है तथा 06 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2007 08 से अब तक क्रय किये गये विद्युत पोलों तथा ट्रांसफार्मरों की संख्या तथा धनराशि का जनपदवार विवरण

38. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य मे वर्ष 2007–08 से अब तक क्रय किए गये विद्युत पोलों तथा ट्रांसफार्मरो की जनपदवार संख्या क्या है तथा

विद्युत पोलों तथा ट्रांसफार्मरों के क्रय करने पर व्यय की गयी धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रयोग में लाए गए तथा अवशेष विद्युत पोलो तथा ट्रांसफार्मरो की जनपदवार संख्या क्या है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष 2007–08 से वर्तमान तक कुल 220460 नग विद्युत पोल एवं 11797 नग ट्रांसफार्मर क्रय किये गये। विद्युत पोलों एवं ट्रांसफार्मरों का क्रय जनपदवार नहीं किया जाता है।

विद्युत पोलों एवं ट्रांसफार्मरों के क्रय करने पर व्यय की धनराशि का विवरण संलग्नक–क † के अनुसार है।

प्रयोग में लाये गये विद्युत पोलों एवं ट्रांसफार्मरों एवं गढ़वाल क्षेत्र के अवशेष विद्युत पोलों एवं ट्रांसफार्मरों की जनपदवार सूचना संलग्नक–ख † के अनुसार है। कुमाऊँ क्षेत्र के अवशेष पोलों एवं ट्रांसफार्मरों की केन्द्रीय भण्डारण केन्द्र के अनुसार संलग्नक–ग † के अनुसार है।

बजट के सापेक्ष लो0नि0 विभाग में वर्ष 2008–09 के बजट भाग का उपयोग तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु किये गये उपाय

39. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 में लोक निर्माण के अन्तर्गत पारित बजट के सापेक्ष कुल कितने बजट के भाग का उपभोग किया गया तथा कितना शेष रहा ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2009–10 के लिए पारित सभी स्रोतों से बजट का वर्तमान अवधि तक कितना उपयोग किया गया है ? यदि कम किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के पास अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, बार–बार टैण्डरों के निरस्त होने, विभागीय व्यवस्था में पारस्परिक सामंजस्य के अभाव तथा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्राप्त न होने विषयक समस्याओं के निराकरण हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में लोक निर्माण के आय–व्ययक में विभिन्न योजनाओं में कुल प्राविधानित ₹ 1302.54 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष ₹ 1090.49 करोड़ अर्थात 84 प्रतिशत का उपभोग किया गया है तथा अवशेष ₹ 212.05 करोड़ के बजट को समर्पित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण के आय–व्ययक में विभिन्न योजनाओं में कुल प्राविधानित बजट ₹ 1250.26 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1158.80

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–253 से 255 पर)

करोड़ अर्थात 93 प्रतिशत का उपयोग किया गया तथा अवशेष 91.46 करोड़ के बजट को समर्पित किया गया।

बजट समर्पण करने का प्रमुख कारण ए0डी0बी0 फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में बार–बार निविदा आमंत्रित किये जाने तथा ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण तथा नये कार्यों तथा अधिष्ठान मदों में भी बचत अवशेष होना रहा है। विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी की पूर्ति तथा विभागीय व्यवस्था में पूर्ण सामंजस्य लाये जाने की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। विभागीय टेण्डरों के निस्तारण हेतु समय–2 पर निविदा समिति द्वारा बैठकों का आयोजन कर टेण्डर निस्तारण हेतु आवश्यक प्रयास/कार्यवाही की जाती है। वनभूमि हस्तान्तरण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु वन विभाग के साथ निरन्तर आवश्यक समन्वय एवं प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में समस्त ऊर्जा का उपयोग तथा उत्पादन अन्य स्रोतों से प्राप्त बिजली व दरें

40. जोत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी ऊर्जा का उपभोग उद्योगों–प्रतिष्ठानों सभी कामर्शियल तथा घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है ?

इसके सापेक्ष ऊर्जा विभाग के द्वारा कुल कितना उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है ?

कमी होने पर सरकार कितनी बिजली बैंकिंग से प्राप्त करती है तथा कितनी अन्य स्रोतों से ?

साथ ही सामान्य समय पर बिजली किन दरों से प्राप्त की जाती है तथा पीक आवर्स में इसकी दर क्या होती है ?

सरकार को प्रतिदिन जल विद्युत गृहों से कुल कितनी बिजली प्राप्त होती है तथा किस दर पर उत्पादन होता है ?

तथा ग्रिड को किस दरों पर दिया जाता है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रदेश में ऊर्जा उपभोग का विवरण निम्नानुसार है :–

उपभोक्ता श्रेणी	वर्ष 2010—11 में उपभोग
घरेलू	1484.84 मि0यू0
अघरेलू	812.62 मि0यू0
उद्योग	4197.72 मि0यू0
निजी नलकूप	183.02 मि0यू0
मिश्रित भार	20.86 मि0यू0
अन्य	451.62 मि0यू0
कुल योग	7250.68 मि0यू0
वितरण हानियां	1998.74 मि0यू0
वितरण हेतु कुल विद्युत की आवश्यकता	9249.42 मि0यू0

यूजेवीएन लिमिटेड के अन्तर्गत वृहद्, मध्यम एवं लघु जल विद्युत गृहों से विगत 03 वर्षों के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :—

2008—09	2009—10	2010—11
4612.62 मि0यू0	4126.04 मि0यू0	4906.34 मि0यू0

कमी होने पर उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से विगत वर्ष 2010—11 में 321.45 मि0यू0, खुले बाजार से निविदा के माध्यम से 238.00 मि0यू0 प्राप्त की गई है तथा उत्तरी ग्रिड से 634.08 मि0यू0 ओवरड्राल कर विद्युत की कमी की पूर्ति की जाती है।

उत्तरी ग्रीड से ओवरड्राल करते समय विद्युत दर, अधिकतम आवृत्ति (Frequency) 50.20 हर्ट्ज र रु0 शून्य एवं न्यूनतम आवृत्ति 49.50, ₹ 8.73 प्रति यूनिट होती है। दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से क्रय की गयी ऊर्जा की दर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि सामान्य समय तथा पीक आवर्स में सामान्यतः एक समान रहती है।

जल विद्युत गृहों से पानी की उपलब्धता के अनुरूप बिजली उत्पादन किया जाता है एवं वर्ष 2010—11 में लगभग 8.5 मि0यू0 से 21.5 मि0यू0 तक प्रतिदिन विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ तथा औसतन दैनिक उत्पादन 13.42 मि0यू0 हुआ। जिसका मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित औसतन विद्युत टैरिफ 102.73 पैसे प्रति यूनिट है।

ग्रिड में दी जाने वाली विद्युत की दर आवृत्ति (Frequency) 50.20 हर्ट्ज पर 30 शून्य एवं न्यूनतम आवृत्ति 49.50 हर्ट्ज ₹ 8.73 प्रति यूनिट होती है।

दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से क्रय की गयी ऊर्जा की दर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि सामान्य समय तथा पीक आवर्स में सामान्यतः एक समान रहती है।

जल विद्युत गृहों से पानी की उपलब्धता के अनुरूप बिजली उत्पादन किया जाता है एवं वर्ष 2010—11 में लगभग 8.5 मि0यू0 से 21.5 मि0यू0 तक प्रतिदिन विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ तथा औसतन दैनिक उत्पादन 13.42 मि0यू0 हुआ। जिसका मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित औसतन विद्युत टैरिफ 102.73 पैसे प्रति यूनिट है।

ग्रिड में दी जाने वाली विद्युत की दर आवृत्ति (Frequency) पर आधारित होती हैं अधिकतम आवृत्ति 50.20 हर्ट्ज पर 30 शून्य एवं न्यूनतम आवृत्ति 49.50 हर्ट्ज रु0 8.70 प्रति यूनिट होती है।

वर्ष 2009 10 के वित्तीय में आय व्ययक की वर्तमान मदों के सापेक्ष व्यय अधिक होने के कारण अन्य मदों में की गयी कटौती

41. श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या वित्तीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2009—10 के वित्तीय वर्ष में आय—व्ययक की वर्तमान मदों के अतिरिक्त आय को किन स्रोतों से बढ़ाया गया है तथा आय के सापेक्ष व्यय अधिक होने की वजह से किन—किन मदों में कटौती की गयी है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय तथा विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय की सूचना आय—व्ययक के खण्ड—2 के रूप में सदन के पटल पर रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2009—2010, 2010—2011 एवं वर्ष 2011—2012 का आय—व्ययक सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

लो0नि0वि0 में कार्यरत् प्रभारी अधिशासी अभियन्ताओं को स्थायी अभियन्ता बनाये जाने हेतु कार्यवाही का विवरण

42. श्रीमती अमृता रावत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग के किन—किन खण्डों में कौन—कौन अधिशासी अभियन्ता प्रभारी के रूप में कब—कब से कार्यरत् हैं ?

तथा इन्हें स्थायी अधिशासी अभियन्ता बनाए जाने की दिशा मे सरकार द्वारा किये गये प्रयासों औ उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक इन प्रभारी अधिशासी अभियन्ताओं को स्थायी अधिशासी अभियन्ता बनाया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भूवन चन्द्र खण्डूड़ी—

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों मे प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्यरत् अभियन्ताओ का विवरण संलग्न है।†

वर्तमान मे मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या—45/एस0बी0/2010 विनोद प्रसाद नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 25.02.11 एवं 06.07.11 के अनुपालन में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है।

उपरोक्तानुसार।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रा0आ0 शोध संस्थान के प्राचार्य द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित पत्र पर की गयी कार्यवाही

43. श्री प्रेमाचन्द महाजन—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्राचार्य वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रा0आ0 शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को सम्बोधित और उनके पृष्ठांकित पत्र संख्या—मे0का0/2011—12/1259, दिनाक 08.07.2011 प्राप्त हुआ है ?

यदि हॉ, तो पत्र मे दिये गये प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है और प्रस्ताव के बिन्दुओ पर सहमति प्रदान कर दी है ?

यदि नहीं तो क्यों ? कब तक प्रस्ताव के बिन्दु स्वीकार कर लिये जायेंगे ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भूवन चन्द्र खण्डूड़ी—

जी हॉ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

44. श्री जोत सिंह गुनसोला—

द्वितीय सोमवार के अता0—21 में स्था0।

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या—256 पर)

राज्य की खेल नीति के तहत सुविधा व विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये कार्य

45. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की खेल नीति के तहत खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण हेतु क्या–क्या कार्य किये गये हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री खजान दास–

राज्य की खेल नीति के तहत खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न कार्य किये गये/किये जा रहे है :–

- जनपद देहरादून के परेड ग्राउण्ड में बॉक्सिंग रिंग एवं शेड का निर्माण
- जनपद देहरादून के पवेलियन ग्राउण्ड का जीर्णोद्धार कार्य।
- जनपद हरिद्वार में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्य।
- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जी0आई0एण्डटी0आई0 श्रीनगर में स्टेडियम का निर्माण
- जनपद चमोली के पीपलकोटी मे स्टेडियम का निर्माण।
- जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के नैनबाग मे अनुसूचित जातिएवं जनजाति योजना के अन्तर्गत बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण किया जा रहा है।
- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी मे गौलापार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल कॉम्पलेक्स का शिलान्यास हो चुका है। निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।
- जनपद पौड़ी के रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।
- जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय पर ही विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण कराया जाता है। अल्मोड़ा में विभाग का स्टेडियम स्थापित एवं संचालित है। खेल विभाग की प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत विभिन्न खेलों में जनपद के बालक/बालिकायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विधान सभा भिकियासैंण क्षेत्र में खेल विभाग को कोई प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

शहद हुए व्यक्तियों के नाम पर मोटर मार्गों, चिकित्सालयों तथा अन्य योजनाओं का नामकरण

46. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट और साल्ट में प्रतिवर्ष क्रमशः 19 अगस्त एवं 5 सितम्बर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उन महान शहीदों, जिन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया, के नाम पर क्षेत्र के मोटर मार्गों चिकित्सालयों या अन्य सरकारी योजनाओं का नामकरण करेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्तमान में इस विषय पर कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अधिनियम के कारण लम्बित मोटर मार्ग तथा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

47. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कौन–कौन से प्रस्तावित अथवा स्वीकृत मोटर मार्ग कब से वन अधिनियम के कारण किस स्तर पर लम्बित है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नोडल ऑफिस देहरादून द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग, लखनऊ से स्वीकृति हेतु क्या–क्या प्रयास किये गए।

तथा मोटर मार्गों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत 74 मार्गों से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण के प्रकरण निम्न वर्णित स्तरों पर लम्बित है :–

जिलाधिकारी स्तर पर	डी0एफ0ओ0 स्तर पर	मुख्यवन सरक्षक स्तर पर	नोडल अधिकारी स्तर पर	भारत सरकार स्तर पर	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त	आपत्तियों में वापस प्राप्त	कुल योग
03	03	14	14	24	07	09	74

(मार्गवार विवरण संलग्न है) †

वनभूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में एक राज्य सलाहकार समूह द्वारा राज्य के 05 हैक्टेयर से 40 हैक्टेयर तक के समस्त विकास परियोजनाओं के मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु नोडल ऑफिस, देहरादून के माध्यम से देहरादून में समय–समय पर बैठक आयोजित कराई जाती है, जिसमें लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों पर विभाग द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है।

सम्बन्धित मार्गों हेतु वनभूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पौड़ी के अन्तर्गत एकेश्वर के सुरखेत नामक स्थान पर स्टेडियम बनाये जाने पर विचार

48. श्री मयूख सिंह–

क्या खेल मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर की पट्टी मवालस्यूँ के अमेली पर्वत श्रृखला की तलहटी में सुरखेत नाम स्थल है ?

क्या यह सत्य है कि यहां एक लम्बा चौड़ा मैदान जो लगभग 1 कि0मी0 लम्बा व 1/2 कि0मी0 चौड़ा है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज स्थानों को विकसित किये जाने तथा प्रदेश में प्रतिभावान युवकों को खेल–कूद से जोड़ने के लिए उक्त स्थान पर स्टेडियम बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

श्री खजान दास–

जी हॉ।

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–257/261 पर)

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

49. श्री केदार सिंह रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

राज्य स्थापना 2010 11 तक पंजीकृत एवं नवीनीकरण की गयी सोसाइटियां

50. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्ड अधिनियम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत राज्य स्थापना वर्ष से 2010–2011 तक की अवधि मे प्रत्येक वर्ष जिलेवार कुल कितनी–कितनी सोसाइटीज पंजीकृत की गई तथा वर्षवार कितनो का नवीनीकरण किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी चिट फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत राज्य स्थापना वर्ष से 2010–2011 तक की अवधि मे जनपदवार पंजीकृत की गयी तथा वर्षवार नवीनीकृत की गयी सोसाइटीज का विवरण अनुलग्नक–1 व 2 पर अवलोकनीय हैं। †

चिट फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत एक मात्र चिट संचालित की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

लो0नि0वि0 द्वारा क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर श्योली का पुनः निर्माण

51. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पण्डोल–जड़दादेवी–श्योली से रीठाखाल तक मोटर मार्ग बनाते समय सिंचाई नहर श्योली पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है ?

---

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या–262–263 पर)

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सिंचाई नहर को किसानों को सिंचाई की सुविधा पुनः उपलब्ध करवाने हेतु यथाशीघ्र बनवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्तमान में उक्त क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यथाशीघ्र।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण की जिम्मेदारी का संचालन एक निगम द्वारा किये जाने पर विचार

52. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार उत्तराखण्ड में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था को एक ही निगम के अन्तर्गत संचालित किये जाने पर निर्णय लेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के कारण।

53. श्री केदार सिंह रावत–

तृतीय मंगलवार के अतारांकित–9 में स्था0।

जनपद उत्तरकाशी में मानकों के अनुरूप कुल उच्चीकृत/स्थापित विद्यालय

54. श्री केदार सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम/रमसा के तहत निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदेश में वर्तमान सत्र से ही विभिन्न स्तरीय विद्यालयों का उच्चीकरण/स्थापना होनी है ?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी में मानकों के अनुरूप कौन–कौन से विद्यालय स्थापित/उच्चीकृत किये जाने हैं एवं कौन–कौन से उच्चीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष कब तक उच्चीकृत किये जायेंगे ?

क्या सरकार इस सम्बन्ध मे कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में कोई भी नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नहीं है। जनपद उत्तरकाशी मे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 17 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों को रा0उ0 मा0 विद्यालयों में उच्चीकरण किया जा चुका है। शेष विद्यालय हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बड़कोट एवं चिन्यालीसौड़ महाविद्यालय की भूमि एवं भवन प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्य प्रगति

55. श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि बड़कोट एवं चिन्यालीसौड़ महाविद्यालय की भूमि व भवन प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु मा0 विधान सभा पीठ से दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को निर्देश हुए थे ?

यदि हाँ, तो क्या प्रकरण में अभी तक कोई प्रगति हुई ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नही उठता।

प्रथम सत्र, 2010 के अता0 प्रश्न संख्या 09 के सन्दर्भ में रा0इ0का0 बड़ेथखाल के रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही का प्रगति विवरण

56. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम शुक्रवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–09 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट

करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, बड़ेथाल्याल, पौड़ी गढ़वाल के रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी और शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदाई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

रा0इ0का0 बड़ेथाल्याल, पौड़ी गढ़वाल में प्रवक्ता 04 रिक्त पद के सापेक्ष 02 पदों (रसायन/हिन्दी) पर नियुक्ति कर दी गयी है तथा स0अ0 04 रिक्त पद के सापेक्ष स्नातक वेतनक्रम एल0टी0 में नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है शिक्षक मानकानुसार तैनात किये जा रहे हैं।

प्रथम सत्र, 2010 के अतारा0 प्रश्न संख्या 10 के सन्दर्भ में प्रदेश के प्राइमरी से इण्टर कॉलेज तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रगति का विवरण

57. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के द्वितीय शुक्रवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी से इण्टर कॉलेज तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्राथमिक विद्यालयों में रिक्ति की पूर्ति हेतु कार्यवाही गतिमान है प्रवक्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष विभिन्न विषयों में 1513 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। सहायक अध्यापक एल0टी0 1962 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। स0अ0 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्रता टी0ई0टी0 परीक्षा सम्पन्न की जा चुकी है। परीक्षाफल प्राप्ति के पश्चात् जनपदों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत व्यासघट्टी में साधन सहकारी समिति का स्थलीय निरीक्षण एवं किराये हेतु भुगतान की गयी धनराशि तथा अवशेष भुगतान हेतु कार्यवाही

58. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के तृतीय मंगलवार को उत्तरित अतारांकित

प्रश्न संख्या–06 के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान ग्यारसबट्टी मे साधन सहकारी समिति का अपना भवन न होने की पुष्टि एवं वास्तविकता की जानकारी हेतु किस अधिकारी द्वारा कब स्थलीय निरीक्षण किया गया है

तथा ग्यारसबट्टी मे समिति का संचालन किसके भवन पर किया जा रहा है एवं अब तक किराए के रूप में कितनी धनराशि भवन स्वामी को कब–कब भुगतान की गई है ?

क्या ग्यारसबट्टी में समिति का अपना भवन न होने की पुष्टि सम्बन्धित पट्टी पटवारी तथा क्षेत्रीय ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नही, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि साधन सहकारी समिति ग्यारसबट्टी के विरुद्ध ₹ 17926.21 का भुगतान अवशेष चला आ रहा है ?

यदि हाँ, तो इस अवशेष भुगतान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

स्थान ग्यारसबट्टी में साधन सहकारी समिति लि0 ग्यारसबट्टी का अपना भवन न होने की पुष्टि एवं वास्तविकता की जानकारी हेतु अपर जिला सहकारी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2009 को तथा जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2011 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

समिति का संचालन स्थान ग्यारसबट्टी मे किसी भी व्यक्ति के भवन से नही करते हुये अन्य स्थानों से किया जा रहा है। अब तक किराये के रूप में भवन स्वामी श्री रमेश चन्द्र कुकरेती को माह अक्टूबर, 1993 से जनवरी, 2002 तक ₹ 18,000, श्री सुल्तान सिंह को माहफरवरी, 2002 से फरवरी, 2004 तक ₹ 5,000 तथा श्री विनोद कुमार रावियाल को माह सितम्बर, 2010 से मार्च, 2011 तक ₹ 24,400 मात्र का भुगतान किया गया है।

जी हाँ, पट्टी पटवारी से रिपोर्ट भी प्राप्त है।

पट्टी पटवारी बनेलस्यूँ की रिपोर्ट दिनांक 08 दिसम्बर, 2009 मे उल्लेख किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में समिति के नाम भूमि दर्ज नही है।

प्रश्न नही उठता।

जी हाँ।

उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के द्वारा निर्गत वर्ष 2009–10 की मांग सूची मे समिति पर ₹ 97,960.21 मूलधन तथा ₹ 81,302 ब्याज, कुल ₹ 1,79,262.21 अवशेष चला आ रहा है।

समिति के स्वामित्व में कथित भवन एवं भूमि दर्ज न होने तथा समिति अभिलेखों में कथित धनराशि देय दर्शित न होने के कारण समिति स्तर से उनका बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

वैट के अन्तर्गत वापसी का अनुपात तथा वैट लागू होने के बाद अब तक दी गयी कुल धनराशि

59. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वैट के अन्तर्गत वापसी अनुपात क्या है तथा वैट लागू होने से लेकर वर्ष 2010–11 तक कितनी राशि इस मद में दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड राज्य में वैट लागू होने से मार्च, 2011 तक वैट के रूप में ₹ 10,545.23 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है तथा इसके विरूद्ध उक्त अवधि में ₹ 52.22 करोड़ की वापसी की गयी, जो कुल प्राप्ति का 0.495 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य आन्दोलनकारियों की जनपदवार सूची तथा चिन्हीकरण की वस्तुस्थिति

60. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य स्थापना से वर्ष 2010–11 तक चिन्हित सभी राज्य आन्दोलनकारियों की सूची प्रत्येक जिलेवार क्या है तथा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की वस्तुस्थिति क्या है ?

क्या सरकार चिन्हीकरण का कार्य बन्द कर रही है ?

यदि नहीं, तो चिन्हीकरण का कार्य कब तक पूरा करेगी ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में चिन्हित राज्य आन्दोलकारियों की संख्या जनपदवार निम्नवत् है :–

1. चमोली–786

2. चम्पावत–210

3. बागेश्वर–72

4. पिथौरागढ़–303

5. नैनीताल–458

6. रूद्रप्रयाग–159

7. अल्मोड़ा–220

8. टिहरी–449

9. उत्तरकाशी–2027

10. देहरादून–4350

11. ऊधमसिंह नगर–292

12. पौड़ी–557

13. हरिद्वार–22

राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2011 तक निर्धारित की गयी थी।

प्रश्न नही उठता।

जल विद्युत निगम मनेरी भाली धरासू तथा शक्तिपुरम कॉलोनी चिन्यालीसौड़ में कुल नियमित/संविदा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या

61. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जल विद्युत निगम के मनेरी भाली फेज–2, पॉवर हाउस, धरासू तथा शक्तिपूरम कॉलोनी चिन्यालीसौड में कुल कितने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है

तथा इनमे कितने नियमित और कितने संविदा पर हैं ?

दोनो श्रेणियो में नियमित व संविदा पर कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है ?

क्या सरकार स्थानीय बेरोजगार युवको को रोजगार दिये जाने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मनेरी भाली फेज–2, पॉवर हाउस, धरासू तथा शक्तिपूरम कॉलोनी, चिन्यालीसौड में (नियमित एवं उपनल के माध्यम से) तृतीय श्रेणी के 115 एवं चतुर्थ श्रेणी एवं सुरक्षा हेतु 140 अर्थात् कुल 255 कार्मिक कार्यरत हैं।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 120 कार्मिक नियमित तथा 135 कार्मिक संविदा (उपनल के माध्यम से) पर कार्यरत है।

दोनों श्रेणियों में नियमित एवं संविदा पर कार्यरत 231 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मनेरी भाली चरण 1 एवं 2 का वर्ष 2007 से 2011 तक विद्युत उत्पादन का विवरण एवं प्राप्त राजस्व तथा रख रखाव में व्यय

62. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली चरण1 व 2 में वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक फेजवाइज कितना विद्युत का उत्पादन हुआ ?

इससे विभाग को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

व कितना धन अवस्थापना मद में व्यय हुआ तथा कितना धन रख–रखाव व अन्य में व्यय हुआ ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मनेरी भाली चरण 1 एवं 2 में वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक फेजवाईज विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :–

(मि0यू0 में)

विद्युत गृह	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
मनेरी भाली–1	466.14	403.80	449.08	504.39
मनेरी भाली–2	31.53	1044.95	1198.04	1335.96

प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नवत् है :–

विद्युत गृह	प्राप्त राजस्व (लाख ₹ में)	
	मनेरी भाली–1 (तिलोथ)	मनेरी भाली–2 (धरासू)
2007–08	2781.88	1125.00
2008–09	2538.01	28265.00
2009–10	3837.08	30778.00
2010–11	3987.00	29580.00

अवस्थापना एव अन्य मदों में व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	मनेरी भाली–1 (तिलोथ)		मनेरी भाली–2 (धरासू)	
2007–08	12.36	2894.47	18948.95	703.32
2008–09	28.84	3345.17	363.23	18055.30
2009–10	1121.33	2594.98	3006.56	16460.11
2010–11	369.07	2645.09	769.94	16509.35

जनपद पौड़ी अन्तर्गत ग्राम खाण्डा मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति एवं कार्यवाही

63. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अनुसूचित जाति बस्ती के ग्राम खाण्डा को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई है ?

उक्त ग्राम को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक ग्राम खाण्डा को मोटर मार्ग से जोड़ा जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

ग्राम खाण्डा को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु शासनादेश सं0–830/III(2)/08–29(प्रा0आ0)/2007, दिनांक 24–03–2008 के द्वारा लम्बाई 1.500 कि0मी0 लागत ₹ 25.87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु पहाड़ कटान कार्य के लिए अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा स्वीकृत लम्बाई मे मोटर मार्ग का निर्माण माह 03/2012 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

पुरोला अन्तर्गत झाकुली दूचाणू कण्डासीधार मोटर मार्ग का निर्माण

64. श्री राजेश जुवांठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष, 2006 में टिकोची मोटर पुल से झाकुली–दूचाणू–कण्डासी धार मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया था, जिसका अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हॉ।

जी हॉ।

वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

पुरोला के अन्तर्गत कुल स्वीकृत मोटर मार्ग एवं कार्य आरम्भ न किये जाने का कारण एवं प्रगति

65. श्री राजेश जुवांठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कितने मोटर मार्ग स्वीकृत है ?

क्या स्वीकृत मोटर मार्गों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है ?

यदि नही, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन मोटर मार्गों पर कार्य शुरू हो चुके हैं उनकी प्रगति क्या हैं ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

55 मोटर मार्ग स्वीकृत हैं।

वर्तमान तक 27 मोटर मार्गों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

28 अनारम्भ मोटर मार्गों में से 10 मार्गों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 05 मार्गों हेतु संरेखण अनुमोदित किया गया है।

अवशेष 13 मार्गों में से 03 मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ते हैं। 01 मार्ग पी0एम0जी0एस0 वाई फेज–7 में स्वीकृत हो गया है। 01 मार्ग (मोरी से ओडाटा तक) का निर्माण मार्ग संरेखण में खड़ी चट्टाने होने एवं हेयरपिन बैण्ड बनाये जाने हेतु कोई स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नही पाया गया है। 08 मार्गों के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य बाधित है।

वर्तमान तक 06 मोटर मार्गों मे शत–प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है तथा 21 मोटर मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। मार्गवार भौतिक प्रगति विवरण संलग्न है। †

---

† (देखिये संलग्नक 'च' आगे पृष्ठ संख्या–264–265 पर)

कृषि विषय को प्राइमरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार

66. श्री ओत सिंह गुनसोला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार कृषि पर आधारित विषयों को प्राईमरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेगी ?

यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

कृषि पर आधारित विषयों को पूर्व से ही निम्नवत् शामिल किया गया है :–

(1) कक्षा 1 से 8 तक कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम संचालित है।

(2) कक्षा 9 से 10 में कृषि अतिरिक्त विषय के रूप में संचालित है।

(3) कक्षा 11 एवं 12 मे कृषि वर्ग के रूप में संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत स्वीकृति हेतु लम्बित मोटर मार्गों का विधान सभा वार विवरण

67. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावित मोटर मार्गों का विधान सभा वार विवरण क्या है, जिनके आगणन स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लम्बित है ?

उक्त आगणन कब से किस स्तर पर लम्बित है तथा इन मार्गों के निर्माण/डामरीकरण हेतु कब तक स्वीकृतियां जारी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के आठ विधानसभा क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 192 कार्यों के आगणन शासन स्तर पर प्राप्त हैं। विधानसभा वार विवरण सलग्न है। †

कार्य स्वीकृत नहीं है।

---

† (देखिये संलग्नक 'क' आगे पृष्ठ संख्या–266 पर)

शिक्षा बन्धु/शिक्षा मित्र का स्थानान्तरण, समायोजन/सम्बद्धीकरण का आधारित नियम

68. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा बन्धु/शिक्षा मित्र का स्थानान्तरण, समायोजना अथवा सम्बद्धीकरण किसी अन्य विद्यालय में किया जा सकता है ?

यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर ?

यदि नहीं, तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के राजकीय इण्टर कॉलेज मुण्डनेश्वर मे कार्यरत शिक्षा बन्धु को जनपद टिहरी गढ़वाल मे सम्बद्ध किए जाने का औचित्य एवं उद्देश्य क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भ बतायेगे कि नियम के विरुद्ध सम्बद्धीकरण किए जाने के प्रति कौन उत्तरदाई है तथा इस सम्बद्धीकरण को कब तक निरस्त किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में सम्बद्धीकरण किया गया है।

सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी अन्तर्गत वन अधिनियम के कारण रूके मार्गों का विवरण

69. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मत्री बताने का कष्ट करेगे कि जनपद पिथौरागढ विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी के अन्तर्गत वर्ष, 2008 से 2011 तक ऐसे कौन–कौन से स्वीकृत मोटर मार्ग है, जिनका निर्माण वन अधिनियम के प्रतिबन्धो के कारण प्रारम्भ नही हो पा रहा है या निर्माण कार्य रूका है ?

क्या मत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन मोटर मार्गों की स्वीकृतिया किन–किन शासनादेशो के द्वारा कितने–कितने कि0मी0 के लिए जारी की गई है तथा वन भूमि हस्तानान्तरण हेतु प्रस्ताव कब–कब प्रस्तुत किया गया है और वन भूमि हस्तानान्तरण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामो का मार्गवार विवरण क्या है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

08 मोटर मार्ग।

विवरण संलग्न है।

विवरण संलग्न है। †

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत सेराघाट में हिमालया हाइड्रो पॉवर में कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के टनल का निर्माण

70. श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेराघाट में हिमालया हाइड्रो पॉवर कम्पनी से पॉवर हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी अवगत है कि उक्त कम्पनी द्वारा वन विभाग की अनुमति के बिना 1 कि0मी0 टनल का निर्माण नियमों की अनदेखी कर लिया गया है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 1 कि0मी0 टनल का निर्माण वन विभाग के समझौते के अनुसार किया गया है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

परियोजना के पॉवर चैनल हेतु 1.290 हैक्टेयर भूमि स्वीकृत है। पर्यावरण, परियोजना एवं ग्रामवासियों के हित के दृष्टिगत 0.100 हैक्टेअर भूमि में टनल का निर्माण किया गया।

स्वीकृत भूमि के जिस भाग पर 400 मीटर टनल का निर्माण किया गया है, उसकी स्वीकृति का प्रकरण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र सं0 2302/1–जी/1000 (पिथौ0), दिनांक 10.03.2011 के द्वारा मुख्य संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

वि0स0 धारचूला के रॉथी जुम्मा खेला खेत मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति

71. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के रॉथी–जुम्मा–खेला–खेत तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रथम चरण की स्वीकृत शासनादेश संख्या 5519, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है ?

† (देखिये संलग्नक 'ज' आगे पृष्ठ संख्या–267 पर)

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

प्रश्न नही उठता।

मसूरी शहर को नैनीताल के समान बी 2 श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

72. श्री गणेश जोशी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि मसूरी शहर को नैनीताल के समान बी–2 श्रेणी में शामिल किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा मसूरी मे कार्यरत कर्मियो की विभागवार, श्रेणीवार सूची के साथ शहर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण सभी विभागो द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है ?

यदि हॉ, तो मसूरी शहर को बी–2 श्रेणी मे शामिल किये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

शहरो के वर्गीकरण के निर्धारित मानको के आलोक मे प्रकरण का परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

उक्तानुसार।

उत्तरकाशी अन्तर्गत दिवारीखोल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नवोदय विद्यालय हेतु भवन निर्माण एवं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति

73. श्री केदार सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड, दिवारीखोल में राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय पूर्ववर्ती सरकार के समय मे स्वीकृत था ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय वर्तमान मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नवोदय विद्यालय के नाम से संचालित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय हेतु भवन निर्माण व स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

यथासमय

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में जल विद्युत निगम द्वारा संचालित/निर्माणाधीन परियोजनाओं में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु नीति

74. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत निगम द्वारा संचालित अथवा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं मे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की कोई नीति सरकार द्वारा बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उद्योग विभाग के आदेश के अनुसार उद्योगों मे राज्य के निवासियों को रिक्तियों के सापेक्ष 70% रोजगार दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र धारचूला के ग्रामों/तोकों में लो वोल्टेज की समस्या एवं निदान

75. श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के कितने ग्रामो तथा तोकों में लो–वोलटेज की समस्या है ?

क्या वर्ष, 2011 में विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लो वोल्टेज की समस्या का निदान कर दिया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के 18 ग्रामों एवं तोकों में लो–वोल्टेज की समस्या है।

वर्ष 2011–2012 में 13 ग्रामों एवं तोकों में लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष ग्रामों एवं तोकों में वर्ष 2012–2013 में लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत सेराघाट से बौना एवं कैंठी बैण्ड से बसन्तकोट उच्छैंती स्वीकृत मोटर मार्ग के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि

76. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में सेराघाट से बौना व कैंठी बैण्ड से बसन्तकोट उच्छैंती मोटर मार्ग का निर्माण टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो विभाग को कब तक धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

शासनादेश सं0–513/III–2/11–11(प्रा0आ0)/2011, दि0 31.03.2011 के द्वारा टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत सेराघाट से बौना मोटर मार्ग लम्बाई 15.00 कि0मी0 + 02 सेतु लागत ₹ 195.54 लाख तथा शासनादेश सं0–5266/III–2/11–13(मु0म0घो0)/2011, दि0 03.10.2011 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत कैंठी बैण्ड से बसन्तकोट उच्छैंती मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 कि0मी0 लागत ₹ 107.40 लाख की स्वीकृति प्रथम चरण के कार्यों हेतु प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तगत सेराघाट आलम दारमा पैदल मार्ग में झूला पुल की स्वीकृति

77. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेराघाट आलम दारमा पैदल माग में झूला पुल स्वीकृत किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

कार्य की स्वीकृति गुण–दोष एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 धारचूला में लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली उत्पादन एवं लाभान्वित ग्रामों की संख्या

78. श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कुल कितनी लघु विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

तथा कितने ग्रामसभा इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में कितनी परियोजनायें बन्द हैं तथा उनके बन्द होने के क्या कारण है ?

सरकार कब तक इन योजनाओं का पुनर्निर्माण कर बिजली उत्पादन प्रारम्भ करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में निम्न लघु जल विद्युत परियोजनायें उत्पादनरत् हैं :–

एजेन्सी	परियोजना का नाम	क्षमता
यूजेवीएन लि0	कन्चौटी	2 मे0वा0
	रेलागाड़	3 मे0वा0
उरेडा	भिकुरियागाड़	500 कि0वा0
निजी क्षेत्र	मोतीघाट	5 मे0वा0

इनसे लगभग 49 ग्रामसभायें लाभान्वित हो रही हैं।

वर्तमान में धारचूला क्षेत्र में यूजेवीएन लि0 की 04 लघु जल विद्युत परियोजनायें (कुलागाड़–1.2 मे0वा0, छिरकिला–1.5 मे0वा0, सुरिनगाड़–0.8

मे0वा0 एवं सोबला–8.0 मे0वा0) भूस्खलन, अतिवृष्टि, मशीन में ब्रेकडाउन इत्यादि के कारण बन्द है।

उपरोक्त चार लघु जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्निर्माण वर्ष 2012–2013 तक होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में एम0ए0. ड्राईंग एवं एम0एस0सी0. बॉयोटेक कक्षाओं के संचालन हेतु की गयी घोषणा पर कृत कार्यवाही

79. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या 116/2011, दिनांक 06.02.2011 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल मे एम0ए0 ड्राईंग व एम0एस0सी0 बॉयोटेक कक्षायें संचालित किए जाने की घोषणा की गयी थी ?

इस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

पदों के सृजन के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विगत ढाई वर्षों में हुए मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं अवशेष कार्यों का विवरण

80. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विगत ढाई वर्षों में किन–किन मोटर मार्गों का कितने–कितने कि0मी0 डामरीकरण किया गया है ?

और डामरीकरण के लिए अवशेष मोटर मार्गों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक इन अवशेष मोटर मार्गों का डामरीकरण किया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विगत ढाई वर्षों में मोटर मार्गों पर हुये डामरीकरण का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	डामरीकरण (कि0मी0)
1.	डाण्डाधार–जैती मोटर मार्ग	4.50
2.	शिशु मन्दिर नानारौम मोटर मार्ग	0.750
3.	तपाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग	9.80
4.	बलुवाकोट–न्यौगापौडी मोटर मार्ग	4.20
5.	राथी मोटर मार्ग–प	2.00
6.	कालिका–बजानी मोटर मार्ग	1.00
7.	दर–सोबला मोटर मार्ग	2.00

डामरीकरण हेतु अवशेष कार्यों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	डामरीकरण (कि0मी0)
1.	डाण्डाधार–जैती मोटर मार्ग	1.50
2.	दराती–तल्ला दुम्मर मोटर मार्ग	1.00
3.	तपाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग, कि0मी0 33	1.00
4.	बलुवाकोट–पैंगापौडी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन व डामरीकरण	0.200
5.	दोबाट–राथ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन व डामरीकरण	0.500
6.	कालिका–बजानी–खुमती हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन एवं डामरीकरण	1.00
7.	जौलजीवी–मुनस्यारी मोटर मार्ग के कि0मी0 12 से गोरीपुल तक डामरीकरण	0.900

अवशेष मोटर मार्गों का डामरीकरण मौसम अनुकूल होने पर माह अप्रैल/मई, 2012 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा उच्ची दुग्गा, जम्कु, धामी, दारमा आदि तोकों का विद्युतीकरण

श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के ग्राम स्तर में उच्ची दुग्गा, जम्कु, दुक्कु, गगुर्वा, नेटा, खूरा, खेला, सिरिना, स्यॉकुरी, ऐला, जुम्मा, जामनी, नाग, पालपला, खातापोली, रैंजानी, नालपानी, कूला, सौंला, लालगाड़ा, रॉथो, घनदुॅगा, खौरी, जाराजिबली, बदानी, मेतली, खेतीखान, दुलीगैर देवलेक, भटमला, गुंजीगैर ग्राम सभा पागला

विकास खण्ड मुनस्यारी में ग्राम सभा माणी धामी, नरानी, गणकोअ, आलम, दारमा आदि तोकों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

क्या सरकार उक्त ग्राम सभा के तोकों में विद्युतीकरण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के ग्राम सभा खेत में उभी ढुंग्गा, जम्कू में दुक्कु, गगुर्वा, नेटा, घूरा, खेला, सिरिना, स्यॉकुरी, ऐला, जुम्मा, जामुनी, नाग, पालपला, स्यातपोली, रैजानी, नालापानी, कूला, सौसा, लालीगाढ़ा, सॉथी, धनदुँगा, स्यौरी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ये ग्राम प्रस्तावित नही है। ग्राम सभा जार जिबली में विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है।

इसका तोक नरानी में वन क्षेत्र एवं अत्यधिक दूरी के कारण विद्युतीकरण प्रस्तावित नही है।

ग्राम सभा मेतली के तोक खेतीखान, दुलीगैर, देवलेक, मल्भटा, बुड़ीगैर पागल में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष, 2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम माणी धामी के तोक नरानी एवं गणकोअ में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

ग्राम आलम में विद्युतीकरण का कार्य उरेडा द्वारा किया गया है तथा ग्राम दारमा पूर्व से विद्युतीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत ग्राम सभा जाराजिबली, मेतली, कनार में विद्युतीकरण के उपरान्त विद्युत कनेक्शन दिये जाने का कारण

82. श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के ग्राम सभा जाराजिबली, मेतली, कनार में लगभग 3–4 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा विद्युतीकरण हेतु विद्युत पोल तथा तार लगा दिये गये थे ?

क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम के आस–पास समस्त ग्राम कई वर्ष पूर्व विद्युतीकृत हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त ग्राम को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

तथा उक्त ग्राम को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के ग्राम सभा जारजिमली, मेतली के स्यालधार, कादल, लोल, थोलीधार, तल्लागांव एवं कनार के गोगई में पोल तथा लाईन निर्माण वर्ष, 2008 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कर दिया गया था।

जी हाँ।

ग्राम मेतली में उपभोक्ताओं के द्वारा काफी समय तक विद्युत कनेक्शन के आवेदन विभाग को प्राप्त नही हुये। विभाग द्वारा कनेक्शन लेने हेतु कई बार कैम्प एवं बैठकों के माध्यम से ग्रामवासियों को अवगत कराया गया, परन्तु विद्युत कनेक्शन न लिये जाने के कारण एवं दैवीय आपदा आने के कारण लाईन क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वर्तमान में ग्राम मेतली में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है एवं उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्य ग्रामों एवं तोकों में 165 बी0पी0एल0 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

इस विलम्ब के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नही है।

उक्त ग्राम को शीघ्र विद्युतीकृत किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला एवं मुनस्यारी में स्वीकृत मोटर मार्ग तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने का कारण

83. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी के अन्तर्गत कौन–कौन से स्वीकृत मोटर मार्ग हैं जिन पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किन कारणों से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण स्थिति में है ?

क्या उक्त मोटर मार्गों की स्वीकृति धनराशि का तथा कार्य प्रारम्भ न किए जाने, निर्माण कार्य को अपूर्ण स्थिति में बन्द किए जाने के कारणों सहित, विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नही तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

32 मार्ग।

विवरण संलग्न है। †

कारण इंगित करते हुए विवरण उपरोक्तानुसार संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला एवं मुनस्यारी में राजकीय महाविद्यालयों हेतु भूमि चयन की कार्यवाही

84. श्री गगन सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी के राजकीय महाविद्यालयों हेतु भूमि चयन की कार्यवाही विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी के भवन निर्माण हेतु भूमि के हस्तानान्तरण की कार्यवाही कब तक अमल में लाई जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत चिडोंवाली में मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार

85. श्री गणेश जोशी–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चिडोंवाली स्थित भूमि को कई वर्षों से खेल मैदान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये संलग्नक 'झ' आगे पृष्ठ संख्या–268–269 पर)

श्री खजान दास–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर ही ऐसे स्टेडियम बनाये जाने की सामान्य विभागीय नीति है।

राजपुर वि0स0 अन्तर्गत राजेश्वर नगर कॉलोनी में विकास शुल्क वर्ष, 1987 के मानक के आधार किये जाने पर विचार

86. **श्री गणेश जोशी–**

क्या आवास मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजपुर के केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी आवास समिति द्वारा स्थापित राजेश्वरनगर, फेज प्रथम कॉलोनी के विकास कार्य विधायक निधि, नगर निगम एवं केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी आवास समिति के माध्यम से कराये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राजेश्वरनगर, फेज–प्रथम में विकास शुल्क संशोधन वर्ष, 1987 के मानक के आधार पर किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार तलपट मानचित्र में चिन्हित 08 अगस्त, 2004 से पूर्व निर्मित भवनों पर किसी प्रकार का अन्य शुल्क न लगाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री खजान दास–

जी हाँ, राजेश्वर नगर फेज प्रथम कॉलोनी मे मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, विधायक निधि एवं नगर निगम के माध्यम से विकास कार्य कराये गए हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी आवास समिति के अनुरोध पर विकास शुल्क कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला में वर्ष, 2007 से 2011 तक स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

87. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों में वर्ष 2007–08–09–10–11 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी सड़कों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये ?

तथा कितने प्रकरणों पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

02 मोटर मार्गों के।

01 मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी वि0स0 क्षेत्र ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा का उच्चीकरण

88. श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिलला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ?

क्या यह सत्य हैं कि उक्त क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं तथा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु 20 किमी0 की परिधि में कोई भी इण्टर कॉलेज नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सिलला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी हाँ।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम सत्र, 2010 के अता0 प्रश्न संख्या 03 के सन्दर्भ में प्रदेश के असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की नीति विषयक पर कार्यवाही एवं परिणाम

89. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के द्वितीय शुक्रवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 03 के सन्दर्भ मे क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे असहायतित मान्यताप्राप्त अशासकीय विद्यालयो को अनुदान सूची मे सम्मिलित किये जाने हेतु नीति विषयक गतिमान कार्यवाही के परिणाम क्या है तथा

कब तक नीति निर्धारण किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

अशासकीय असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची मे सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध मे मंत्रिमण्डल के आदेशों के क्रम में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जून, 2010 द्वारा श्री बंशीधर भगत मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का पुनर्गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक 24.05.2011 को यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग नीति के अनुसार प्राप्त प्रत्येक प्रकरण/प्रस्ताव विशेष पर गुण–दोष के आधार पर शासकीय प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित परामर्शी विभागो से परामर्श कर निर्णय लेगा।

नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कपकोट स्थित राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण प्रवक्ताओं की नियुक्ति एवं बी0एस0सी0 कक्षाओं का संचालन।

90. श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मात्र राजकीय महाविद्यालय कपकोअ के भवन निर्माण व प्रवक्ताओं की नियुक्ति तथा बी0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति की क्या प्रगति है ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राजकीय महाविद्यालय कपकोट, जनपद बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत कुल 08 प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 06 प्रवक्ता कार्यरत है। बी0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश के होटलों में ठहरने वाले आगन्तुकों से किराये पर टैक्स बढ़ाये जाने पर विचार

91. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के होटलो में ठहरने वाले आगन्तुकों से वर्तमान में 1000 रुपये प्रतिकक्ष किराये पर ली जा रही लक्जरी टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति कक्ष किराये पर अधिरोपित किये जाने पर विचार करेगी ?

क्या सरकार लक्जरी टैक्स की वसूली वाणिज्य कर विभाग से पर्यटन विभाग को सौंपने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय भिक्यासैंण की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था

92. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा अपेक्षित भूमि दान स्वरूप दी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय की स्थापना हेतु धन आवंटन किया जा चुका है ?

क्या यह सत्य है कि भिक्यासैंण में राजकीय महाविद्यालय का भवन न होने के कारण बी0एस0 की कक्षायें संचालित नही हो पा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी भिक्यासैंण मे महाविद्यालय की स्थापना हेतु अविलम्ब धन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भूवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हॉं।

जी नहीं।

जी हॉं।

जी हॉं।

महाविद्यालय के भवन निर्माण के परिप्रेक्ष्य मे प्रथम चरण के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत सुनोली बैण्ड तोल बुधारी, देघाट, नम्याणी, नारायण मन्दिर आदि मोटर मार्गों के निर्माण की अद्यतन स्थिति

93. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुनोली बैण्ड तोलबुधानी, भिकियासैंण मरचूला, बल्मरा, गैरखेत, साराईखेत, पत्थरखोला मछर गांव मोअर मार्ग एवं देघाट लालनगरी, देघाट नम्याणी नारायण मन्दिर के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या हैं तथा कब तक उक्त सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

क्या सरकार शीघ्र उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भूवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः सुनोली बैण्ड से तोलबुधानी, भिकियासैंण–मरचूला, पत्थरखोला–मछर गांव, देघाट–लालनगरी तथा देघाट–नम्याणी–नारायण मन्दिर तक मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। बल्मरा–गैरखेत–साराईखेत मोटर मार्ग को स्वीकृति 02 भागों में प्राप्त है। प्रथम भाग की स्वीकृति शासनादेश सं0–7628(1) लो0नि0–1/02, दिनांक 28–10–02 के द्वारा 36.00 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष 34.00 कि0मी0 तक पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है

कि0मी0 35.00 एवं कि0मी0 36.00 में कार्य गति पर है। इसके आगे चौरीखाल से सराईखेत तक 8.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु शासनादेश सं0–1835/III–2/11–2(प्रा0आ0)/11, दि0 11–07–11 द्वारा प्रथम चरण के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हाँ।

सम्बन्धित मार्गों हेतु वनभूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश कुल विद्युत उत्पादन एवं खपत

94. श्री कुलदीप कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय मे प्रदेश में कुल कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है तथा कुल कितनी खपत है ?

यदि खपत उत्पादन से अधिक है, तो कब तक उत्पादन खपत से अधिक हो जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रदेश में यूजेवीएन लि0 एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादन गृहों से माह अप्रैल, 2011 से अगस्त, 2011 तक कुल 2919.22 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया गया तथा उक्त अवधि मे कुल खपत 4526.31 मि0यू0 है।

खपत से अधिक उत्पादन का समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि खपत एवं उत्पादन प्रतिवर्ष परिवर्तनशील है।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण वर्ष, 2007 से अब तक की संख्या तथा की गयी घोषणा एवं लम्बित घोषणाएं

91. श्री मयूख सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेगें कि वर्ष, 2007 से अब तक मा0 मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ का कितनी बार भ्रमण किया गया है।

और भ्रमण के दौरान उनके द्वारा क्या–क्या घोषणायें की गयी थी।

व उनमे कितनी घोषणाओं में कार्य प्रारम्भ हुआ है।

व कितनी घोषणायें लम्बित हैं।

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

कुल 14 बार भ्रमण किया गया।

कुल 113 घोषणायें की गई। सूची संलग्न है।†

66 घोषणाओं में कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

47 घोषणायें लम्बित हैं।

प्रथम सत्र, 2011 के अता0 प्रश्न संख्या 62 के सन्दर्भ में लोक सेवा आयोग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा अब तक लो0नि0वि0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही एवं प्रगति विवरण

96. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–62 के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है ? तथा कब तक आयोग तथा परिषद् द्वारा रिक्त पदों का चयन किया जायेगा ?

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

लोक सेवा आयोग द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के 17 पदों पर चयन की कार्यवाही करते हुये नियुक्ति प्रदान करने की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके क्रम में विभाग द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर कर दी गयी है।

इसी प्रकार उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की को मानचित्रकार के 21 एवं आशुलिपिक के 16 रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसमें से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की द्वारा मानचित्रकार के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 04.09.11 को सम्पन्न कर ली गयी है, तथा लिपिक वर्गीय पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र मांगे जाने हेतु द्वितीय चरण में विज्ञप्ति जारी की जानी है।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी नियम–310 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सूचना है। (कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपने हमारी नियम–310 की सूचना को प्रश्नकाल के बाद लेने के लिए कहा था।

---

† (देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ संख्या 270–278 पर)

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसको बाद देख लेते हैं। आज नियम–300 के अन्तर्गत कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी नियम–310 की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत तथा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना का नाम पुकारा गया और कोई भी माननीय सदस्य अपनी सूचना को उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नही हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं नियम–310 का विषय ले रहा हूँ। नियम–310 की 07 सूचनायें हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नही लिया जायेगा, जब तक वह अपने स्थान पर नहीं जाते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मै सबका सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के 'वेल' में खड़े कुछ माननीय सदस्य रिपोर्टर टेबिल की तरफ बढ़े और विधान सभा रक्षकों ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा उनके साथ धक्का–मुक्की की गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं सदन की कार्यवाही को 1:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वैल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे और रिपोर्टर टेबिल के पास आकर माननीय अध्यक्ष की तरफ जाने का प्रयास करने लगे जिन्हे विधान सभा रक्षको द्वारा रोका गया। जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनाए प्राप्त हुई हैं। मैं इनमे से क्रम संख्या–01 तथा 06 श्री तिलक राज बेहड़ एवं अन्य शहजाद एव अन्य दूसरी सूचना क्रम संख्या–02 तथा 03 श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्री किशोर उपाध्याय और तीसरी सूचना क्रम संख्या–04 तथा 05 श्री नारायण पाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा एव श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल की सूचनाओं को नियम–58 मे ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनाए अस्वीकार हुईं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, प्रदेश में पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी साम्प्रदायिक घटना घटित हुई ह। मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण घटना पर भी नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा नहीं हो रही हैं नियम–310 का महत्व क्या हे, इसे नियमावली से निकाल दें, फाड़कर फेंक दें। जब विधान सभा में गोली चलेगी तभी नियम–310

के अन्तर्गत सुनी जायेगी। नियम–58 के अन्तर्गत ही सदन चलाते रहें। एक दल विशेष के नेता दुकानें जलाते और लूट–मार की घटना को अंजाम देते रहे। सरकार के लिए यह शर्म की बात है। मेरे पास घटना की सी0डी0 भी है। हाथों में रिवाल्वर, पिस्तौल लेकर दंगाई घूम रहे थे। मेरे पास उस घटना की सी0डी0 है, क्या सरकार के पास नहीं है ? (माननीय सदस्य द्वारा सी0डी0 दिखाते हुए) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी द्वारा अपनी सूचना के सम्बन्ध में पूछने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना कल नियम–58 के अन्तर्गत दे दीजियेगा।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड का विधान सभा को सन्देश

श्री अध्यक्ष–

मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड का विधान सभा को संदेश

मैं पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को माननीय सदन को निम्नलिखित प्राविधानों पर पुनर्विचार हेतु वापस करती हूँ :–

1. प्रस्तावित विधेयक की धारा–10, उपधारा–1 व 2 के प्राविधान, जो कुलपति के चयन एवं नियुक्ति के बारे में हैं।
2. प्रस्तावित विधेयक की धारा–25, उपधारा–1 के प्राविधान, जो कार्यपरिषद् के गठन व शक्तियों के सम्बन्ध में है।
3. प्रस्तावित विधेयक की धारा–33 में वर्णित प्राविधान, जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय से अन्य कॉलेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है।

मेरी राय में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बनाये रखने के उद्देश्य से माननीय सदन द्वारा उक्त वर्णित प्राविधानों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अतः, मैं, उक्त प्रस्तावित विधेयक को उक्त वर्णित प्राविधानों में पुनर्विचार हेतु माननीय सदन को वापस करती हूँ। मार्ग्रेट आल्वा, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, 25.10.2011

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–152(2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखता हूँ।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010, 23 सितम्बर, 2010 को पारित विधेयक की वापसी का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, चूँकि महामहिम राज्यपाल द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को जिसे 23 सितम्बर, 2010 को पारित किया गया था, पर संदेश भेजकर कतिपय धाराओं में संशोधन की अपेक्षा की गई है अतः उक्त विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2011 12 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर

महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और यह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2011 का अठ्ठारहवां अधिनियम बन गया। (घोर व्यवधान के मध्य।)

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और यह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2011 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया। (घोर व्यवधान के मध्य।)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और यह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2011 का बीसवां अधिनियम बन गया। (घोर व्यवधान के मध्य।)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और यह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2011 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया। (घोर व्यवधान के मध्य।)

ग्राम सभा नकरौंदा, वार्ड संख्या 11 जनपद देहरादून में 250 मी0 सी0सी0 सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री जोत सिंह गुनसोला—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम सभा नकरौंदा, वार्ड संख्या 11, जनपद देहरादून मे 250 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण किये जाने सम्बन्धी श्री आनन्द सिंह नेगी, निवासी ग्राम नकरौंदा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य।)

जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनशाली के कोट घण्डियाल सौड़, तितरूणा मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं बरसाती नाले के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली के कोट घण्डियाल सौड़ तितरूणा मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं बरसाती नाले के निमाण के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह नेगी, निवासी ग्राम व पो0–थाती बूढ़ाकेदार, जनपद टिहरी गढ़वाल एव अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक अवमानना का नोटिस है। जिससे सदन की अवमानना हुई है क्योंकि इसमें आश्वासन बना हुआ है। जो चार जिलों की घोषणा हुई थी। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना कल है। (व्यवधान के मध्य)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट है कि चार जिलों की घोषणा हुई है। इसमें आश्वासन बना हैं मेरे पास विधान सभा सचिवालय द्वारा इसका एक पत्र आया हुआ है। सूचना कैसे नहीं है। यह राजस्व मंत्री जी को अग्रसारित किया गया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैं इसको दिखवा लूँगा। इसको कल ले लेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य।)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011

*मुख्यमंत्री [मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 की बैठक मे दिनांक 31–10–2011 की बैठक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>अक्टूबर, 2011</u>

31 सोमवार

(1) औपचारिक कार्य।

(2) विधायी कार्य

(1) नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव :–

(1) डा0 हरक सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"इस सदन को सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम मे लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।"

(3) काजी मो0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य मे आम आदमी को महगाइ की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाया जाये।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री दिनेश अग्रवाल, श्री शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री हरिदास एवं श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमे से देहरादून मे ए0डी0बी0 व जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा पेयजल व सीवर का कार्य धीमी गति से होने एवं सीवर कार्य के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे माननीय दिनेश अग्रवाल और प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री राव शराफत द्वारा स्व–भू अधिकारों का प्रयोग कर, किये गये अनुचित कार्यों की जॉच कराने तथा जिलाधिकारी, हरिद्वार को दरगाह पिरान कलियर का प्रशासक बनाने के सम्बन्ध मे माननीय सदस्य श्री शहजाद तथा उत्तराखण्ड में गन्ना किसानो को गन्ना मूल्य लागत के अनुरूप दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' मे खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' मे खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना को नियम–58 में सुन रहा हूँ। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

मैं सदन की कार्यवाही को 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

***श्री सुरेन्द्र राकेश–**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहुत ही गम्भीर सूचना है और इस पर चर्चा करायी जानी बहुत ही आवश्यक है। यह दलितों और पिछड़ों से जुड़ा हुआ मामला है, यह आरक्षण का मामला है, इसलिए बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा करायी जाय।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' पर आ गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री शहजाद जी, द्वारा कुछ कहे जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 पर, जो सूचना मैंने दी थी, उस पर नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी तो हूँ पर मान्यवर, प्रदेश के अन्दर आजादी के बाद और उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पहली बार– 2 अक्टूबर को गाँधी जयन्ती, अहिंसा के पुजारी की जयन्ती के अवसर पर, जिस तरह से रूद्रपुर के अन्दर सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ। मान्यवर, यह किसी से छिपा नहीं है। मुझे सबसे बड़ा इस बात का कष्ट है कि नियमावली के अन्दर नियम–310 की व्यवस्था है कि प्रदेश के अन्दर यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है तो सरकार नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा को स्वीकार करती है। मान्यवर, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी परम्पराए इस प्रदेश के अन्दर पड़ रही है, जिस दंगे के अन्दर 4 लोग मारे गये हो, अनेकों लोगो को गोलियाँ लगी हो, सैकड़ो दुकानें जल कर राख हो गयी हों, जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 को जाना पड़ा हो, इतनी महत्वपूर्ण घटना, जिसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। उसे नियम–310 में सुनने के लिए सरकार तैयार नही है। मान्यवर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस उत्तराखण्ड के इतिहास मे दूसरी नही हो सकती। मैं लगातार 4 बार का विधायक हूँ और मैं लगातार सुबह से कह रहा हूँ कि मेरी बात को नियम–310 के अन्दर सुना जाय लेकिन मान्यवर, आपने नियम–310 के अन्दर नहीं सुना। मैं पीठ पर आरोप तो नहीं लगा सकता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इतिहास लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार ने नियम–310 मे चर्चा स्वीकार नहीं की। क्या सरकार इससे बड़ी घटना का इंतजार कर रही है ? क्या विधान सभा के अन्दर इससे बड़ी कोई घटना हो जाए तब नियम–310 में चर्चा स्वीकार करेगी और कहेगी कि पहले नियम–310 में चर्चा होगी, तब विधान सभा की शेष कार्यवाही चलेगी। पर मान्यवर, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटना होने के बाद वहाँ पर जाते हैं और यह कहते हैं कि यह घटना सुनियोजित है।

मान्यवर, यह मैं नही कह रहा हूँ, यह अखबारों में छपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी मजिस्ट्रेट जॉच होगी, इस पर मजिस्ट्रेट जॉच बैठा भी दी गयी और एक हफ्ते के अन्दर जॉच की रिपोर्ट भी आ गयी। तो मान्यवर, इस घटना पर नियम–310 में चर्चा कराने से सरकार क्यों बच रही है ? कही न कही सरकार के अन्दर भय है, उसको डर लग रहा है कि उसके नेताओ के नाम इसमें हैं। आखिर सरकार ने नियम–310 में क्यों नहीं स्वीकार किया ? मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर, गाँधी जयन्ती वाले दिन रूद्रपुर में जो घटना हुई, वह इतिहास के काले पन्ने में लिखी जाएगी। मान्यवर, वैसे तो यह घटना 29 तारीख से प्रारम्भ होती हैं 29 तारीख को एक समुदाय विशेष के लोगों के ग्रन्थ कुरान शरीफ को अपमानित करने का प्रयास विशेष रूप से कुछ लोगों द्वारा किया गया। इसके बाद 30 तारीख हो गयी। 01 तारीख

को मेरे नेतृत्व में एक विशेष समुदाय के बहुत सारे लोग जाकर एस0एस0पी0 से मिलते हैं और कहते हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। एस0एस0पी0 तीन दिन का समय मांगते हैं। 02 तारीख को प्रातः काल फिर घटना घटित हो जाती है, फिर एक समुदाय विशेष के ग्रन्थ को अपमानित किया जाता है उसके पश्चात् लोग आक्रोशित हो जाते हैं और यह आक्रोश फैलते–फैलते इस स्थिति तक पहुँच जाता है कि एस0डी0एम0 घायल हो जाता है, विभिन्न मुहल्लों में गोलियाँ चलती है और उसके बाद इतना ताण्डव होता है, लगातार जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 से कहने के बावजूद, लगातार अधिकारियों को कहने के बावजूद कि तत्काल कर्फ्यू लगा दीजिए, अधिकारी कर्फ्यू नहीं लगाते हैं। जब कर्फ्यू लग जाता है, उसके बाद भी बाजार के अन्दर लगातार ताण्डव हो रहा है।

मान्यवर, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यह पूरे प्रदेश के लोग और क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि एक सत्ता पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा होकर बाजार में दुकानों को लुटवाता है और उसके नेतृत्व में एक–एक दुकान नाम ले लेकर तोड़ी जाती है और उसकी दुकान का सामान बाहर निकाल कर जलाया जाता है, इससे बड़ी बात और क्या होगी और यह दंगा शाम तक चल रहा है, दंगे को रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। मान्यवर, जब सारा दिन दंगा चलता रहा, इतनी पुलिस फोर्स और अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, आई0जी0 वहाँ पर उपस्थित थे, डी0आई0जी0 वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने स्वयं उस समय गृह सचिव से बात की। मैंने डी0जी0पी0 साहब से दो–तीन बार बात की। मैंने लगातार अधिकारियों से कहा कि आप इतनी सख्ती कर दीजिए, इस शहर को कम से कम बर्बादी से तो बचा लीजिए, लेकिन मान्यवर, कोई बचाने को तैयार नहीं था। पत्रकार घायल हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ जला दी जाती हैं। व्यापारियों के साथ तो मारपीट हुई, उनकी दुकाने जलाई गई लेकिन पत्रकारों तक को नहीं बख्शा गया। मान्यवर, आज इतने दिन हो गये हैं। सरकार ने न तो उनके लिए किसी मुआवजे की बात कही है और मजिस्ट्रेट जाँच बिठा दी जाती है, मजिस्ट्रेट जाँच से क्या होगा, इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिये। इतना बड़ा दंगा प्रदेश में पहली बार हुआ है और आप मजिस्ट्रेट की जाँच कराकर इसको दबाना चाहते हैं, न्यायिक जाँच होती तो सारी सच्चाई सामने आ जाती।

आज वहां पर जनता कह रही है कि इस दंगे के पीछे कौन लोग ह।, सारे लोग इस बात को जानते हैं और पुलिस उन पर कार्यवाही नही कर रही है, लोग कोर्ट मे सरेंडर होने जा रहे है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर असली लोग क्यों नहीं पकड़ जा रहे हैं, शहर के अन्दर कैमरे लगे हैं और कैमरे के अन्दर उनकी फुटेज है कि कौन दुकानो को लूट रहा है, कौन दंगा करा रहा है उन फुटेज को भी आज तक पुलिस ने निकालकर नहीं देखा और न कार्यवाही की है। अधिकारियों को लगातार फोन जरूर जा रहे हैं कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको ऐसा कर दो, तो मान्यवर, ऐसे काम चलने वाला नही है, जो असली गुनाहगार लोग है, उनके खिलाफ कार्यवाही

होनी चाहिये, इस प्रकरण की न्यायिक जाँच होनी चाहिये। मान्यवर, जब तक इसकी न्यायिक जाँच नहीं होगी, पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक असली चेहरे बेनकाब नहीं होंगे, मान्यवर, अगर हम घटना को दबायेंगे तो फिर दोबारा प्रदेश के अन्दर ऐसी घटनायें घटित होंगी और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे।

मान्यवर, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिनांक 13–08–2010 को भदईपुरा मे कुछ लोगों ने मस्जिद के अन्दर सूअर को काटकर फेंक दिया, पुलिस इस पर कार्यवाही करती है, लेकिन लोगो को थाने के अन्दर से छुड़ाकर ले जाया जाता है, यह अखबारो मे भी छपा था कि जिन लोगों को पुलिस पकड़कर लाती है, उनको सत्ता पक्ष के लोग थाने से छुड़ाकर ले जाते हैं और पुलिस का कार्यवाही नही करने देते हैं। मान्यवर, उस दिन इसकी नींव पड़ गई, उसके बाद लगातार वहां पर कहा जा रहा है कि इसको रोका जाय, इस तरह की घटनायें रूद्रपुर के अन्दर न हों, लोगो का मनोबल बढ़ रहा है और इतना ही नही फिर से इसकी शुरूआत होती है भदई पुरा रामलीला में। जो लोग इसके काड के पीछे है, जिसको सरकार दबा रही है। मान्यवर, वहां पर एक रामलीला कमेटी है, सनातन रामलीला के नाम से, जो वहां पर 20 साल से रामलीला करवा रही है 20 साल के उनके पास डाक्यूमेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस मे कराता है और अचानक रजिस्ट्रेशन करके रामलीला पर कब्जा करने पुलिस प्रशासन को लेकर चला जाता है जब वह पुलिस प्रशासन को साथ लेकर जाता है तो बस्ती के लोग इसका विरोध करते हैं और मुझे भी वहां पर बुलाया जाता है और मानयवर, इतना ताण्डव उस समय वहां पर किया गया, जबकि उस समय रामलीला भी नही हो रही थीं, रामलीला तो पिछले वर्ष समाप्त हो चुकी थी, यह 01–11–2010 की घटना है। जब रामलीला होती तो वह उसके माध्यम से अपनी बात को कहते कि रामलीला करानी है, हमारा रजिस्ट्रेशन है, अभी रामलीला पिछले साल की समाप्त नहीं हुई और वह मौके पर कब्जा लेने पहुंच गये कि यह सम्पत्ति हमारी हो गई हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और मान्यवर, उसके बाद दोनो पक्षो मे संघर्ष होता है और उसके बाद धारा 145–46 की कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से कर दी जाती है। जब धारा 145–46 की कार्यवाही हो गई तो एस0डी0एम0 के यहां इसका केस चलता है और 20–04–2011 को एस0डी0एम0 द्वारा पुरानी रामलीला कमेटी के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। पूरा का पूरा प्रशासन वहां पर जाता है और पुरानी रामलीला कमेटी को कब्जा दिला देता है। मान्यवर, यह एस0डी0एम0 का आदेश है, आप चाहें तो इसकी कॉपी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इन डाक्यूमेंट्स का इस घटना से क्या सम्बन्ध है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस का सम्बन्ध है, आप सुन लीजिये, सारा घटनाक्रम ही यही है, इसीलिये मैं कह रहा हूँ कि इसकी न्यायिक जांच की जरूरत है। फिर उसके बाद भाजपा के नेता जो उस कमेटी के तथाकथित अध्यक्ष हैं, वह न्यायालय में चले जाते हैं और वहां से इसके ऊपर यथास्थिति का आदेश ले लेते हैं। मान्यवर, यथास्थिति हो गई और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन उस समय हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जनता ने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन फर्जी है, तो उस रजिस्ट्रेशन की जाँच शुरू हो गई और उसकी जाँच राज्य सरकार के पास आई और निबन्धक ने उस जाँच को निरस्त कर दिया, यह उसका आदेश है और इस आदेश में उन्होंने कहा है कि समिति के पंजीकरण को सचिव अनुभव चौधरी के द्वारा इस आशय का एक शपथ–पत्र आ गया है, समिति में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, मान्यवर, समिति और नियमावली के अन्तर्गत तथ्य नही दिखाया गया है और निर्णय हो जाता है कि अनुभव चौधरी द्वारा अपने शपथ–पत्र में इन तथ्यों का छुपाकर कपटपूर्ण तरीके से अपनी रामलीला कमेटी का पंजीकरण कराया गया है, अतः सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम–12 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोप सिद्ध होने के कारण समिति का पंजीकरण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। मान्यवर, 15.09 को इनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो जाता है आर सरकार के आदेश पर होता है, निबन्धक के आदेश से। तो मान्यवर, जब इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाता है, तो उसके बाद जिला जज में, कोर्ट में तारीख पड़ी होती है 22 तारीख को, तो जिला जजी ने भी इसके आधार पर उनका स्टे खारिज जो जाता है मान्यवर, और समिति का जब रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाता है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद कमेटी, क्योंकि रामलीला के दिन आ गये रामलीला होगी। उस कमेटी ने, जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना–पत्र दिया कि हमको परमीशन दे दी जाय और मान्यवर, सरकार के दबाव मे लगातार तीन दिन तक थाने में बैठकें चलती हैं और कहा जाता है पुरानी कमेटी को, कि आप रामलीला नहीं करेंगे। वो पुरानी रामलीला कमेटी किसकी है मान्यवर, वो भी वहा पर एक दूधिया बाबा का बहुत बड़ा सन्यास चलाते हैं, यहां पर उनका आश्रम है उनके साथ गजेन्द्र सिंह राघव वो भी बी0जे0पी0 के हैं मान्यवर, दोनो पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और परमीशन मांगते हैं, थाने में उनसे कहा जाता है कि रामलीला होगी तो हम कराएंगे, आप रामलीला नहीं कराओगे। अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया है, जिला न्यायालय से आपका यथास्थिति का आदेश खत्म हो गया है, आपके पास कौन सा कागज है, जिससे आप रामलीला कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसका सम्बन्ध क्या है ?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पश्चात् मान्यवर, थाने के अन्दर भाजपा के नेता के द्वारा कहा जाता है कि रामलीला होगी तो हम कराएंगे, कोई और नहीं कराएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वो अलग घटना है, ये अलग घटना है।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। उसके बाद रामलीला की अनुमति दे दी गयी प्रशासन द्वारा और रामलीला 28 तारीख को प्रारम्भ हो गयी। जब रामलीला की परमीशन हो गयी तो 29 तारीख को उस रामलीला के ऊपर पत्थर चलाये जाते हैं, 29 तारीख को रामलीला के ऊपर पथराव किया जाता है मान्यवर, पुलिस की मौजूदगी में और जब यह रामलीला रात को नहीं रूकती है तो 29 तारीख को फिर रामलीला को रोकने के लिए कुरान शरीफ को अपमान कराकर कि किसी सूरत में रामलीला न हो, इस काम को किया जाता है मैं यह कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि जानबूझकर इस खेल को खेला गया।

मान्यवर, आप न्यायिक जॉच करा दीजिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपनी गाडी में ले जाकर लोग सरेंडर कर रहे हैं। मान्यवर, एक भाजपा नेता इस रामलीला को नहीं होने दे रहा है, एक भाजपा नेता खड़े होकर दुकाने जलवाता है, तोड़–फोड़ करा रहा है। मान्यवर, क्या यहा पर बाकी समुदाय के लोग नहीं रहेंगे इस प्रदेश के अन्दर। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से रूद्रपुर को लूटा गया है, एक राजनीतिक षड़यंत्र के तहत यह घटना घटित की गयी है। सारे लोग इसके अन्दर शामिल हैं और मान्यवर, मजिस्ट्रेट की जॉच से कुछ नहीं होगा। सरकार अभी कहेगी कि हमने मजिस्ट्रेट जॉच करा ली है जब तक न्यायिक जॉच नहीं होगी, असली लोग पकड़े नहीं जाएगें और मुआवजा दे सरकार, जो लोग बरबाद हुए हैं, जिनको आज खाने के लाले पड़ गये हैं। आज जिनके पास दुकान खोलने के लिए दो रुपये नहीं हैं मान्यवर, वो इतजार कर रहे है कि सरकार हमको कुछ दे तो हम अपना कारोबार शुरू करें। तो मान्यवर, मै अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि इसको रोककर, क्योंकि यह बहुत अहम् विषय है मान्यवर, इसीलिए मैंने नियम–310 की बात कहीं थी। इसको रोककर, इस पर चर्चा स्वीकार की जाय, चर्चा करायी जाय। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और तब सच्चाई सामने आ सकेगी।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

सम्मानित अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 के तहत जो नियम–58 में इसकी ग्राह्यता पर अपनी बात को रखने का मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस दर्दनाक घटना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि दुःख के आक्रोश को कौन से शब्दों में व्यक्त करूँ। लेकिन निश्चित रूप से यह ऐसी काली घटना है कि जिसकी जितनी निन्दा की जाय, जितनी भर्त्सना की जाय उतना कम है। माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने जो इस सदन के सम्मुख पूरी घटना का उल्लेख किया है, उसको सुनने के बाद मैंने रूद्रपुर का दौरा, अपनी पार्टी के निर्देश पर किया था और वहाँ मौके पर जाने के बाद जो स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही शर्मनाक है और शर्मनाक इसलिए है कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी चाहे वह प्रदेश की हो, चाहे किसी भी प्रदेश की हो, भाई–चारा स्थापित करना, अमन–चैन स्थापित करना, कानून का राज स्थापित करना, यह महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है मैं सोचता हूँ कि आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और उत्तर प्रदेश का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का भाग रहते हुए भी, जो वर्तमान में उत्तराखण्ड के 13 जनपद हैं, हमको कभी भी इतिहास में ऐसी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। जो वर्तमान उत्तराखण्ड है उसके किसी भाग में कोई साम्प्रदायिक दंगे हुए हो या कोई जातीय दंगे हुए हो, लेकिन अचानक राज्य बनने के 11 साल के भीतर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि जो दो भाई हिन्दू और मुस्लिम कई दशको से भाई चारे के साथ रहते थे, अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गये, अचानक उनके मन मे मैल एक दूसरे के प्रति कैसे आ गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है, मैं माननीय तिलक राज बेहड़ जी का बात से भी सहमत हूँ कि भाई से भाई को लड़ाने का जो काम है, वहाँ जो दंगा कराने का काम है, वहाँ के वातावरण को जो खराब कराने का काम है, इसमें कही न कही सरकार की संलिप्तता है, सत्ताधारी पार्टी की संलिप्तता है। अगर सत्ताधरी पार्टी की संलिप्तता नही होती तो अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए कि वह पूरे प्रदेश के भाई–चारे को कायम रखने मे विफल रही है, असफल रही है, फेल हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम सीधे आरोप लगाना चाहते हैं यह आरोप कोई राजनीतिक नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। वहाँ के पुलिस के अधिकारी, वहाँ के मीडिया के लोग, यह सब उनके संज्ञान में है। अगर इसकी निष्पक्षता से जाँच हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, अगर न्यायिक जाँच होगी तो वे चेहरे बेनकाब हो जायेगे जिन लोगों का इन दगो के पीछे हाथ है और जिन्होंने इन दगो को कराने मे साजिश रची है। उनके चेहरे इस प्रदेश की जनता के सम्मुख आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक दलो के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटित हो रही हो तो वह उसे रोकने का काम करता है, उस पर पानी डालने का काम करता है और अफवाहों को कम करने का काम करता है। ऐसा कभी नही हुआ कि राजनीतिक दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी दुकानो को लुटवाने और आग लगाने का काम करें।

माननीय बेहड़ जी के पास उस सबकी फोटोग्राफी है, सी०डी० है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से वहाँ बेकसूर लोगों की मौतें हुई और जिस तरह से लोग घायल हुए हैं और दुकानें लूटी गई है उसे शब्दो मे बयां करना सम्भव नही है। दोषी बनाये जा रहे हैं वे लोग, जिनका इसमे कोई हाथ नही है उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये जा रहे है। नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन जो लोग वास्तव में दोषी है, जिन्होंने दंगे भड़काने और लूटने और आग लगाने का काम किया वे गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, तिलक राज बेहड़ जी ने जो बातें कहीं है उसके अनुसार इसकी न्यायिक जॉच होनी चाहिएं रूद्रपुर की जनता को अन्य किसी भी जॉच पर कोई भरोसा नहीं है और न ही कॉग्रेस पार्टी को भरोसा है। इसकी न्यायिक जॉच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से या किसी पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश से होनी चाहिए और जिन लोगो की दुकानें लूटी गई है, जिनको नुकशान हुआ है उन्हे भीख के रूप मे नही कि 50 हजार या एक लाख रुपया दे दिया। जिसका जितना नुकसान हुआ है चाहे 10 लाख का हुआ हो या उससे अधिक का या कम का, उसे उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की गलती के कारण यह दंगा हुआ है। सरकार की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की दुकान लूटी गयी है, उसका नुकसान हुआ हैं माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील विषय है कि केवल इसकी ग्राह्यता पर अपनी बात को रखकर मैं सोचता हूँ, इसका समाधान नहीं निकल सकता है। मै आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक घण्टे की चर्चा इस महत्वपूर्ण विषय पर हो जाए जिससे सभी दलों के माननीय सदस्यों के विचार इस विषय पर आ जायें। निश्चित रूप से इससे उत्तराखण्ड में भाई–चारे को बढ़ाने के लिए हम एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। साथ ही भविष्य मे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति इस राज्य में कभी न हो। यहाँ का भाई–चारा कायम रह सके, यहाँ का सद्भाव कायम रह सके। इसक लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन और आपका संरक्षण चाहता हूँ।

*श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने स्वयं उस क्षेत्र का भ्रमण किया, बहुत बुरा हाल हैं। सारी मार्केट जली हुई है और लोगो में भय व्याप्त है। जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया कि जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ कर्फ्यू लगने के बाद लगातार चार घण्टे तक गोली बारी होती रही और छाँट–छाँट कर दुकाने जलायी गई। मान्यवर, यह एक विशेष समुदाय के लोगों की, जब हमारी कमेटी गयी वे लोग हमारे सामने रो रहे थे और अपनी बात को इस तरह से व्यक्त कर रहे थे कि हमारे दिल में भी दर्द उत्पन्न हो रहा था। इस तरह से वे लोग पीड़ित थे। यह हाल वहां के लोगो का था। वास्तव मे यह सरकार की उदासीनता और लापरवाही से हुआ है। मान्यवर, वहा पर कर्फ्यू लागू

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, इसके बाद वे लोग अपने हाथों मे बन्दूक को लहराते हुए घूम रहे थे और दुकानो मे आगजनी कर रहे थे। इस सम्बन्ध में पूरी बात माननीय बेहड़ जी ने बता दी है। मैं भी उन बातों का समर्थन करता हूँ और इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और गवाह लाने चाहिए। वहां की जनता आये और दूध का दूध, पानी का पानी होगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने वे कहे कि हमारे साथ ये हुआ है। जिस तरीके से उन्होने दुस्साहस किया है या जिस तरह से कृत किया है, वह सामने आ जाए। वहा का जो एक माहौल था जिसे तराई का गुलदस्ता कहा जाता था। उसे एक मिनी भारत कहा जाता था और यहां भारत के सभी जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं। उस भाई–चारे को बिगाड़ने का काम किया हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और राजनैतिक फायदा लेने के लिए एक साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप पीठ से निर्देश दे कि सरकार इसकी न्यायिक जाच कराये। जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और जो लोग दोषी है उनको सजा मिल सके। जो आज खुले आम घूम रहे हैं और उपदेश दे रहे है। उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद आपने मुझे बोलने का समय दिया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, नियम 58 पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय तिलक राज बेहड़ जी द्वारा जो वक्तव्य यहां पर दिया गया है, उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह काण्ड एक राजनैनिक षड़यंत्र के रूप में हुआ है और इस तरह राजनैतिक दल किसी देश में करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह के काम करने का प्रयास कर रहा हैं वह एक देशद्रोही के रूप मे ऐसा काम कर रहा है यह छोटा–मोटा मामला नही है, जहा लगभग 30 हजार लोगो ने इस भय के वातावरण में रूद्रपुर से पलायन किया और जिस दिन यह काण्ड हुआ उसके अगले दिन लोगो ने अपने सामान लेकर और पैदल चलकर यहा से पलायन किया। इसके कारण यहा का वातावरण खराब हुआ है इसके साथ ही वहां जो सिडकुल के उद्योग है, वे लोग चौपट हो गये। अभी तक वे उद्योग ठीक नही चल पा रहे हैं। हमारे साथ एक सामाजिक अन्याय तो हुआ ही साथ–साथ आर्थिक हानि भी इस प्रदेश को हुई है। यह दगा सुबह 7 बजे से शुरू होता है और 03 बजे तक कोई फोर्स रूद्रपुर के अन्दर नजर नही आती हैं जबकि यहां पी0ए0सी0 के दो बटालियन है और पूरे जिले का मुख्यालय है उसके बावजूद 8 घण्टे तक यह नगा नाच चलते रहे। कोई प्रशासन और पुलिस वाले नजर नहीं आये लगभग तीन बजे बाद पुलिस ने मोर्चा सम्भाला है। मान्यवर, यह जॉच का विषय है आठ घण्टे तक क्यो। पुलिस और प्रशासन यहां पर नही आयी और क्यो नहीं कार्यवाही की गयी ?

माननीय मुख्यमंत्री जी, मजिस्ट्रेट ने जाँच के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अन्दर जाँच आ जानी चाहिए। शायद जाँच सरकार को मिल भी गयी है और उस पर भी सरकार ने अपना मौन धारण कर रखा है उसके अन्दर क्या आया, क्या नहीं आया, क्या उन्होंने खोला उसके बारे में उन्होंने कुछ नही कहा और जब माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को उठाया कि इस मामले की न्यायिक जाँच हो यह अति आवश्यक है तो मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये और जो चार मृतक थे उनको मात्र एक-एक लाख 30 दिया गया जबकि अन्य प्रदेशों में जहाँ ऐसी कोई घटना होती है वहाँ पाँच लाख से कम नही दिया जाता है, कही पर दस लाख रु0 मुआवजे के रूप में दिया जाता है मात्र एक लाख रु0 दिया गया, सिर्फ मृतको को और इतिश्री कर दी गयी और उसके बाद काँग्रेस का दल गया माननीय सोनिया गाँधी जी की तरफ से एक-एक लाख रु0 दिया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे की राशि बढ़ायी जाए और लगभग जो 300 दुकानें वहाँ पर जलायी गयी उसके लिए सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है उसके लिए क्या करने जा रही है जरूर इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए और अगर सरकार उनके प्रति संवेदनशील नही होगी तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार इस मामले में कुछ करना नही चाह रही है और न न्यायिक जाँच और नही मुआवजा देना चाह रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार कही न कहीं इसमे लिप्त है। मै इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री रणजीत रावत्-

मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, किसी भी प्रदेश या देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहाँ शांति व्यवस्था हो, आपस में काम करने का माहौल मिले। लेकिन जब-जब कोई दंगा होता है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को और देश को नुकसान होता है जैसाकि रूद्रपुर में 300 लोगों के करीब दुकानो को जलाया गया, व्यवसाय को जलाया गया और वहाँ पर जो भारी उद्योग लगे हुए है, उनको भारी आर्थिक हानियाँ हुई। हम सामने देखा समाचार के माध्यमों द्वारा, कि लेबर वहा से भाग गयी। उद्योग बंदी के कगार पर आ गये। दीवाली के मौके पर जिस समय उद्योगों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लेबर की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में यह दंगा निश्चित रूप से इस प्रदेश के इतिहास मे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता रहेगा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए भी जो क्षेत्र शांत रहा हो यह आज क्यो साम्प्रदायिकता की आग मे जला यह सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। आज सरकार को अपनी साख बचाने के लिए चाहिए था कि इस पर कार्यवाही करती जबकि जैसाकि मेरे साथियो ने कहा है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूँ कि इस घटना की न्यायिक जाँच होनी चाहिए यह कैसे हुआ, पहले सात घंटे पुलिस नही आई, दस घंटे पुलिस नही आई लेकिन कर्फ्यू लगने के बाद भी दुकानें जलना, यह तो बहुत ही गंभीर अपराध

है, इससे बड़ा सादस कोई हो ही नहीं सकता कि दुकानें जलायी जा रही हों चाहे यह किसी के द्वारा जलायी गयी हों, दंगाई दंगाई होता है, मैं नहीं मानता हूँ कि वह किसी पार्टी का या देश का भला करने वाला होता है, वह देश का भी नुकसान करता है और हर वर्ग का नुकसान करता है, इसलिए जब कर्फ्यू लगा है और उसके अन्तर्गत दंगाई सक्रिय है तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दंगा सरकार की सहमति से हुआ है, लूटपाट सरकार की सहमति से हुई है, आगजनी सरकार की सहमति से हुई है। जिस कर्फ्यू में व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है, गोली मारने के आदेश होते हैं, उस समय दंगा कैसे हो रहा है, उस समय आगजनी कैसे हो रही है, उस समय लूटपाट कैसे हो रही है। मान्यवर, यह तो प्रमाण है सीधे–सीधे इसमें जाँच की भी क्या आवश्यकता है, इसलिए सरकार की उदासीनता बताती है कि सरकार की संलिप्तता है सरकार के इशारे पर हुआ है, सरकार की निगरानी में यह दंगा हुआ है, लूटपाट हुई है, यह आगजनी हुई है। अगर सरकार के अन्दर नैतिक साहस हो तो इस सरकार को पद त्याग कर देना चाहिए और फिर भी अगर नहीं है इतना साहस तो कम से कम देश और दुनिया को दिखाने के लिए इतना साहस तो दिखाईये इसकी न्यायिक जाँच तो कराइये और जो लोग पीड़ित हैं, जिनके कारोबार छिन गये हैं, उनको समुचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी है उनको कठोर दण्ड मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय श्री तिलक राज बेहड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, डी0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल और श्री गोपाल सिंह राणा जी ने जो बातें कहीं उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, रूद्रपुर में गाँधी जी की जयन्ती पर 2 अक्टूबर को जो घटना घटित हुई है, तो निश्चित रूप से इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है। श्रीमन्, तराई का यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मिनी भारत के रूप में जाना जाता है, तराई का यह क्षेत्र जहाँ पर कभी भी साम्प्रदायिक सौहार्द समाप्त नहीं हुआ है। मान्यवर, देश के अन्य हिस्सों में जब कभी भी घटना घटित हुई है तो यह उत्तराखण्ड राज्य, यह तराई का क्षेत्र, इन तमाम घटनाओं से अछूता रहा, लेकिन 2 अक्टूबर को जो घटना हुई और खासतौर पर उत्तराखण्ड राज्य, जिस राज्य को हम यह कहते हैं कि यह राज्य देश का भाल है, जिस राज्य को हम यह कहते हैं कि यह राज्य देवतुल्य राज्य है, उस राज्य में ऐसी घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से सदन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

श्रीमन्, 2 अक्टूबर को जो घटना हुई है उसमें यदि यह भी मान लिया जाए कि कुछ शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम देने का काम किया है, अगर हम इस बात को भी स्वीकार कर लें तो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि घटना घटित होने के बाद जब रूद्रपुर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, कर्फ्यू

लगने के 8 घण्टे बाद तक अराजकता का माहौल बना रहा, जिस तरीके से लोगो को मारने का काम हुआ और जिस तरीके से लोगों की दुकानों को तोड़ने का काम हुआ है तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके और हमारे सामने है। श्रीमन्, 8 घण्टे तक पुलिस प्रशासन कहाँ सोता रहा, कर्फ्यू लगने के बाद 8 घण्टे तक सरकार कहाँ थी, यह सरकार का दायित्व था, यह सरकार का कर्तव्य बनता था कि जब रूद्रपुर के अन्दर यह घटना घटित हो गई थी और जब कर्फ्यू लग गया था तो उन हालातो को सम्भालने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार मौन थी, सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि सरकार के इशारे पर सत्ता पक्ष के लोग घटना को अंजाम देने का काम कर रहे थे। श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब भी आयेगा और निश्चित रूप से कहेंगे कि ऐसी घटना नहीं हुई है और घटना हुई है तो इसमे सत्ता पक्ष का कोई हाथ नही है माननीय अध्यक्ष जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी कह रहे थे कि नियम–310 मे इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। मान्यवर, इस क्षेत्र मे पहली घटना है, राज्य बनने के बाद भी और राज्य बनने से पहले भी, यह क्षेत्र मे पहली घटना है, इससे गम्भीर घटना दूसरी नहीं हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका से ऊपर उठकर सदन का चाहिए था, आपकी पीठ से ऐसे निर्देश आना चाहिए था कि नियम–310 के अन्तर्गत इस पर चर्चा होनी चाहिए और जब चर्चा होती तो सत्ता पक्ष के सभी लोग हिस्सा लेते और हमारे लोग भी हिस्सा लेते, लेकिन पूरे सदन मे इस पर चर्चा नही हुई, आपने नियम–58 मे इसको ग्राह्य किया और मुझे बोलने का मौका दिया, मै एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक तो वहॉ पर दंगा हुआ और दगे को कराने में जो लोग संदिग्ध थे, जैसा माननीय श्री तिलक राज बेहड़ ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हाथों मे हथियार लेकर खुले आम कर्फ्यू का उल्लघन करते हुये शहर मे घूम रहे थे और वहॉ की दुकानों को आग के हवाले करने का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है और नितान्त आवश्यकता इस बात की है कि मान्यवर, इसकी मजिस्ट्रेटी जॉच की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, यह नहीं होनी चाहए, बल्कि इसकी न्यायिक जॉच होनी चाहिए और जब न्यायिक जॉच होगी तो हर स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो जायेगी। मान्यवर, नियम–58 के अन्तर्गत जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव है, इस पर मैं बल देता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मैं माग करता हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित सदस्यों ने रूद्रपुर की पीड़ा को कहा, मैं भी अपनी बात को रखना

चाहता हूँ। मान्यवर एक रूद्रपुर ही नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है, ऐसे लगभग 38 से 40 हजार के आस–पास साम्प्रदायिक दंगे भारत में होने का काम हुआ है। मान्यवर, ऐसा एक भी दंगा नहीं होगा जिसमें मुस्लिम के कारोबार, उनकी दुकाने, उनके जानमाल को नुकसान न पहुँचा हो। माननीय अध्यक्ष जी, अभी आठ घंटे की बात आयी है। मेरे पास तो सूचना अगले दिन फायरिंग की है जो अभी आपने खारिज की है। क्योंकि हमारा ध्यान भी रूद्रपुर की तरफ था और पूरा प्रदेश भी चिंतित था। मान्यवर, अगर कोई घटना की चिंता नहीं कर रहा था तो मुझे लगता है वह उत्तराखण्ड की सरकार थी। सरकार ने कभी भी एक अच्छा माहौल तैयार करने का प्रदेश में कार्य नहीं किया है। मुसलमान अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने धर्म का अपमान कभी अपने आप नहीं कर सकता हैं मान्यवर, कुरान शरीफ का अपमान किया गया, मस्जिद में खजीर को काटकर डालने का काम भी मुसलमान कभी नहीं कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह शोचनीय विषय है, इससे लाभ किसको हो सकता था। कोई मुसलमान को काटकर के वोट लेना चाहता है तो कोई मुसलमान को डराकर के वोट लेना चाहता है। मान्यवर, भारत की आजादी की लड़ाई में मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा है, मुसलमान ने भी हंसते–हंसते अपनी छाती पर गोली खाने का काम किया है और फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया है, लेकिन आज दोयम दर्जे के नागरिक से भी बदतर व्यवहार मुसलमान कौम के साथ हो रहा है।

मान्यवर, एक घटना मैंने गत वर्ष में हरिद्वार की बतायी थी, वहां पर एक मस्जिद में आग लगाने का काम किया गया था और यह तब किया गया था, जब वहां पर कांवड़ चल रहा था। मान्यवर, ऐसा क्या इस प्रदेश में है जो डराकर, धमकाकर, रिवाल्वर लहराकर, बन्दूक लहराकर, आतंक के साये में राज करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी विदेश के कई बार दौरे कर चुके हैं, जहां पर डिक्टेटरशिप थी, जहां पर बन्दूक की नोक पर राज हुए है, वहां भी जनक्रांति आज लोकतंत्र बहाली की तरफ है, लेकिन उत्तराखण्ड ही नहीं, यदि मैं पूरे भारत की बात करू तो जब भी एक छोटी सी घटना पर मुसलमान को मार दिया जाता है, उनकी दुकाने जलायी जाती हैं, उन्हे निकालने की बात कही जाती है और जो अपमान के शब्द कहे जाते हैं, उन्हें कह कर मैं अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। मान्यवर, एक रूद्रपुर ही नहीं पिछले साल हल्द्वानी में, पिछले साल सब्जी मण्डी में भी झगड़ा हुआ था। मान्यवर, यह समझ से परे की बात है कि इस छोटे से प्रदेश में अगर कठोर कानून व्यवस्था नहीं है तो, डी0एम0, एस0एस0पी0 क्या कर रहे थे ? मान्यवर, 5 घण्टे में देहरादून से रूद्रपुर पहुंचा जा सकता है, तो वहाँ की फोर्स क्यों नहीं पहुँची 10 घण्टे तक ? क्यों उन लोगों को खुली छूट दी गयी ? 4 आदमी मरे, एक हिन्दू भी मरा है, तीन मुसलमान मरे हैं। अनेक जख्मी हुए हैं और उनको मुआवजा 1 लाख रूपया दिया गया। जिसकी दुकान और प्रतिष्ठान जला उसको आज तक एक रूपया भी

मुआवजा नहीं मिला। घायलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है और घरों में सीढ़ियाँ लगा-लगाकर उनको घरों से उठा कर जेलों में ठूँसने का काम किया गया। मुसलमान इकट्ठा हुआ था लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एस0एस0पी0 ने 3 दिन में केस खोलने की बात कही थी, लेकिन घटना घिर घट गई। वे शान्तिपूर्वक अपनी बात एस0एस0पी0 और डी0एम0 को कहना चाहते थे। वे दंगा करने के लिए इकट्ठा नही हुए थे। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है, जो सी0डी0 वहाँ बनी है, जो कैमरे मे वहाँ की तस्वीरे कैद है, उन तस्वीरों के आधार पर कार्यवाही हो, कोई कितने ही बड़े पद पर हो। 302 की घटना हुई है। 4 आदमी मरे है, इतने आदमी घायल हुए हैं, इतने प्रतिष्ठान फूँक दिये गये है, उन लोगो की रोजी-रोटी की व्यवस्था कौन करेगा ? आप एक आदमी को रोजगार नहीं दे सकते। वहाँ पर हजारो आदमियो को बेरोजगार करने का काम किया गया, सिर्फ विधायक बनने के लिए ? विधायक इतनी बड़ी चीज नही है, इन्सानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर सरकार में, विधायको में, सदन में नैतिकता नहीं है, नैतिकता की बात नही कर सकते है, इन्सानियत की बात नहीं कर सकते हैं, तो मै समझता हूँ कि कोई वजूद ही नही बचा है। कोई वजूद बचने वाला भी नही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सब मोदी नही बन सकते। जितना बड़ा दगा गुजरात मे हुआ था, उतना भारत मे और कहीं नहीं हुआ, उसके बाद भी यहाँ हिन्दू-मुसलमान इकट्ठे रहने का काम कर रहे है। हम किस बात पर लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं ? सिर्फ राज करने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ? माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमिश्नर से जॉच कराई गयी। एक हफ्ते मे रिपोर्ट देने की बात कही गयी, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं को गयी। क्या जॉच रिपोर्ट सार्वजनिक कराने के लिए भी लोगो को धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, लोगो को यहाँ सदन के 'वेल' मे बैठना पड़ेगा ? यह तो इतना बड़ा काम नहीं था। माननीय मेहता जी ने न्यायिक जॉच की बात कही है, मै उनका समर्थन करता हूँ। इसकी न्यायिक जॉच एक महीने या 15 दिन का टाईम देकर कराई जानी चाहिए। न्यायिक जॉच ऐसी नही होनी चाहिए, जैसी हरिद्वार में कुंभी की हुई। 3 कुम्भ बीत गये लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आयी। ऐसी न्यायिक जॉच हमें नहीं चाहिए। न्यायिक जॉच ऐसी होनी चाहिए कि आज 31 तारीख है, 30 नवम्बर तक जॉच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। जो दोषी हैं, अगर मैं दोषी हूँ तो जेल जाऊँ, अगर तिलक राज बेहड़ जी दोषी हों तो वे जेल जाए और अगर एस0पी0 और डी0एम0 या अन्य कोई नेता दोषी है, तो उन्हे जेल की सलाखो के पीछे होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माग करता हूँ कि एक लाख रूपया मृतक के परिवार के लिए मुआवजा पर्याप्त नही है, उसको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। घायल को एक लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और जो दुकान और प्रतिष्ठान टूटे हैं, चाहे वह किसी भी समुदाय के लोगो की हों, उनका आकलन करके उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वे अपने बच्चों की रोजी-रोटी की व्यवस्था उस दुकान के माध्यम से कर सके। इसके साथ ही मै अपनी बात खत्म करता हूँ।

*हाजी तस्लीम अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। वैसे तो यह बहुत गम्भीर विषय है, इसको नियम—310 में सुना जाना चाहिए था। मान्यवर, रूद्रपुर की जो घटना है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, उसके अध्यक्ष और अन्य पार्टियों के जिम्मेदार नेता मौके पर पहुँचे, मैं भी मौके पर था। वहां पर यह देखने को मिलता है कि कुछ लोगो द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यह षडयन्त्र रचा गया है। उससे यही बात सामने आती है कि अल्पसंख्यको को इस तरीके से जान और माल का नुकसान देकर उन्हें डराया जाता है और जो मौके पर देखने को मिला है, जहा पर बराबर में दो दुकान हमारे गैर मुस्लिम भाई की है और एक दुकान मुस्लिम की है तो वहां पर आग नही लगाई गई, बल्कि वहा से पूरे का पूरा सामान निकाल दिया गया, कोई सामान वहां पर नही छोड़ा गया और जो पूरे तौर पर आग लगाई गई है, उसमें लगभग 300 दुकानें और अन्य जो घर भी जलाये गये हैं, 95 फीसदी मुसलमानो के जलाये गये हैं। मान्यवर, 29 तारीख को वहां पर कुरान—ए—पाक की बेहूमती की गई है और उन्होने समझदारी से वहा के प्रशासन को और जिम्मेदारों को यह बात बताने की कोशिश की कि वहां पर माहौल खराब न हो। उन्होने इसे आम भी नही किया बल्कि जिम्मेदार लोग ही वहां पर गये, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई तो वह शान्तिपूर्वक तरीके से अपने घरों से बाहर निकले, जब उनकी बात नही सुनी गई तो किसी से लड़ने—भिड़ने नही आये, बल्कि अपनी आवाज को सुनाने के लिये सड़कों पर आये। जैसे अभी बात आई कि वहा पर उसकी फोटोग्राफी भी है कि वहा पर लोग 10 घण्टे तक फूंकते रहे, जलाते रहे, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई गौर नही किया। आज लोगों को पता होगा कि दर्द किसके अन्दर होता है, जब हम वहां पर घरो मे गये तो बच्चे जिस तरह से बिलबिला रहे थे, उन्होने हमें खुद बताया कि जब आग लगाई गई तो हम यहा से निकल कर भागे और हमारे पूरे घर को फूक दिया गया, अगर हम निकलकर नहीं भागते तो हमें घर के अन्दर ही ज्यों का त्यों जला दिया जाता। इस दंगे से जो दुकानदार आज बेरोजगार हो गये हैं, उनके पास रोजी—रोटी का कोइ प्रबन्ध नही है, अब तक उन्हें मुआवजा क्यो नहीं दिया गया, यह भी अफसोस की बात है।

मान्यवर, मृतक को एक लाख रुपया मुआवजा दिया गया, जब मोटरसाईकिल का छोटे से छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उसे भी एक लाख रुपया मिल जाता है। यह घटना इतनी बड़ी होने के बाद क्या सरकार ने यह सोच लिया कि यह एक मामूली घटना है या छोटा से एक्सीडेंट हो गया हैं ज्यादा न कहकर मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी सी0बी0आई0 जॉच होनी चाहिये, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मृतकों को कम से कम दस लाख रुपया दिया जाय और घायलों को एक लाख रुपया दिया जाय तथा जो दुकाने जली हैं या जिसका सामान लूट लिया गया है, उनको ऐसा मुआवजा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

मुआवजा दिया जाय, जिससे उनको सामान तो मिले ही। मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूँ कि इसकी जल्द से जाँच हो और उस पर कार्यवाही हो।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की सूचना को आपने नियम 58 में सुना, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आप को माननीय तिलक राज बेहड़, माननीय शहजाद जी और माननीय हाजी तस्लीम अहमद से सम्बद्ध करता हूँ और कुछ बातों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उस दिन मैं भी उस शहर में था और (व्यवधान)...........दंगे को रोकने की कोशिश कर रहा था। 30 सितम्बर, शनिवार के दिन कुरान शरीफ का जो अपमान हुआ, वहां पर शहर के पुलिस अधिकारी, सी0ओ0, कोतवाल मान्यवर, सारे लोग वहां गये। वहा के लोगों ने कुछ लोगो का नाम बल्कि 05 लोगो का नाम उन्होंने लिखकर दिया और मजे की बात प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने उसको बहुत हल्के मे लिया, अज्ञात लोगो पर मुकदमा दर्ज किया और उन लोगों मे से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। वो नाम, वो कौन लोग हैं, यदि पीछे आप जाते हैं, अभी माननीय बेहड़ जी कह रहे थे कि इससे पीछे एक–डेढ़ साल पहले मदरसा में सुअर काट कर डाल दिया गया था और उसमें भी इन लोगों का नाम आया था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने इन लोगो को क्यों नही अरेस्ट किया और अज्ञात लोगों के नाम मुकदमा दर्ज करके, इन लोगों को किसके कहने पर छोड़ दिया, क्यों नही पकड़ता, पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। महोदय, उसी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने 01 अक्टूबर को धरना दिया, अखबारों में छपा। मैं तो समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अखबारों ने छापा। वहा उन लोगो ने मांग की। पुलिस अधिकारियो ने कहा कि हम 03 दिन मे इसका खुलासा कर देंगे। वो लोग उनकी बातों से सन्तुष्ट होकर वापस आ गये थे। उसके बाद वे षड़यन्त्रकारी, खून खराबे के तत्व, जो शहर में आग लगाना चाहते थे, जब देखा आग नही लगी तो उसके बाद 01 तारीख की रात को उन्होंने फिर उसी काम को कर दिया उससे लोग आक्रोशित हो गये। 02 तारीख को सुबह लोग इकट्ठे हुए और मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से ये जो रूद्रपुर के मुस्लिम समाज के लोग जो चौराहे पर एकत्र हुए थे, ये कोई साम्प्रदायिक दंगा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे, न ही यह हिन्दु–मुस्लिम झगड़ा था। वहां पर जब वो लोग सुबह एकत्रित हुए। कोतवाल के साथ झड़प होता है, कोतवाल वहा लाठीचार्ज करता है, उसके बाद मामला बिगड़ता है, उसके बाद जब वो लोग, भीड़ पुलिस के ऊपर पथराव करती हैं तो पुलिस ने, हिन्दु समाज के लोगो को जोकि रमपुरा नाम की एक बस्ती है वहां से बुलाकर यह हिन्दू–मुस्लिम दंगा कराया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसके बाद जो तांडव नृत्य चला, तीन बजे तक पूरी छूट दी गयी। तीन बजे कर्फ्यू लगा कर्फ्यू के बाद भी शहर को लूटा गया। बाकी बड़े-बड़े जो किस दल के है यदि सी0बी0आई0 जॉच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगां यो भारतीय जनता पार्टी वाले थे या कॉंग्रेस वाले थे या बी0एस0पी0 वाले थे यह अपने आप में पकड़ में आ जायेगा। अब मान्यवर, इसके बाद मुआवजा की बात एक लाख रुपये मुआवजा यह बहुत कम है। आज इलाज के नाम पर भी विवेकाधीन कोष से माननीय मुख्यमंत्री जी 50-50हजार, 1-1 लाख दे रहे है। ये आदमी तो खत्म हो गये, जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, मुखिया खत्म हो गया, ऐसे लोगो को मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपये मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए था। अब रही बात दुकानो में जो लूटपाट हुई है, उसका मूल्यांकन कर उनको बड़ी से बड़ी सहायता राशि देनी चाहिए, जिससे उनके बाल-बच्चों का लालन-पालन हो सके। उससे ज्यादा, क्योंकि सारी बाते लोग कह चुके हैं, मैं उन्हें रिपीट नही करना चाहता। रूद्रपुर मे इस समय सबसे बड़ी जो जरूरत है भय से, दंगे के भय से जो लोग घर से पलायन कर गये। यो लोग डर के मारे घर में आ नहीं पा रहे हैं कि शायद जाते ही पुलिस न पकड़ ले। ये तो आप जानते है कि शरीफ लोग पुलिस से डरते हैं, शरीफ आदमी पुलिस से डरता है आज घरो के घर खाली हैं, बस्ती की बस्ती खाली है। आज वहां माहौल पैदा करने की जरूरत है। मैंने यहा रूद्रपुर कोतवाली में शान्ति कमेटी की बैठक मे इस बात को कहा था जो लोग दोषी हैं, पुलिस, प्रशासन को काफी दिन हो गये मान्यवर, अभी तक लिस्ट नही बना पाये कि किन लोगा ने इस काम को किया है, बिना मतलब के लोग बाहर भय से छुपे हुए हैं, आप लिस्ट आउट करो कि ये लोग दोषी है। वाकइ बहुत सारे निर्दोष लोगो को एरेस्ट किया गया उनके ऊपर एन0एस0ए0 लगाने की पुलिस प्रशासन तैयारी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम स सरकार से मॉग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जॉच की मॉग, जैसे हमारे कॉंग्रेसी साथियों ने कही है, यह बहुत अच्छी बात है परन्तु इससे अच्छा होगा यदि इसकी सी0बी0आई0 जॉच हो। मैं समझता हूँ कि सी0बी0आई0 जॉच से सदन का कोई भी माननीय सदस्य उस पर आपत्ति नही करेगा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी, माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी, माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन जी, माननीय श्री शहजाद जी, माननीय तसलीम अहमद जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ दिनांक 02 अक्टूबर को हुई घटना के सम्बन्ध में सम्मानित सदन के समक्ष

विषय को रखा। इससे पूर्व कि मैं घटना का वास्तविक उल्लेख करूँ। अभी माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने चूँकि काजी जी सदन में अभी नहीं हैं, वह एक शेर कह रहे थे, इसके चश्मदीद गवाह यहाँ पर जो थे, उनसे यह बातचीत करके आये और जो कुछ उन्होंने जाना उसके बाद उनके मन के अन्दर से जो भाव निकले। अगर अनुमति हो तो घटना की सच्चाई रखने से पूर्व जो माननीय बंशीधर भगत जी ने दोहराया है उसे मैं कह दूँ। "सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"। श्रीमन्, जो कुछ भी विषय यहाँ पर रखा गया, उसके सम्बन्ध मे आपके मन से यह भाव आये। यह बात सत्य है कि 02 अक्टूबर के प्रातः साढ़े 06 बजे एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के घर के बाहर एक पन्नी मे कुछ मांस तथा कागज के कुछ टुकड़े, जिन्हे कुरान के टुकड़े होना बताया गया। घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल उस सामान को अपने कब्जे मे ले लिया। मुश्ताक अहमद द्वारा प्रकरण की सूचना समुदाय के अन्य लोगो को दिये जाने पर उनके द्वारा विरोध स्वरूप प्रातः 7.30 बजे एकत्रित होकर इन्दिरा चौक, रूद्रपुर चौक के आस–पास खड़े वाहनों क्रमशः यू0पी0–2ए–5274 जो 46वीं वाहिनी पी0ए0सी0 का ट्रक था, यू0ए0–07–एल–9337 जो रोडवेज की बस थी, यू0के0–07पी0–0341 जो रोडवेज की बस थी, उसके शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिये गये। पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रवियों के सड़क जाम करने एवं तोड़–फोड़ करने से रोकने पर पुलिस बल लगा था उस पर भी पथराव किया गया, उसमें हमारे उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर घायल हो गये। भीड़ को तितर–बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। श्रीमन्, इसी बीच सिरगोटिया धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर लगा कर एक समुदाय विशेष के लोगो को घर से बाहर निकलने का आवहान किया गया, जिस पर नगर रूद्रपुर मे लगभग 1000–1200 तक एक समुदाय विशेष के लोग विभिन्न घरों से आकर एकत्रित हो गये और उनके द्वारा इन्दिरा चौक के आस–पास खड़े वाहनो पर पथराव और आगजनी प्रारम्भ कर दी गई और धीरे–धीरे पथराव और आगजनी की घटना अन्य इलाको मे भी फैल गई। इसमें लगभग 25–30 दुपहिया वाहन, 5–6 ट्रकों के टायर, 3–4 दुकानें और 5–6 खोखे में आग लग गई। घटना पर नियंत्रण करने हेतु लगभग 12:30 बजे पुलिस द्वारा सख्त रूख अपनाते हुए उपद्रवी को खदेड़ कर तितर–बितर कर दिया गया। दूसरे समुदाय के लोगों को अपने–अपने घरो मे वापस करते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोतवाली रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत धारा–144 लागू करते हुए पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया। उक्त संघर्ष में घायल हुए मजिस्ट्रेट, पुलिस और पी0ए0सी0 के जवानों तथा अन्य व्यक्तियों को उपचार हेतु चिकित्सालय मे भेजा गया। इसी घटना मे श्रीमन्, श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामकुमार यादव, निवासी भदईपुरा को गोली लगने पर अग्रसेन चिकित्सालय मे इलाज हेतु भेजा गया किन्तु उनकी वहाँ मृत्यु हो गई।

जनपद ऊधमसिंह नगर में पर्याप्त पुलिस बल, पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 एवं आर0ए0एफ0 तैनात की गई तथा घटना की गम्भीरता को देखते हुए कफर्यू तथा फ्लैग मार्च कर स्थिति पर नियंत्रण किया गया। उसके पश्चात् घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल जनपद ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र का स्थानान्तरण किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थान पर प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक की तैनाती कर उक्त अधिकारियों द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को कार्यभार ग्रहण करते हुए स्थिति पूर्णतः नियंत्रण किया गया। घटना के सम्बन्ध में अब तक थाना रूद्रपुर में जो पंजीकृत अभियोग है उनके आधार पर श्रीमन्, 88 व्यक्तियों पर विभिन्न अभियोगो के माध्यम से धारायें लगाई गई है जिसके अन्तर्गत 42 लोगों पर धाराए 147/148/149/341/353/332/153/302/307/336/436/427 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें से 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस प्रकार से कुल 88 लोगों पर विभिन्न सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। उनके अन्तर्गत 73 लोगो की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा–151 के अन्तर्गत 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इस घटना के अन्तर्गत 44 व्यक्ति सांघातिक चोट के परिणामस्वरूप घायल हुए थे और 9 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए। चार व्यक्ति श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामकुमार यादव, निवासी श्री मदईपुरा, रूद्रपुर, श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री लईक मियां, निवासी कच्चाखेड़ा, रूद्रपुर, श्री जक्को उर्फ शरीफ पुत्र श्री मुन्ना, निवासी जुम्मा कॉलोनी, थाना गंज, जिला रामपुर और श्री अफजाल पुत्र डा0 शरीफ अहमद, निवासी आदर्श कॉलोनी, खेड़ा मूल, टोडलपुर न्यूरिया, पीलीभीत, इनकी मृत्यु हुई।

श्रीमन्, इस घटना मे लगभग ₹ 33 लाख 61 हजार की लोक सम्पत्ति का नुकशान हुआ है इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से घटना की जॉच के आदेश आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को दिये गये और उनको कहा गया कि आप निष्पक्ष जॉच करें। जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों को एकत्रित करके जॉच रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करायें। जॉच रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत कर दी है, जॉच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जो भी प्रकरण है, उस प्रकरण को निष्पक्ष भाव से कार्यवाही की जायेगी। जो घायल 53 व्यक्ति हुए हैं, उसमें 25 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है और हमारा जो प्रशासनिक अमला था उस पर हमला किया गया, उनको काफी चोट पहुँची है और उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करते हुए इस घटना को आगे बढ़ने से रोका। पूरे प्रदेश मे स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए जो माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, उनके प्रयासों से माहौल खराब नहीं होने पाया। मान्यवर, जहा तक मुआवजे का विषय कहा है, अभी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक–एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया है और इसमे भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2010 के जो

दिशा–निर्देश हैं, उनके अनुसार साम्प्रदायिक दंगों में मृतकों के वारिस को एक लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा और तीन लाख रुपया भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। उसके प्रपत्र भरकर सरकार को भेजे जा रहे हैं। शीघ्र ही वह धनराशि प्राप्त हो जायेगी और इस तरह की घटना राज्य के अन्दर नहीं हुई थी और इसमें पीड़ितों को जो धनराशि या मुआवजा दिये जाने का प्राविधान अभी तक नहीं था उस प्राविधान को करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वह जो अनुग्रह राशि है या मुआवजा राशि है, वह भी वितरित करने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से सरकार ने पूरी तरह से इस सम्पूर्ण घटना को रोकने में तत्परता दिखायी वातावरण खराब करने का काफी प्रयत्न किया गया, लेकिन हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना को वहीं पर रूक गया। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत सक्रियतापूर्वक रोकने का प्रयत्न किया। (घोर व्यवधान के मध्य।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिलक राज बेहड़, माननीय डा0 हरक सिंह रावत, माननीय गोपाल सिंह राणा, माननीय रणजीत सिंह रावत, माननीय डा0 शैलेन्द्र सिंह सिंघल, माननीय श्री शहजाद, माननीय तस्लीम अहमद, माननीय प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इन सूचनाओं को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

***श्री केदार सिंह रावत–**

माननीय अध्यक्ष जी, असली दोषियों के चेहरे सामने आ सकें, उसके लिए न्यायिक जाँच करानी बहुत आवश्यक है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, न्यायिक जाँच की आवश्यकता नहीं है निष्पक्ष जाँच हो गयी हैं अभी तो कई लोगों के चेहरे उजागर होने हैं। हम उसमें कार्यवाही कर रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तत्काल कार्यवाही करते हुए हमने मजिस्ट्रेट की जगह आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को जाँच सौंपी है न कि कुमाँऊ मण्डल को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है उसमें कई चेहरे आ रहे हैं। (व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय की ग्राह्यता पर अपने विचार रखें हैं। इसमें 1 घण्टा 15 मिनट तक चर्चा चली है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय मंत्री जी, जो रिपोर्ट है उसको परीक्षण कराकर जारी करायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गए।)

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र की सबसे बड़ी बांध की 42 वर्ग कि0मी0 की 200 मीटर गहरी झील जनपद टिहरी गढ़वाल के नागरिकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। विशेष रूप से धारमण्डल, रैका, रोणदरमोली, फैगूल, केमर, दुगमंदार, भिलंगना, बालगंगा, जनकुर घाअी व जुवापट्टी के रास्ते कट जाने से जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है और अब दर्जनों गावों के घर भी तबाह होने लगे हैं। जिन्दगी भर कमाई से बने घर दरकने लगे हैं। भारी वर्षा से झील के ऊपर कीपहाड़ियों को झील में खिसक कर गिरने से बचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नही किये गये हैं। शासन स्तर पर हुए निर्णय के बाद प्रभावितों के विस्थापन व क्षतिपूर्ति के लिए कोलेट्रल डैमेज के तहत बांध निर्माता टी0एच0डी0सी0 को जिम्मेदारी सौंपी गयी। मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 पैसा देता इससे पहले ही झील के ऊपर के कई गाँवो ने भी दरकना शुरू कर दिया हैं असर झील से 600 मीटर ऊँचे गॉवों पर भी पड़ने लगा। मान्यवर, मदन नेगी, जलवाल गॉव, सांदणा, पिपोला, थौर पटागली, सांगड़िया, गौजियाणा, इन्द्रोला जैसे दर्जनों गाँवो के परिवारों को सरकारी भवनो में शिफ्ट कराने के निर्देश दिये गये और ऐसी स्थिति में उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, ऐसी स्थिति मे टिहरी बॉध प्रभावितो के जनमानस का प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया हैं प्रदेश सरकार इस स्थिति पर तत्काल श्वेत–पत्र जारी करें, यह हमारी माग हैं अतः तात्कालिक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाने की माग करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी नियम–310 की सूचना पर मुझे यहॉ पर अपनी बात रखने का नियम–58 मे अवसर प्रदान किया और जैसा अभी मेरे वरिष्ठ साथी श्री बलवीर सिंह नेगी जी ने कहा, जो इस देश की सबसे बड़ी बॉध परियोजना है, 260.5 मीटर ऊँची और लगभग 42 वर्ग किलोमीटर की जो झील टिहरी बॉध के कारण बनी है और 2–3 चरणों में हुई,

पहला चरण पूरा हो चुका है और जिसकी अधिकतम क्षमता विद्युत उत्पादन का 1000 मेगावाट है और वर्ष, 2004 से जब से इस योजना ने बिजली पैदा करना आरम्भ किया है, उस 1000 मेगावाट का लगभग साढ़े बारह प्रतिशत और अब तेरह प्रतिशत राज्य सरकार को निःशुल्क मे बिजली उपलब्ध हो रही है और दूसरे चरण का कोटेश्वर बॉध परियोजना है, जिससे 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी और उसकी पहली टरबाईन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे लगभग 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और उसका भी साढ़े 12–13 प्रतिशत बिजली राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और तृतीय चरण है जिसमें कि पी0एस0पी0 प्रोजेक्ट कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष–

जो आपका विषय है उस पर बोले और बाकी आप सूचना दे दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी बॉध के कारण उसके रिंग क्षेत्र में जो बसे हुये गॉव है, उससे हमारे टिहरी उत्तरकाशी जनपद मे लगभग 6 लाख जनसंख्या प्रभावित हो रही है और लगभग 2 लाख लोगों का जीवन आज खतरे में है, यह मुख्य उद्देश्य है, यह मेरी सूचना में है और इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण योजना है, हमारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, अपनी जगह छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा और उनको कुछ नही मिला, कुछ मिलना तो दूर वहॉं से जो विस्थापित हो गये हैं, उनकी स्थिति आप भली–भांति जानते हैं, वह भी इसमे है, किसी को हाथी कुचल देता है, किसी को कब्जा–बनियान गिरोह लूट रहे है, हत्या कर रहे है, जिनको विस्थापित किया गया है, वहॉं पर जो आवश्यक सुविधायें है उनको नहीं देखा जा रहा है। मान्यवर, अब जो मुख्य विषय है, उसमे सरकार ने कोई आकलन नही किया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय शहजाद जी बीच मे कुछ कह रहे थे, अगर टिहरी बॉध नहीं होता तो हरिद्वार भी सुरक्षित नही रहता, जिस तरह की अतिवृष्टि हुई थी। मैं तो आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि टिहरी बॉध सुरक्षित रहे, हालाकि पहले मैं इसका विरोधी रहा हूँ। आज मेरी चिंता आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं टिहरी बाध टूटे नहीं सुरक्षित रहे, ताकि नीचे का जितना भी क्षेत्र है, वह सुरक्षित रहे। मान्यवर, इतना बड़ा त्याग करने के बाद एक क्षेत्र के बारे में जैसा माननीय बलवीर सिंह नेगी जी ने भी कहा है और जब हम इन सारे सवालों

को लेकर सरकार के पास गये, आन्दोलन किये और उसके बाद आज जो जी0एस0आई0 ने जिन 22 गाँवो का सर्वे किया है तो इन 22 के 22 गांवो के प्रति जी0एस0आई0 ने कहा है कि कभी भी जो टिहरी बांध मे जल भराव हुआ है, जो पानी इकट्ठा हुआ है, इससे ये 22 के 22 गाव कभी भी झील मे समा सकते है और इसके बाद की जो परिस्थिति पैदा हुई है। मान्यवर, जो भिलगना और भागीरथी घाटी है। आप यदि जो भागीरथी घाटी के लिवाड़ गाव से लेकर के, सिसंई से लेकर के, पलेथ को लेकर के, इसी तरह से भिलंगना घाटी में टिपरी, उठड़, चाक कठोला, घनसाली, प्रतापनगर, रौलाकोट, इधर चिन्यालीसौड़ के बल्द गांव आदि लगभग 16 गाव, जिनमे नेरी, हिंडोला आदि गांव प्रभावित है और मैं इन गांवों को खुद देखकर आया हूँ।

मान्यवर, जो भिलंगना घाटी का एक स्वाड़ी गांव है, अभी जब मैं उसके ऊपर गया, इस गांव के ऊपर लगभग 500 मीटर की दीवार आयी हुई है। मै प्रशासन, शासन, जिलाधिकारी, पुनर्वास निदेशक, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इन सभी मामलों को लाया हूँ। मान्यवर, चाहे प्रतापनगर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा चिन्यालीसौड़ का क्षेत्र हो, चाहे चम्बा का क्षेत्र हो, चाहे थौलधार का क्षेत्र हो, चाहे जाखणीधार का क्षेत्र हो, इस सारे क्षेत्र में टिहरी बाध के कारण जो जल भराव हुआ है इसके कारण लगभग दो लाख लोगों की जिन्दगी आज खतरे में पड़ी हुई है और सरकार इस पर कोई ध्यान नही दे रही है। मान्यवर, जब मैं सत्याग्रह उपवास पर भी था तो मैंने कहा जो आपको कम से कम 50 प्रतिशत बिजली का पैसा मिल रहा है, जो अब लगभग 700 करोड़ रू0 से ज्यादा आपके पास आ गया है। आप टिहरी के हितों पर एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। क्या टिहरी के लोगो को यह अधिकार नही है कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके, उनको अच्छी सड़क मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा अस्पताल मिल सके, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। मान्यवर, मेरा कहना है कि तुरन्त यहां पर इन सारे के सारे गावो का पुनः सर्वेक्षण कर दिया जाय। मान्यवर, केवल इन्ही गांवों का ही नहीं बल्कि जो विस्थापित गाव हैं, जिनकी जिन्दगी आज खतरे मे है। चाहे वह जिस सिराम से हो चाहे वह हाथियो की वजह से हो, कब्बा–बनियान गिरोह की वजह से हो इन सबका एक बार पुनः आकलन होना चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और हम उनको कोई सुविधा नही दे पा रहे है। मै आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस प्रदेश का ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं, आपने टिहरी बांध बनवाया यहां की समस्याओं का समाधान नही किया जा सका है और ऐसे ही और बाध बन रहे है और हर जगह ऐसे ही आन्दोलन खड़े हो रहे हैं तो कैसे ऊर्जा प्रदेश बनेगा। केवल अखबारों मे विज्ञापन देने मात्र से नहीं बन पायेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि पीठ से निर्देश हों कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो और अगर कोई एक भी केजुएल्टी हुई तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

* शिक्षा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय किशोर उपाध्याय और माननीय बलबीर सिंह नेगी जी की बातों को मैंने ध्यान से सुना और मैं स्वीकार करता हूँ कि मान्यवर, जो बात आपने रखी, बरसात मे, मैं भी वहाँ गया था, जब अतिवृष्टि के कारण जल भराव ज्यादा हो गया था और हमारे कई गाँव भू–स्खलन की चपेट में आ गये थे। मान्यवर, मैंने निदेशक, पुनर्वास को निर्देशित किया था कि आप टिहरी में जाकर तीनो गाँवो का सर्वे कराएं जी0एस0आई0 की टीम सर्वे कर रही है। मै स्वीकार करता हूँ कि मदन नेगी, पटागली, मल्डगाँव, सेलाकोट आदि गाँव बहुत प्रभावित थे और उनके नीचे भू–स्खलन मैंने भी देखा है। जैसे ही जी0एस0आई0 की रिपोर्ट आएगी, हम प्रभावित लोगो को पुनर्वासित करेंगे। साथ ही साथ हमने भारत सरकार से साढे चार सौ करोड़ रुपये की मांग की है इनका पुनर्वास करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। (व्यवधान) मान्यवरी, मैं तो आपके सामने वस्तुस्थिति को रख रहा हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ कि वहाँ की स्थिति बड़ी विकट है और यह भी स्वीकार करता हूँ कि प्रतापनगर अलग–थलग हो गया है अगर प्रतापनगर के लोगो को जाना है तो पहले उत्तरकाशी जाएंगे फिर उल्टा आएंगे या फिर घनसाली जाएंगे, फिर प्रतापनगर जाएंगे। यह मै स्वीकार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार का जो शेयर है, हम भी पैसा देते है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है। पुनर्वास करना राज्य सरकार का काम है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पुनर्वास का कार्य भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार दोनों का है। एक अकेला हमारा काम नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पुनर्वास का काम प्रदेश सरकार का है। भारत सरकार का नहीं है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत सरकार प्रतापनगर की जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री किशोर उपाध्याय जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार गुमराह कर रही है, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय और श्री बलबीर सिंह नेगी सदन से बाहर चले गये।)

***श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 मे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूँ। मान्यवर, इस प्रकरण में मैंने वर्ष, 2008 मे इसी सदन में इसके बारे मे सूचना दी थी और उसके बाद लगातार मैं इस प्रकरण को उठाता रहा हूँ। आज बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूँ कि वर्ष, 2008 के प्रकरण मे, जिसमें सरकार के माध्यम से आश्वासन मिल या गि, तो इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी यह ढाई सौ, तीन सौ परिवारो का मामला है। आज वर्षों से जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको अपने भवनों का मालिकाना हक नहीं मिला है, अपनी जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिला है। 21 फरवरी, 2011 को आश्वासन समिति द्वारा इसमे अपनी संस्तुति शासन को भेजी गयी थी और शासन ने 21 फरवरी, 2011 को आश्वासन समिति द्वारा इसमे अपनी संस्तुति शासन को भेजी गयी थी और शासन ने 21 फरवरी, 2011 को मंत्रिमण्डल की बैठक मे रखने के लिए इस प्रकरण को भेजा परन्तु 8 महीने बीतने के बाद भी इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। मै धन्यवाद देना चाहता हू, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही है। आज जो कागज–पत्र या विकास कार्यों में या लोगो की जो आवश्यकता है, उसमे देरी होने के लिये यहां पर विधेयक लाये हैं, मै धन्यवाद देना चाहूंगा, परन्तु मैं आज यह भी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रकरण, जिनका निस्तारण अविलम्ब हो जाना चाहिये था और आठ महीने पहले आश्वासन समिति ने अपनी संस्तुति सरकार को भेज दी, उसके बाद भी आज तक निस्तारण न होना अपने आप में इस सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकरण मे मैं एक महीने पूर्व सांकेतिक धरने पर बैठा था आपसे संरक्षण मिलने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्यो के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवाई थी और उस दिन यह बात तय हुई थी कि पहली मंत्रिमण्डल की बैठक हुई औश्र यह प्रकरण उस बैठक में नहीं आया। आज मुझे यह कहने के लिये यह सूचना देनी पड़ी कि इतना लोक महत्व का प्रश्न है और 3380 नाली जमीन मे मालिकाना हक, वहाँ पर वर्षों से बैठे हुये लोगो को, उनके परिवारों को नहीं दिया गया है और आज यह स्थिति है कि पूरे प्रदेश में बैंकों से ऋण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे व्यापारी भाईयों को मिलता है, हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे है, उन्हें लोन मिलता है, लेकिन आज मालिकाना हक नहीं होने से हमे उसका लाभ नही मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की जाय।

***श्री गोविन्द सिंवह कुंजवाल–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी की बात से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट अपने आप में एक नगर के रूप में विकसित हो रहा है और वहां के लगभग 300 परिवार जो वर्षों से नजूल भूमि पर काबिज है, उनको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जो सरकार की तमाम सुविधायें है, बैंकों से ऋण की सुविधा है, वहां के लोग उनके लाभ अर्जित नही कर पा रहे हैं। इसी विषय को इसी सदन में कई बार उठाया गया ह और लोहाघाट के सम्मानित विधायक जी द्वारा धरना देकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हैं आश्वासन समिति ने भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के बाद यह निर्देश दिये हैं कि इस मुद्दे को मंत्रिमण्डल की बैठक में लाकर इसका निस्तारण किया जाय। लेकिन इस बात से बड़ा कष्ट होता है कि सरकार की मंशा इस प्रदेश के जो तमाम परेशान लोग हैं, जो पीड़ी लोग है, उनको राहत देने के पक्ष में नही है। अन्यथा क्या कारण है कि इसी सदन से आश्वासन मिलने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद भी इस विषय का निस्तारण नहीं हो पा रहा हैं यह सरकार की काम करने की स्थिति को परिलक्षित करती है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट के निवासियों के हित के लिए जो वहां की नजूल भूमि है, उसको फ्री होल्ड करने के लिए आप तत्काल सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करे ताकि इसका समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी द्वारा एवं माननीय गोविन्द सिंह कुंजवाल द्वारा लोहाघाट स्थिति भूमि का सरलीकरण कर फ्री होल्ड किये जाने से सम्बन्धित विषयक ये नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलते हुए अपने विचार प्रकट किये है। ये प्रकरण श्रीमन्, काफी पुराना है और जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने बताया कि जब वर्ष, 1898 मे कैन्टोनमेंट एरिया का विकास किया गया था श्रीमन्, तब उस समय जो यह क्षेत्र था, लोहाघाट का, इस क्षेत्र मे श्रीमन्, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी रूप से वहां नगरीय क्षेत्र का विकास किया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस क्षेत्र मे श्रीमन्, पट्टे देकर वहां लोगों को बसाया गया था, लेकिन सन् 1939 के बाद इन पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुआ और कारण यह था कि जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के बाद नजूल भूमि के फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई श्रीमन्, तो उस समय ग्राम नाम से क्षेत्र विशेष चिन्हित किया गया था उसके पट्टे के नवीनीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं थी श्रीमन्, और लोहाघाट टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 3320 नाली, 04 मुट्ठी भूमि, ये भूमि तत्कालीन अंग्रेजों के शासनकाल में ग्राम भूमि के रूप मे चिन्हित की गयी थी। अपना प्रदेश बना श्रीमन्, और इसके अन्तर्गत जो भूमि प्रबन्धन है, उसका सरलीकरण हो सके और जो लोग वहा काबिज हैं, उनको उसके अधिकारी मिल सके, उसका फ्री–होल्ड हो सके, इसके सम्बन्ध में विचार किया श्रीमन्, और मै सम्मानित सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूगा श्रीमन्, कि माननीय मंत्रि परिषद् जैसा कि माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह माहरा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर चुके है कि माननीय मत्रि–परिषद् शीघ्र ही इस बहुप्रतीक्षित विषय पर निर्णय लेगी और मै यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि श्रीमन्, कि इस सदन के उपवेशन के शीघ्र से शीघ्र या एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर हम इसमे निर्णय लेकर इसको निस्तारित कर देंगे। यह मै आपको आश्वस्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अभी जो सूचनाए नियम–310 की हमें प्राप्त हुई थी उसे नियम–58 मे स्थानान्तरित करके उसमे चर्चा हुई, तीन ऐसी सूचनाएं थीं। (व्यवधान) आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय श्री शहजाद, माननीय श्री प्रमानन्द महाजन, माननीय श्रीमती अमृता रावत तथा माननीय श्री हरिदास एव माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 05 सूचनाये प्राप्त हुई हैं। मै इनमें से एक–देहरादून में ए०डी०बी० व जे०एन०एन०यू०आर०एम० द्वारा पेयजल व सीवर का कार्य धीमी गति से होने एवं सीवर कार्य के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, दूसरी प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री राव शराफत द्वारा स्वयं–भू अधिकारों का प्रयोग कर किये गये अनुचित कार्यों की जॉच कराने तथा जिलाधिकारी, हरिद्वार को दरगाह पिरान कलियर का प्रशासनक बनाने के सम्बन्ध मे माननीय सदस्य श्री शहजाद तथा तीसरी जो उत्तराखण्ड मे गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य लागत के अनुरूप दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुई। पॉच सूचनाये हम

नियम–58 में सुनते हैं, परन्तु सूचनाओं के महत्व को देखते हुए वर्तमान में 6 सूचनाओं की अनुमति मैंने दी है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की सूचना का आश्वासन था।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 में तो वह अग्राह्य हो चुकी है। आप कल दे दीजिए, नियम–58 में सुन लेंगे।

***श्री दिनेश अग्रवाल–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत मेरी सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, देहरादून आज स्थाई राजधानी भी है और अन्तर्राष्ट्रीय शहर भी है। इसमें ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से सीवरेज लाइनें और पेयजल लाइनें बिछाने का काम देहरादून में प्रारम्भ किया गया। जो कार्य प्रारम्भ किया गया उसमें ही इतना विलम्ब हुआ कि कब उन योजनाओं का निस्तारण हुआ और कब वह योजना बनी थी, कब उन योजनाओं का निस्तारण हुआ और कब वह योजना बनी थी, कब उसको स्वीकृति मिली थी और कब उसमें कार्य प्रारम्भ किये गये, वही अपने में चिन्तनीय विषय है। कार्य प्रारम्भ हुआ देहरादून के अन्दर मात्र जितना कार्य होना था उसमें से 10–12 परसेन्ट भी कार्य सम्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जितने कार्य हुए हैं उससे जितनी परेशानियाँ देहरादून के जनमानस को झेलनी पड़ रही हैं, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप पीठ पर बैठे हैं आप अपनी पीड़ा तो नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हू कि जो पीड़ा मेरी है वहीं पीड़ा आपकी भी है और जो यहाँ के सदस्यों की पीड़ा है, जो देहरादून के जनमानस की पीड़ा है। आज पूरी की पूरी सड़के खोद के डाल दी गई हैं। जब ए0डी0बी0 के और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वह कहते हैं कि हम तो खाली पैचवर्क का कार्य करेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसी डी0पी0आर0 बनायी गई, क्यों बनाई गई ऐसी डी0पी0आर0, जिससे देहरादून का इतना बड़ा अहित हो गया। आप छोटा से पैचवर्क कर देंगे, वह भी पेचवर्क, इस समय आप जो पैचवर्क करेंगे, कहीं कोई टैम्प्रेचर नहीं है, सारे जो पैचवर्क किये गये हैं वह उखड़ गये हैं, उनके अन्दर अभी से बजरी आ गइ है। पूरी सड़क डिस्ट्राय हो जायेगी आप पैचवर्क करेंगे क्यों ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह पैचवर्क का कार्य किया ही क्यों जा रहा है, पूरी सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है। क्यों नहीं उसकी इतनी डी0पी0आर0 बनाई गई कि पूरी सड़क बनती। क्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे देहरादून की सड़कों का बेड़ा गर्क करने का हमने बेड़ा उठा लिया है, अभी तो हम 10–12 परसेन्ट पर हैं। जब हम 80–90 प्रतिशत कार्य पूरा करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि देहरादून 10 वर्षों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पायेगा, जिस तरह से सड़कों की स्थिति आज हो गई है।

मान्यवर, जो सिवरेज की लाइनें डल रही हैं, जो सिवरेज के पाईप डल रहे हैं वह एप्रोप्रियेट नहीं हैं, उनके अन्दर केयरिंग कैपीसिटी नहीं है। वह जरूर कह रहे हैं कि हमने इसका टेक्निकल मुआइना कर लिया है। वह टेक्निकल दृष्टिकोण से ठीक हैं, ए0डी0बी0 ने बना दिया, एक ऐसा हव्वा खड़ा कर दिया गया है ए0डी0बी0 का, ए0डी0बी0 नहीं हुआ पता नही क्या चीज हो गया। मान्यवर, जो अधिकारी हैं वह हमारे राज्य के अधिकारी हैं उन्होंने डी0पी0आर0 बनाई है, उनको देखना चाहिए था कि हमको कितनी केयरिंग कैपीसिटी के पाईप चाहिए, पाईप की क्या गुणवत्ता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनकी गुणवत्ता से सतुष्ट नही हैं, हम सतुष्ट नहीं हैं उनकी केयरिंग कैपीसिटी से। अभी तो आपने एक लाईन डाली है, उसके बाद आप सिवरेज के कनेक्शन देंगे, पूरी सड़क आप फिर खोदेंगे, फिर सड़क तोड़ेंगे। कब तक आप सड़क तोड़ने का खेल खेलते रहेंगे ? क्या देहरादून में सड़क तोड़ने का खेल ही होता रहेगा। मान्यवर, जो देहरादून के अन्दर स्थिति हो गई है वह बहुत ही खराब हो गई है। मान्यवर, एक और बड़ी समस्या है, देहरादून के अन्दर कारगी मे 68 एम0एल0डी0 का सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लॉन्ट बना। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट के बराबर मे बहुत बड़ी दीवार ट्रीटमेंट प्लॉन्ट को बचाने के लिए बना दी गई। आज पानी का जितना बहाव, जो पहले फ्री–फ्लो जाता था बिन्दाल नदी का, उसका सारा बहाव उस दीवाल की वजह से सामने बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कई बार कहा उस बस्ती की तरफ दीवार बननी चाहिए, कोई सुनने वाला नही है, उनकी बला से नागरिक कहीं जाये, उनका कुछ हो जाये मान्यवर, कोई उनको चिन्ता नहीं है। तो इस तरह से देहरादून को बरबाद करने का जो सारा बीड़ा आज यहां पर ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 ने उठा लिया। आज पानी की लाईनों की स्थिति यह है कि पानी की लाईन डाल दी गयी, आज उसको ठीक करने वाला कोइ नही है और जहां पर ठीक भी की जा रही हैं वो एप्रोप्रियेट नहीं हैं, वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है और उससे यहां की जो समस्या है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आज पूरा का पूरा देहरादून मे, जहां पर भी ये सड़के खुदी हैं और यहीं स्थिति मसूरी की भी है अभी मसूरी के विधायक जी पहले मिले नहीं वरना मैं उनके भी दस्तखत कराता। आज वहां मसूरी मे भी स्थिति इतनी भयावह है कि पर्यटन का जो बहुत बड़ा केन्द्र मसूरी है, वहां पर पर्यटकों को कितनी असुविधाओं का सामना उन गड्ढों की वजह से हो रहा है, उन टूटी सड़कों की वजह से हो रहा है, उसका कोई निदान नही हो पा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सीरा बात मंत्री जी जब इस सदन को सूचित करें। एक बड़ी दिक्कत यह है कि नगर विकास का पैसा मिलता पेयजल को है। ये दोनों विभागों का अपना कितना सामंजस्य है क्योंकि पेयजल के अधिकारी इसमें काम करते हैं। सारे अधिकारी पेयजल के हैं नियंत्रण नगर विकास का है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी स्थिति है, इसका उत्तर तो देंगे नगर विकास मंत्री। अब इनका कितना नियंत्रण ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के ऊपर है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि इस सम्बन्ध में बहुत सख्त निर्देश सरकार को आज आपके माध्यम से मिलने चाहिए कि एक निश्चित समय के अन्दर इन सड़कों को ठीक करने का काम ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 करे। जब तक ये उनको करते तब तक फरदर आगे काम न करें और इसके लिए कहीं पर भी यदि इनके पास धन की व्यवस्था न हो तो सरकार उसमें धन की व्यवस्था करे, जिससे सब कार्य सम्पन्न हो सके। जनता में बहुत आक्रोश है। जनता इनको काम करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं है, इनके कामों को अपने यहां लागू कराने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें आपकी तरफ से निर्देश सरकार को होने चाहिए। धन्यवाद।

*पर्यटन एव शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने नियम–58 के अन्तर्गत जो जे0एन0एल0एल0यू0आर0एम0 और ए0डी0बी0 के तहत देहरादून मे कार्य कराये जा रहे हैं उससे सम्बन्धित कुछ पैचवर्क और सड़क बनाने से सम्बन्धित और सुरक्षा दीवार से सम्बन्धित विषय को यहा पर उठाया। निश्चित रूप से बड़ा महत्व का यह विषय है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत पेयजल और सीवरेज सम्बन्धित लाईनें बिछाने का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जा रहा है और जिसके अन्तर्गत लगभग 139.14 किलोमीटर लाईने, जिसमे 89.59 किलोमीटर जो लाईनें है वो पानी की हैं और 49.5 सीवरेज की हैं और वर्तमान तक जो 139.14 किलोमीटर की लाईने है, इनके विपरीत 79.5 किलोमीटर, जिसमे 46 किलोमीटर सीवरेज और 33.5 किलोमीटर पेयजल, इन लाईनों को बिछाया जा चुका है। इन लाईनो को बिछाने के लिये 45.5 किलोमीटर की सड़क काटी गयी हैं, जो सड़कें काटी गयी है उसमे लोक निर्माण विभाग और नगर निगम को 03 करोड़ 13 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और जिसमे 50 प्रतिशत सड़कों को ठीक किया जा चुका हैं जो आंकड़ों के अनुसार है 50 प्रतिशत सड़के ठीक हो गयी हैं और 50 प्रतिशत अभी शेष हैं। ये जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बात है। लगातार इस सम्बन्ध मे डी0एम0, देहरादून, सम्बन्धित विभागो के अधिकारी, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। इसके पूर्व भी विधायक जी ने और खुद आपने अवगत कराया था। कार्य में तेजी लाने के निर्देश उनको तत्काल उस समय दिये गये थे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि सितम्बर माह तक वर्षा के कारण कार्य में जो प्रगति आनी चाहिए थी, वो नहीं आयी, परन्तु वर्तमान में निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल उन कामों को बहुत तेजी के साथ पूरा किया जाय। इस सम्बन्ध में जो ए0डी0बी0 के अन्तर्गत पेयजल और सीवरेज की लाईनें हैं, उसमें भी 280 किलोमीटर की लाईनें बिछायी जानी हैं। 160 किलोमीटर पेयजल की लाईनें हैं और 120 किलोमीटर सीवर की हैं। मान्यवर, वर्तमान में 77 कि0मी0 का काम है जिसमें 62 कि0मी0 पेयजल लाईन और 15 कि0मी0 सीवर लाईनों को बिछाया जा चुका है। इन लाईनों को बिछाने के लिये 51 कि0मी0 सड़क काटी गयी है। जिसके पुनर्निमार्ण, चूंकि ए0डी0बी0 के जो मानक है उसमें केवल पैचवर्क ही अनुमन्य हैं, उसके अनुसार पैचवर्क का कार्य किया जाना प्रस्तावित है और वर्तमान में 8.5 किमी0 सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में लगातार बैठक करके यह निर्देश दिये गये हैं कि जितनी लाईन खोदी जाये पहले उनको पीछे से ठीक करते जाय और यह भी कहा गया है कि इसमें 4 किमी0, 8 किमी0 या 10 किमी0 का एक सिस्टम तैयार किया जाय और पहले वो पूरा हो जाय, पैचवर्क पूरा हो जाय तब अगले वर्क का कार्य प्रारम्भ किया जाय। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जो भी पैचवर्क के सम्बन्धित कार्य हैं उनमें तेजी लायी जाय, इसके लिए भी मैं निर्देश देता हूँ। जो जेएनएनयूआरएम के कार्य है उनमें पूरी सड़कों के लिए विभाग को पैसा दिया है लेकिन ए0डी0बी0 में जो भी कार्य है और जो उसकी गाइड लाईन है या जो मानक है उसके अनुसार केवल पैचवर्क ही अनुमन्य है। जो डी0पी0आर0 है वह मानक के अनुसार बनती है वह केवल पैचवर्क का ही कार्य देती है, लेकिन पूरी सड़क के लिए अनुमन्य नहीं करती है इस सम्बन्ध में जब माननीय विधायक जी से बात हुई थी तो मैंने उस सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की थी। पूरी सड़क के लिए पैसा अनुमन्य नहीं हैं जहां तक कारगी में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट के दूसरे किनारे पर जो आपने सुरक्षा दीवार की बात कही है। सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा बन्धा बनाया गया है। जो वर्तमान में बस्ती की सुरक्षा को लेकर है वहां खतरा नहीं है। ऐसा अवगत कराया गया है और उसका निरीक्षण 1 अगस्त, 2011 को टैक्निकल कन्सलटेंट द्वारा किया गया है। जिसमें खतरे की सम्भावनाएं हैं वह नहीं है। फिर भी पिछले जो 30 साल के बाढ़ के आकड़े इकट्ठे किये गये और बस्ती की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को यह निर्देश दिये गये कि तत्काल उस पर आप निर्णय लीजिए। जिससे की बस्ती में जो पहले 30 साल तक जब कभी बाढ़ आयी हो और आगे भी इस प्रकार का खतरा न हो। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को चाहे पेयजल विभाग हो, नगर निगम हो, पी0डब्ल्यू0डी0 हो इन सबकी एक सामूहिक बैठक करके समय–समय पर निर्देश भी दिये गये हैं। आज

भी मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि तत्काल उनको निर्देश दिये जायेंगे कि पीछे से सारी सड़को का पैचवर्क है, उनको ठीक करते जायं पूरे शहर को इस प्रकार से न खोदें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यहां पर दो बातो से गुमराह किया जा रहा है। एक तो यह कहा जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों का रिकार्ड, आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट आज बन रहा है। जो बिन्दाल नदी है वह फ्री–फ्लो बहती थी, आपका जहा सीवरेज ट्रीटमेट प्लॉन्ट बन रहा है, वहा पर भी नदी बहती थी। आपने उसमें सुरक्षा दीवार तो बना ली और सामने की तरफ जो छोटे से बन्दे लगे हुए हैं। उनको आप कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग ने लगाये हैं। उससे कोई खतरा नहीं है। इस बरसात मे वहां स्थिति यह थी कि वहां के लोगो ने जाग–जाग कर अपनी राते गुजारी हैं। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के जो आंकड़े आयें है वे फर्जी हैं।

श्री मदन कौशिक–

मैंने कहा कि यह सिंचाई विभाग के आंकड़े हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात भी सुन लें, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना है। ये सारी बाते जो विभाग के लोग कहते हैं यह हेरा–फेरी की बात करते हैं ये कुछ नही करना चाहते हैं। यदि इनको इस बात का ध्यान है कि हमें अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन को बचाना है तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि सामने की बस्ती को भी बचानी है। सामने वाली बस्ती के जान–माल की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है और उसको बचाने के जो भी उपाय होते वह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट के साथ–साथ होने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि आपके उस डी0पी0आर0 मे यह है या नहीं तथा गाईड लाईन मे यह है या नही, यह मैं नही जानता। क्योंकि मैंने यह गाईड लाईन पढ़ी नहीं है। यदि आप कृपया करके वह गाईड लाईन मुझे भी दे द तो मैं भी अपना अनुभव या ज्ञान बढ़ा लूँगा। लेकिन जो आपने पूरी सड़के तोड़ दी है। या तो आपकी राज्य सरकार प्रावधान करे कि हम उन सड़कों को बनायेंगे। ए0डी0बी0 पूरी सड़के खराब कर देगी और बनायेगी पैचवर्क तो, कौन बनायेगा उन सड़कों को, कौन उसका जिम्मेदार होगा या तो राज्य सरकार अपने यहाँ से प्रावधान करे कि जो टूट जायेगी ए0डी0बी0 नहीं बनायेगी हम बनायेंगे इसका आश्वासन दे।

श्री मदन कौशिक–

जितनी सड़के तोड़ी गयी है, उसके पैचवर्क के लिए प्राविधान रखा गया है उन सड़को के रिपेयर का काम, जैसाकि हमने पहले कहा कि लगभग साढ़े नौ किलोमीटर हो चुका है।

श्री दिनेश अग्रवाल—

माननीय मंत्री जी, कहीं पर भी नहीं हुआ है, आप आंकड़े बता दें। कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। साढ़े नौ किलोमीटर कहाँ पर हुआ मंत्री जी, मौके पर चलकर सत्यापन कर लें। यह झूठी बात कहीं जा रही है, सदन में।

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो गाइड लाईन की बात है वह आपको भिजवा दी जायेगी उसको आप देख लेना और दूसरा कौन सा पैचवर्क हो चुका है उसके मेरे पास आंकड़े है। अगर आप कहे तो हम बता दें। इसमें तेगबहादुर रोड बनायी है, वह लगभग 4193 मीटर बनायी है, हरिद्वार बाई पास पर 1200 मीटर बनाई है, लक्ष्मी रोड पर 1500 मीटर, सर्कुलर रोड पर 1000 मीटर, पानी का काम शुरू किया गया बाकी का काम बाद में करेंगे। इसका आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि इन्दर रोड पर 600 मीटर, कर्जन रोड पर 700 मीटर, बलबीर रोड पर 430 मीटर, विजय पार्क लेन न0 7 पर 70 मीटर गोविन्दगढ़ पर 45 मीटर ये रोड है जिस पर पैचवर्क किया जा चुका है लेकिन बाकी जो बचा है उस पर माननीय विधायक जी ने अवगत कराया, आपने भी अवगत कराया उसके बाद हमने तत्काल सारे सम्बन्धित विभागों को बुलाया और मैंने कहा कि सबसे पहले जितना खोदेंगे उतना रिपेयर किया जाय और उसमें तेजी आई भी है, यह सही है कि जब शुरूआत में काम शुरू हुआ था तो काम धीरे से चला लेकिन अब तेजी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूँगा कि आज भी इसके लिए दुबारा से निर्देश जारी कर दिये जायेंगे कि पहले पैचवर्क उनका काम पूरा करके तब आगे का काम शुरू करें। जहाँ तक सवाल है जो सड़के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में खराब हुई है, उसका पूरा पैसा सम्बन्धित विभागों को दिया है ए0डी0बी0 में जितनी खोदेंगे हम उतना पैचवर्क करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम—58 पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन पिछली सरकार ने भी किया और इस सरकार ने भी किया। वक्फ बोर्ड के अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत 5 सदस्य इसमें निर्वाचित है और सरकार ने 6 सदस्य नामिनेट करने का काम किया और इसी तरह हज कमेटी बनाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, वक्फ बोर्ड एक ऐसा विभाग है कि यह जो मुस्लिम समाज के धर्म स्थल, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की जो सम्पत्ति है उसके रख—रखाव का काम करता है। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष जो गये कॉग्रेस

के, उसमें अनेक बार वक्फ बोर्ड के सम्बन्धित मुद्दे सदन में लाये गये, चर्चा हुई, जॉच हुई, लेकिन जॉच के बाद क्या हुआ, कहाँ रिपोर्ट गई, किसको सजा मिली, कौन दोषी था, आज तक उसका कोई अता–पता नही है। मान्यवर, पहले से भी बढ़कर इस बार और चार चॉद लगाने का काम हुआ, वक्फ बोर्ड के गठन से ले करके अब तक वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी या पी0सी0एस0 अफसर होना चाहिए, लेकिन लगीाग 7–8 मुख्य कार्यपालक अधिकारी बदले गये, जिसमें चेयरमैन और मंत्री समाज कल्याण के अनुसार काम नहीं किया उस सी0ओ0 को धक्के देकर वहाँ दफ्तर से निकालने का काम किया गया है और अब एक प्राइमरी स्कूल का टीचर वक्फ बोर्ड का सी0ओ0, मुख्य कार्यपाल अधिकारी के रूप में कार्यरत् है।

माननीय अध्यक्ष जी, वक्फ बोर्ड चयेरमैन का और सी0ओ0 वक्फ बोर्ड, जो मीटिंग का कार्यवृत्त है, उसे बदलना, उसके मिनट्स बदलना, मनमर्जी से काम करना, जो अधिकार बोर्ड ने उसे नही दिये हैं, अधिनियम की धारा–27 और 32 काउपयोग करना और इससे भी आगे जाते हुए दरगाह पिरान कलियर शरीफ विश्व प्रसिद्ध है, धर्म स्थल है और साल मे करोड़ो लोग वहाँ अपनी मन्नतें लेकर आने का काम करते है, वहाँ का एक ठेकेदार जो दरगाह का बकायेदार भी है और डिफाल्टर भी है, उसको चयेरमैन की गद्‌दी सौंपी गयी है और मैं जो कह रहा हूँ, इसकी चाहे तो सी0बी0आई0 जॉच करा ले, विजिलेंस से जाच करा लें या न्यायिक जॉच करा लें, उसका साफ शब्दों मे कहना है कि मैं 80 लाख रुपये दे करके बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, मुझे तो अपना पैसा निकालना है, इसकी आप जॉच करा लें और यदि जॉच सही न हो तो सरकार जो सजा हमको देना चाहे दे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मान्यवर, जो 6 सदस्य सरकार ने नामिनेट किये हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने भी विद्रोह किया, मंत्रिमण्डल मे जब नये ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री आये, दूसरे समाज कल्याण मंत्री बदले, इनके पास काफी डेलीगेशन मिलने के लिए गये और बोर्ड ने डिमाण्ड की कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, यह अधिनियम में प्राविधान है और धारा 27 तथा 32 लेगा तो उसे 3 महीने के अन्दर दोबारा मीटिंग आहूत करनी पड़ेगी, लेकिन मीटिंग नही बुलाई गई है, क्योंकि धारा 27 तथा 32 का अधिकार उसे वक्फ बोर्ड ने कभी दिया ही नहीं, लेकिन उसने प्रयोग किया। मान्यवर, पिरान कलियर के 32 गोलकें जो वहाँ दान के रूप में, नियाजी के रूप में इकट्‌ठा होता है, उन्हें बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के निगरानी के खोलने का काम किया गया और अब तक का इतिहास है, आप रिकार्ड मगवा लें कि एक गोलक से 4–5 लाख रुपये निकलने का इतिहास रहा है, लेकिन 32 गोलकों से 36–38 लाख रुपया निकाला, वह पैसा कहाँ गया इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, वहाँ टनों पुराना लोहा पड़ा है, स्क्रैप था उसको बेचने का काम किया गया, उसका कोई पैसा बैंक में जमा नही हुआ।

मान्यवर, 2 साल का चढ़ावा, जिसमें इलायची दाना, चादरें, अगरबत्ती से वहाँ का बहुत बड़ा बेसमेण्ट भरा हुआ था कई ट्रक माल होगा, वह कहाँ बेचा गया, किसे बेचा गया, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था के लिए 65 गैस के सिलेण्डर थे, उसमें से चोरी की गई, चेयरमैन के पुत्र द्वारा और उसकी प्राथमिकी एक आम आदमी ने थाने में दर्ज कराई, लेकिन पॉवर के मुद्दे पर उसको रोक दिया गया। मान्यवर, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यहां पर भी यह नहीं रूकता है। सिंचाई विभाग के जे0ई0 और एस0डी0ओ0 लगाकर के यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा तैयार कराया गया, उसके आधार पर बुकिंग की गयी, उसका भी कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां पर बनना ही नहीं था, जब यहां पर दुकानें खाली पड़ी हुई थी, उनको फर्जी रसीद के माध्यम से लोगों को देने का काम किया गया, लोगों को लूटने का काम किया गया। मान्यवर, मेरा अनुमान है कि कहीं वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को बेचने का भी काम किया गया। जहां धार्मिक स्थल मस्जिद वगैरा थी, उनकी फौजदारी करके वहां कमेटियां बनायी गयी और झगड़े कराने का काम किया गया और आज मेरा मानना है कि लगभग वक्फ बोर्ड का 10 करोड़ रू0 के आस-पास सामाजिक और जिसको मुसलमान अल्लाह की प्रापर्टी मानता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने किया है। मान्यवर, इससे भी आगे बढ़कर जो काम हुआ है, वह हज कमेटी ने किया है। मान्यवर, जो हजी दिल्ली से वापस आये हैं, जो मुख्यमंत्री का कोटा होता है 40 हजियों का, उसे भी बेच लिया गया। मान्यवर, जो लोग फ्रॉड हैं वही लोग इनको अध्यक्ष बनाने के लिए मिलते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, 24 तारीख में वक्फ बोर्ड की बैठक हुई, उसका कार्यवृत्त शासन में है। सिटी मजिस्ट्रेट शासन के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मौजूद थे और उस बैठक में 8-1 के अन्तर से जो प्रस्ताव पास किया गया। मान्यवर, 9 मैम्बर, बैठक में सम्मिलित हुए और 8 आदमियों ने एक स्वर से कहा कि सी0ओ0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से वक्फ बोर्ड से अलग कर दिया जाय और चेयरमैन के खिलाफ एक्ट की धारा-20 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनको घर का रास्ता दिखाने का कार्य करें और समूचे प्रकरण पर मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस जांच कराने की मांग पूरे बोर्ड ने की है, लेकिन सरकार और शासन सोया हुआ है।

मान्यवर, एक प्रस्ताव यह भी किया है कि दरगाह पिरान कलियर में हमेशा के लिए डी0एम0 को वित्तीय पॉवर दी जाय, सलाहकार का वक्फ बोर्ड रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वित्तीय पॉवर डी0एम0 के पास रहेगी। मान्यवर, यहां पर जो फार्जरी होने का कार्य होता है, इस बारे में पिछली बार भी मैंने मुद्दा उठाया था, लईक अहमद चेयरमैन था, कई करोड़ रू0 लेकर वह भाग गया और इस बार ये चेयरमैन हैं, कोई कागज नहीं दिखा सकता है। ये

भी पूरी गठरी बाधगा और भाग जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक विचित्र स्थिति है आप जांच करा दें, ये एक रसीद दिखा दे, कोई भी नही खाता दिखा दे, चेयरमैन तो जाने। मान्यवर, 9 लाख रु0 का फर्जी चैक बैंक में पकड़ा गया रिपोर्ट दर्ज हुई एक आदमी पकड़ा गया और उसने साफ कहा चेयरमैन के बेटे ने मुझे चैक दिया है, वह बच गया कार्ड बात नहीं। यह जाँच का विषय है। आज नही तो कल चोर होगा तो जेल जायेगा ही। मैं मांग करता हूँ कि इस मुद्दे पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो और विजीलेंस की व्यवस्था इसमें हो और सी0ओ0 एवं चेयरमैन को तत्काल जेल भेजने का कार्य करे।

*समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री (बलवन्त सिंह भौर्याल)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री शहजाद द्वारा नियम—58 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड की दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 को सम्पन्न बैठक के क्रम मे की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध मे विचार रखे गये। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा 17 अक्टूबर, 2011 द्वारा 13 विभिन्न बिन्दुओं पर वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की कतिपय शिकायतों पर जाँच करने हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार को कहा गया है। दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 को वक्फ बोर्ड की सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णयो तथा संस्तुतियो का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमे शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री शहजाद—

मान्यवर, विजीलेंस जांच की बात हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, 17 अक्टूबर, को जिलाधिकारी को शासन से पत्र गया। श्रीमन् 13 विभिन्न बिन्दु थे, उन पर जाँच करने के लिए कहा, वह रिपोर्ट अभी आ रही है। 24 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड की बैठक मे जो प्रस्ताव आया, उसका भी परीक्षण किया जा रहा है आप भरोसा रखिए, उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री शहजाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पर पूरा भरोसा है लेकिन जो दूसरे सहयोगी है, वे कुछ का कुछ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री शहजाद और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री हरिदास—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम—58 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हरिद्वार जनपद गन्ना किसानो का

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

गढ़ है। हमारे प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है जो हरिद्वार जनपद मे होता है और हरिद्वार के किसान आज मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खेत को खाली करके, गन्ने को बेचकर, गन्ने को मिल मे डाल कर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त करें। लेकिन आज तक सरकार के कान में कोई भी जूँ नही रेंगी। आज गन्ने का मूल्य भी तय नहीं हुआ कि हम किसानो को गन्ने का क्या मूल्य देंगे। हमारे यहाँ हरिद्वार में कई धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके बाद भी सरकार के कान में कोई जूँ नहीं रेंग रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार पर तो भरोसा नही है, आप ही सरकार को निर्देशित करें कि आप गन्ने का रेट यह देगे और मिल को कम से कम 10 तारीख से पहले चला दगे, ऐसा निर्देश पीठ की तरफ से जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करेगे। हमे सरकार पर भरोसा नही है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। गन्ना किसानो की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में यह सूचना दी गयी हैं आज पूरे उत्तराखण्ड के गन्ना किसान बहुत परेशान है। गन्ना किसानों की फसल भी उत्पादन भी एक टोप घोर बीमारी लगने के कारण इस वर्ष कम हुई है। इस कीड़ ने फसल को बहुत बर्बाद कर दिया है। लेकिन सरकार द्वारा इस समस्या का कोई समाधान नही किया गया है। महगाई बढ़ने के कारण बहुत अधिक लागत गन्ने को उगाने मे किसानों को लगानी पड़ती है और उसके अनुरूप सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित मूल्य नही दिया जाता। हमारी सरकार दूसरी सरकारों पर डिपेण्ड रहती है यह कहती है कि पहले पंजाब का मूल्य घोषित होना चाहिए, फिर हरियाणा का मूल्य घोषित होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मूल्य घोषित होना चाहिए। वहॉ की परिस्थिति अलग है और यहॉ की परिस्थिति अलग है। वहॉ किसान को कम लागत लगानी पड़ती है और उत्तराखण्ड मे किसान को अधिक लागत लगानी पड़ती है। यह एक गंभीर समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से ही हो सकता है। सरकार तो गूँगी–बहरी है। सरकार में बैठे सम्मानित आदरणीय मंत्री जी उसी क्षेत्र के निवासी हैं लेकिन कभी किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। पॉच वर्षों से लगातार मैं सदन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से और माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल कर गन्ना किसानो की समस्याओं को उठाता आया हूँ। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, आपसे हमे पूरी आशा है, आप पूरे भारत में सबसे अच्छा गन्ना मूल्य और कम से कम 350 रुपया करने के लिये सरकार को निर्देशित करेगे और जो पिछला भुगतान रह गया है, जो अभी तक मिल जाना चाहिये था, उसे ब्याज

सहित किसानो को दिया जाय, ऐसा निवेदन मैं आपसे करूँगा। इसके साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जो गन्ना मिले हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी उन्हें अतिशीघ्र समय से चलाने का भी निर्देश आप सरकार को दें और मेरा आपसे निवेदन है कि किसानो की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुये गन्ने का मूल्य 350 रूपया दिलवाने के लिये सरकार को निर्देशित करें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हरिदास एवं माननीय सुरेन्द्र राकेश ने नियम–58 के अन्तर्गत गन्ना किसानों के सम्बन्ध में, गन्ना मिल चलाने के सम्बन्ध में और गन्ना मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में सदन ध्यानाकर्षण पर अपना विषय रखा है। मान्यवर, निश्चित रूप से पिछले पॉच वर्षो में इस सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि चाहे गन्ना किसान हो या गन्ने से सम्बन्धित कोई समस्या हो, गन्ने का मूल्य हो, गन्ने का भुगतान हो, उसे व्यवस्थित और ठीक प्रकार से किया जाय। जहा तक मिलों को चलाने की बात है तो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों मे जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह मिले नवम्बर माह से प्रारम्भ होती हैं और इस वर्ष भी अन्य वर्षों की तुलना मे सही समय पर चलाने के निर्देश दिये गये हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मिलो के प्रारम्भ होने की तारीखें अलग–अलग हैं, यह मिलें तय करती है, 10 नवम्बर से मिले शुरू हो जाती है। (व्यवधान) मान्यवर, यह प्राइवेट मिले हैं, निगम की मिले हैं, को–ऑपरेटिव की मिलें है, यह ऑटोनॉमस होती है, यह अपनी तारीखें स्वयं तय करते हैं, सरकार इनसे सूचना लेती है और निर्देश देती है, किसानों की समस्या के निदान के लिये उनको निर्देश देती है।

मान्यवर, मैं सम्मानित विधायक जी को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हरिद्वार में किसी भी किसान का कोई भुगतान शेष नही है, समय पर यहां भुगतान कर दिया गया था। (व्यवधान) मान्यवर, जहा तक गन्ना मूल्य घोषित करने का सवाल है तो मै माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि (व्यवधान) मान्यवर, कुछ को–ऑपरेटिव का भुगतान बाकी है। मान्यवर, पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी हमने देश मे सबसे ज्यादा मूल्य इस राज्य मे दिया है, समय पर भुगतान की व्यवस्था भी कराई है। इस वर्ष के लिये भी मै माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक मूल्य निर्धारण समिति बनाई जाती है, जिसमे किसानों के प्रतिनिधि भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, मिलों के प्रतिनिधि भी होते हैं, वह किसानों के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, यह मीटिंग देहरादून मे भी होती है, हरिद्वार में भी होती है और ऊधमसिंह नगर में भी होती है और उसके बाद यह अपनी संस्तुति सरकार को भेजते हैं। मान्यवर, अभी संस्तुति सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही संस्तुति प्राप्त होगी, आप निश्चिन्त रहिये, सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस वर्ष भी गन्ने का मूल्य किसी भी रूप मे अच्छा दिया जाय और आप लोगों की भावनाओं

के अनुरूप हम लोग काम करें, यह हमेशा से सरकार की मंशा रही है, जैसे ही संस्तुति प्राप्त होगी, तत्काल गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानननीय अध्यक्ष जी, गन्ने का मूल्य 350 रुपये घोषित किया जाय।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरिदास, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश और माननीय मंत्री जी कोसुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय। कृपया, स्थान ग्रहण करे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' मे मौजूद बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

संविधान 74वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों में निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, "इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।"

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

चर्चा जारी तो है, लेकिन मैं बात करूँगा फिर से अवसर पता नहीं कब मिले। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा ही नहीं बल्कि सरकार का जवाब भी आपके सम्मुख सदन में आना चाहिए कि संविधान की मूल भावना 74वां संशोधन और उसकी मूल भावना के अनुरूप किसी भी नगरपालिका में, किसी भी नगर पंचायत के अन्दर, किसी भी नगर निगम के अन्दर, नगरपालिका, नगर पंचायतों के अन्दर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव न कराना इससे बड़ा संविधान का मखौल यह सरकार नहीं उड़ा रही है तो कौन उड़ा रहा है। नगर निगम के अन्दर आज तक डिप्टी मेयर का चुनाव न होना अपने आप में यह परिलक्षित करता है कि ये सरकार न तो संविधान को मानती है, न ही यह सरकार म्यूनिसिपल एक्ट, 1916, जिसके तहत इसका गठन होता है, यह स्थानीय सरकार होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसके चुनाव होते हैं, उसकी परिकल्पना अधूरी है। आज भी इससे बड़ा माननीय अध्यक्ष जी, क्या मखौल होगा, सरकार से क्या उम्मीद करें कि तीन साल छः महीने हो चुके हैं इसमें इनको फुर्सत ही नहीं है। जब मैंने पूर्व में इस सरकार से जानना चाहा था, प्रश्न किया तो प्रश्न का जवाब आता है कि 74वां संविधान संशोधन के अन्तर्गत इसकी अनिवार्यता नहीं है, अगर इसकी अनिवार्यता नहीं थी तो एक्ट में व्यवस्था होने की जरूरत कहां थी। विद्वान लोगों ने एक्ट बनाया और एक्ट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष की व्यवस्था दी गयी। अगर इसकी अनिवार्यता न

होती तो क्या इससे पूर्व मान्यवर, इस सरकार के गठन से पूर्व क्या वरिष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ, क्या रोस्टर में आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं हुई। क्या ये संविधान के तहत और एक्ट के तहत सरकार चलना चाहती हैं सरकार इसलिए एक्ट के मार्फत नहीं जाती है कि उ0प्र0 म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 इससे बड़ा और क्या मखौल होगा मान्यवर, कि आज ये सरकार अपना एक्ट भी नही बना पायी हैं जिस एक्ट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संचालित होती है।

मान्यवर, देहरादून नगर निगम की बात मैं बताऊँ, उसकी आज भी नगर निगम की परिकल्पना अधूरी है। मान्यवर, डिप्टी मेयर विकास समिति का अध्यक्ष होता हैं इस तरह से चार वार्ड की डेवलपमेंट कमेटियाँ होती है। उनका कहीं दूर–दूर तक डिप्टी मेयर का चुनाव न होना, उन विकास समितियों का गठन न होना सरासर यह बताता है कि सरकार संविधान के 74वॉं संशोधन का खुला उल्लंघन कर रही है। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि चुनाव कराने के लिए सरकार बाध्य है, नगर विकास मंत्री बाध्य हैं और नगर विकास विभाग बाध्य है, माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह तो बतायें। हमने तो चर्चा की बात कही, चर्चा पर आपको लगा कि एक्ट नही है। आपका एक्ट नही बना है तो आप हमारे उत्तर प्रदेश के म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 से संचालित हो रहे है। जिसमें यह तमाम चीजे हैं, फाइनेंस एक्ट की कुछ धारायें ऐसी हैं जिनके तहत अगर बोर्ड का कम्पोजेशन पूरा नही हुआ तो आप भुगतान की प्रक्रिया को नही लागू कर सकते। आप सर्व निर्णय नहीं दे सकते। आज आपने देखा होगा कि कई जगहों पर ऐसे अवसर आ रहे हैं जहाँ पर अगर उपाध्यक्ष होता, वरिष्ठ सम्मानित उपाध्यक्ष भी होते, तो आज एक्ट के मार्फत उनके निष्पादन पर कार्यवाही की जाती तो शायद उन पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होती और वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस कार्य को संचालित करते। लेकिन आज यह लग रहा है, कई जगह पर इनकी तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है, जॉच के दायरे में है क्या करें, अगर एक्ट होता, एक्ट के परव्यू मे होता तो माननीय मंत्री जी आपको भी यह लगता कि आपने संविधान के 74वें संशोधन का पालन किया है, एक्ट का पालन किया है। एक्ट का पालन न करना मैं समझता हूँ कि सरकार का अपने आप मे वो मुखौटा है, जिस मुखौटे को दिखाकर यह प्रदूषित करना चाहते हैं, यह प्रचलित करना चाहते हैं कि यह आयोग और इस तरह की समितियो का कभी–कभी कार्यकाल घटाना और कभी–कभी कार्यकाल बढ़ाना इनके शौक में आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत यह चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करे कि कम से कम एक माह के अन्दर यह चुनाव सम्पन्न करा दिये जायें, इनकी संवैधानिक व्यवस्था बहाल कर दी जाये। इस एक्ट की भावना का आदर किया जाये और एक माह के अन्दर चुनाव सम्पन्न करा कर नगर निगम से लेकर इनको नगर पंचायत, नगरपालिका तक क्रियान्वित किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि कम से कम सरकार आज इसकी मूल भावना का आदर और सम्मान के साथ–साथ, माननीय मंत्री जी अगर निर्णय ले लेते है तो बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखना चाहता है।

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय विधायक श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने नियम–105 के अन्तर्गत जो निकायों से सम्बन्धित संविधान का जो 74वॉ संशोधन है मान्यवर, मूल भावना के अनुरूप से सम्बन्धित विषय यहां सदन के सम्मुख रखा है। मान्यवर, संशोधन के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा भारत के संविधान मे भाग–9 के अन्तर्गत नगरपालिकाओ से सम्बन्धित अनुच्छेद–243त से 243यछ तक उपबन्ध अतः स्थापित किये गये हैं और नगरपालिकाओ की संरचना के सम्बन्ध मे अनुच्छेद–243(1) में उपलब्ध है कि किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से दिया गया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य मे 63 निकाय हैं और इन सभी निकायों में अनुच्छेद 243(1) में प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुपालन मे राज्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा वर्ष, 2002 एवं 2008 में नगरपालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्यो एवं नगर निगम के नगर प्रमुख एवं पार्षदों हेतु निर्वाचन विधिवत रूप से कराये गये हैं। नगरपालिका से नगर निगम के रूप में हमने हरिद्वार एवं हल्द्वानी को उच्चीकृत किया है। यहां इस समय प्रक्रिया जारी है निश्चित रूप से अगर यहां के सम्बन्ध में माननीय विधायक जी ने कहा तो यहा भी जल्दी ही हम लोग काम करायेंगे। मान्यवर, जहा तक नगर निकायो में यथासमय संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप नगरपापलिका के सदस्य और अध्यक्ष पद पर निर्वाचन कराये गये है। किसी भी नगरपालिका में संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी संवैधानिक संकट नही है। चूंकि 74वां जो संविधान संशोधन है इसकी मूल भावना है कि प्रदत्त रूप से डायरेक्ट चुनाव कराये जाय।

मान्यवर, जहा तक उपाध्यक्ष का सवाल है तो निश्चित रूप से एक्ट मे यह व्यवस्था है। एक्ट की इस व्यवस्था को हम यथाशीघ्र ला रहे हैं, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। मान्यवर, कही भी इस प्रकार का संवैधानिक संकट नहीं है और सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम कर रही हैं मान्यवर, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चाहे अध्यक्ष का हो, उपाध्यक्ष का हो, मेयर का हो, उसी रूप में हमने कराये है। इसलिए निश्चित रूप से माननीय सदस्य को चिंता करने की बहुत अधिक आवश्यकता नही है और न ही इसका कोई कारण है और मैं इसकी आवश्यकता भी कोई नहीं समझता हूँ। मे। माननीय सदस्य को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रहिए, संविधान की मूल भावना के अनुरूप यह सरकार काम कर रही है, इसमे कहीं भी किसी प्रकार की कमी आने नहीं दी जायेगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीयमंत्री जी ने बहुत ही साफगोई के साथ यह समझाने की कोशिश की है, इस सदन को कि सम्मानित सभासदो का और सम्मानित अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट है, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसमे मेरी जो जिज्ञासा थी। शायद मेरी मूल भावना को आप नहीं समझ सके है। मेरी मूल

भावना यह थी कि क्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष और नगर निगम का डिप्टी मेयर, इसका चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही है क्यों नहीं एक्ट की व्यवस्थाओं के तहत इसको कराया नहीं जा रहा है, इसको बताया जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संविधान के 74वें संशोधन में डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था है, जो हमने पूरी कराई है। जहां तक उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष का सवाल है तो यह मामला इस समय न्यायालय में लम्बित है।

श्री ओत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कौन सा मामला न्यायालय में लम्बित है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उपाध्यक्ष के चुनाव से सम्बन्धित मैटर इस समय न्यायालय में लम्बित है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विषय पर यहां पर इस रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री ओत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में कब गया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यहां पर जवाब भी दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह न्यायालय में गया है तो यह अपने आप में पर्याप्त है और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो सत्य से परे हो या सत्य न हो। माननीय मंत्री जी, यह आपको बता देंगे कि यह कब न्यायालय में गया है।

श्री ओत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर सरकार इस तरह से कार्य करती है, इस तरह से एक्ट का उल्लंघन करती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार जनता के साथ और चुनी हुई व्यवस्था के साथ विश्वासघात कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते है ?

श्री ओत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव एक माह के अन्दर करा लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों एवं

नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा विचार नहीं रखे गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है इस विषय पर अवगत कराना है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद–03 के अन्तर्गत नये राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन की जो व्यवस्था प्रतिपादित है। इस व्यवस्था से व संसद उस अनुच्छेद–03 के अन्तर्गत प्राविधान है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। (व्यवधान) यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है और चर्चा जारी है। चर्चा में यदि कोई माननीय सदस्य भाग लेना चाहता है तो ठीक है नहीं तो ट्रेजरी बैंच की ओर से उसका उत्तर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अभी इसमें उन्होंने अपनी पूरी बात कही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय की कार्यवाही भारत की संसद से होनी है। इस विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती हैं अतः इस विषय को अस्वीकृत करने की कृपा करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय। (व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी द्वारा कुछ कहे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

राज्य के आम आदमी को महंगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाने के सम्बन्ध में नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा विचार नहीं रखे गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–105 के तहत जो प्रस्ताव माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा रखा गया। यह सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य मे आम आदमी को महंगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पैट्रोल पर वैट को घटाया जाय। इसके सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि जहां तक पैट्रोल पर वैट की कर दर के सम्बन्ध में है, उत्तराखण्ड में वर्तमान म यह 25 प्रतिशत है जो कि अन्य सभी राज्यों से कम है और ये दरें यहां पर प्रचलित हैं। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान मे जो कर है अधिकांश राज्य के समतुल्य या उनसे कम है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अभी पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। उसमे आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य ने 78 पैसा वैट की छूट दिनांक 28 सितम्बर, 2011 तक उपलब्ध करा दी थी ताकि यहां की आम जनता को भारत सरकार द्वारा जो रेट बढ़ाये गये है उससे राहत मिल सके। डीजल के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 21 प्रतिशत वैट पूर्व से प्रचलित है और जब अभी भारत सरकार ने डीजल के दरों मे वृद्धि की है तो उसमें हमने 27 जून, 2011 को इस वृद्धि के सापेक्ष हमने रेट कम किये हैं और 63 पैसा प्रति लीटर में दर की छूट इस समय दी गयी है। मान्यवर, पैट्रोल और डीजल राज्य के संसाधनों मे महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। इस समय जो वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी सरकार के कन्धे पर है। पूर्व में माननीय सदन द्वारा एफ0आर0बी0एम0 एक्ट भी पारित किया गया है, जिसके रेवेन्यू डेफिसिट को शून्य स्तर पर लाया जाना है। इसलिए राज्य के खर्चों मे हो रही बढ़ोत्तरी के सापेक्ष संसाधनो की व्यवस्था का दायित्व भी सरकार पर है। इसलिए श्रीमन्, वर्ष 2009–10 में 2240.83 करोड़ की प्राप्तियों मे से ऑयल सेक्टर से अकेले 430 करोड़ की प्राप्तियॉं हुई हैं इसी तरह से वर्ष 2010–11 में 2934.95 करोड़ प्राप्तियों में से 612 करोड़ की प्राप्तियॉं हुई हैं इस प्रकार से समग्र रूप से विचारोंपरांत उत्तराखण्ड मे प्रचलित पैट्रोल व डीजल की वर्तमान कर दर मे किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आम आदमी को महँगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पैट्रोल पर वैट को घटाया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत हाजी तस्लीम अहमद, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री ओम गोपाल रावत, श्री विजय सिंह पवार, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री शेर सिंह गढ़िया की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, एक सूचना हमारी भी थी नियम–53 में।

श्री अध्यक्ष–

सूचनाऐं 9:30 बजे तक ली जाती हैं उस समय तक आपकी सूचना नहीं आयी थी। मैं इनमें से गौ वंश संवर्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत गौ–वंश के खुले छोड़े जाने से कृषि उत्पादनों को हो रही हानि के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए और दूसरा जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में विगत तीन महीने से खाद्यान्न की आपूर्ति न होने के कारण खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री शेर सिंह गढ़िया की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

अब हम उठते हैं कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून, डी0 पी0 गैरोला,

दिनांक : 31 अक्टूबर, 2011 प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–25 पर)

संख्या : 142/XXIV–2/11–6(5)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 जून, 2011

विषय : विद्यालयी शिक्षा विभाग के ढाँचे का पुनर्गठन।

महोदय,

शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु वर्तमान प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा की एकीकृत व्यवस्था के स्थान पर पृथक्–पृथक् प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यवस्थागत इकाई स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, मण्डल, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर पृथक्–पृथक् इकाई का गठन किया जाना, शिक्षकों एवं अधिकारियों के संकाय विकास व शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् एवं राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करने तथा प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण हेतु अलग–अलग निदेशकों के अधीन संचालित किया जायेगा। इसके साथ ही तीनों निदेशकों, निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण), के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं इनको एक छत्र के अन्तर्गत सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु एक महानिदेशक होंगे। उक्त तीनों निदेशालयों एवं महानिदेशालय के मुख्यालय देहरादून रहेंगे। अतः प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत कर संगठनात्मक स्वरूप के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–713/माध्यमिक/2003, दिनांक 05 सितम्बर, 2003 को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त महानिदेशालय, तीनों निदेशालयों, मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैट तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् को निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2–1. महानिदेशालय (विद्यालयी शिक्षा) :–

महानिदेशक के सहयोग हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग का एक अपर निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक तथा एक उप शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संवर्गीय वेतनमान	आई0ए0एस0 संवर्ग का अधिकारी
2.	अपर निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान में उपलब्ध मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, द्वितीय के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप अपर निदेशक, महानिदेशालय, अपर राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0 के दायित्वों का निर्वहन भी करेगा
3.	संयुक्त निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में मण्डल स्तर पर उपलब्ध संयुक्त निदेशक, द्वितीय के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप
4.	उप निदेशक	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान में उपलब्ध डायट के उप प्राचार्य के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप
5.	एम0आई0एस0 अधिकारी	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600	नव सृजित/नि.संवर्गीय पद जिस पर प्रतिनियुक्ति अथवा आउट सोर्सिंग से भर्ती की जायेगी

2 (i). निदेशालय (प्रारम्भिक शिक्षा) :–

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासनिक पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000	उप प्राचार्य डॉयट के वर्तमान में उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप

1	2	3	4	5
2.	अपर निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	उप प्राचार्य डॉयट के वर्तमान में उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप तथा अपर निदेशक (प्रा0शि0), अपर राज्य परियोजना निदेशक II के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का कार्य भी करेंगे
3.	संयुक्त निदेशक	02+1 =3	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	एक पद संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना का यथावत् जो एस0पी0डी0 के नियंत्रणाधीन प्रकोष्ठ एम0डी0एम0 का कार्य करेगा तथा दो पद उप प्राचा डॉयट के वर्तमान मे उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप
4.	उप निदेशक	04	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान मे उपलब्ध उप प्राचार्य के पदो के स्थानान्तरण/ उच्चीकरण के फलस्वरूप
5.	विधि अधिकारी	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	वर्तमान में उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा के सृजित पद के स्थानान्तरण/समायोजन से उपलब्ध
6.	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	विद्यालयी शिक्षा मे उपलब्ध पदो के समायोजन के फलस्वरूप

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अपर राज्य परियोजना, निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान–II के रूप में निदेशालय, बेसिक एवं एस0पी0ओ0 के कार्यों में समन्वय भी करेंगे। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में दोनो संयुक्त निदेशको के मध्य मानव संसाधन, प्रशासन एवं अर्थ/नियोजन/प्रोक्योरमेन्ट अकादमिक अनुश्रवण, विधि एवं अन्य विविध कार्यों का आवंटन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियो तथा लेखा संवर्ग कार्मिकों का बंटवारा वर्तमान मे उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के पदों से कार्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2 (ii). मण्डल स्तर :—

मण्डल स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्तीय संचालन हेतु निम्न अधिकारी होंगे :—

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	मण्डलीय अपर निदेशक, (बेसिक)	02	₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान में उपलब्ध दो संयुक्त निदेशक प्रथम के पदों के उच्चीकरण से समायोजन द्वारा

वर्तमान में दोनों मण्डलों मे संयुक्त निदेशक, प्रथम के पदो को उच्चीकृत कर मण्डलीय अपर निदेशक, बेसिक (गढ़वाल / कुमायूँ) किया गया हैं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का बटवारा वर्तमान में उपलब्ध मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय से कार्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

लेखा संवर्ग :—

मण्डल स्तर पर लेखा सम्बन्धी कार्य विद्यालयी शिक्षा के अधिकारी / कार्मिकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

2 (iii). जिला स्तर :—

जनपद स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था निम्नवत् होगी :—

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	13	₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान मे अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक के उपलब्ध पदो से

वर्तमान में जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे उपलब्ध शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं लेखा कार्मिकों का बंटवारा कार्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2 (iv). विकासखण्ड स्तर :—

विकासखण्ड स्तर पर वर्तमान मे उपलब्ध एक उपखण्ड शिक्षा अधिकारी, वेतनमान ₹ 9,300—34,800, ग्रेड पे ₹ 4,200 के पदों को ग्रेड पे 5,400 के पद में उच्चीकरण किया गया है। यह अधिकारी प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों का नियन्त्रक अधिकारी होगा। इनका संशोधित पदनाम उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) है। यह पद समूह 'ख' के प्रशासनिक संवर्ग के सीधी भर्ती का पोषक पद है, जो लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है। उपखण्ड शिक्षा अधिकारी पद मृत संवर्ग हो गया है वर्तमान मे कार्यरत उपखण्ड शिक्षा अधिकारियो का समायोजन

समान वेतनमान के पदों यथा शोध अधिकारी, प्रवक्ता अथवा अन्य पदों पर अर्ह योग्यतानुसार किया जायेगा।

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	95	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	वर्तमान में उपलब्ध उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पदों के उच्चीकरण एवं समायोजन के फलस्वरूप

उप शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान का खण्ड परियोजना अधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। विकासखण्ड स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा का संचालन उप शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

3 (i). <u>निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा)</u> :–

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मे वर्तमान निदेशक (विद्यालयी शिक्षा) का पद नाम निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) संशोधित किया जा रहा है निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा), उत्तराखण्ड के पदो का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	निदेशक (मा0शि0)	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000	वर्तमान में उपलब्ध निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पदनाम संशोधन के फलस्वरूप
2.	अपर निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान मे उपलब्ध पद अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अपर राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0–II के रूप मे कार्य करेंगे।
3.	संयुक्त निदेशक	02	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में उपलब्ध नही
4.	उप निदेशक	07	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	तदैव
5.	विधि अधिकारी	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600	वर्तमान में उपलब्ध उप प्राचार्य, डायट के पद के स्थानान्तरण / समायोजन के फलस्वरूप। यह निदेशालय माध्यमिक के अतिरिक्त महानिदेशालय एवं निदेशालय, अकादमिक का विधि सम्बन्धी कार्य भी करेंगे

1	2	3	4	5
6.	उप शिक्षा अधिकारी/स्टॉफ ऑफिसर	01	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉफ ऑफिसर के पदनाम संशोधन के फलस्वरूप

अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), अपर राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वितीय के रूप में समन्वय का कार्य भी करेंगे।

3 (ii). मण्डल स्तर :–

क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)	02 (गढ़वाल एवं कुमायूं)	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	मण्डल स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध अपर निदेशक के पदों के फलस्वरूप
2.	विधि अधिकारी	02 (गढ़वाल एवं कुमायूं)	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	मण्डल स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध विधि अधिकारी के पद। विधि अधिकारी मण्डल स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विधि सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन भी करेगा

3 (iii). जनपद स्तर :–

क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	मुख्य शिक्षा अधिकारी	13	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में उपलब्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पदों के नाम संशोधन के फलस्वरूप
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	13	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान में उपलब्ध अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के नाम संशोधन के फलस्वरूप

3 (iv). खण्ड स्तर :–

वर्तमान में खण्ड स्तर के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य पदेन खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इन खण्ड स्तरीय 95 इण्टरमीडिएट कॉलेजोंमें 95 उप प्रधानाचार्य के प्रशासनिक पद, वेतन बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में सृजित हैं। प्रशासनिक संवर्ग में खण्ड शिक्षा अधिकारी का पृथक पद होना आवश्यक है। अतः वर्तमान में 95 उप प्रधानाचार्य के सृजित पदों को वेतन बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में उच्चीकृत एवं स्थानान्तरण कर समायोजन, द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी का पृथक पद किया गया

है। खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वतंत्र रूप से माध्यमिक शिक्षा के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उत्तरदायी होंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी का नियंत्रक अधिकारी होगा तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का खण्ड परियोजना अधिकारी होगा।

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	खण्ड शिक्षा अधिकारी	95	₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600	वर्तमान में उपलब्ध खण्ड स्तरीय इण्टर कॉलेजों में सृजित उप प्रधानाचार्य के पद के उच्चीकरण एवं नाम संशोधन के फलस्वरूप समायोजन द्वारा

94 खण्ड स्तरीय इण्टर कॉलेजों में वर्तमान में सृजित वरिष्ठ प्रधानाचार्य सह खण्ड शिक्षा अधिकारी का पदनाम प्रधानाचार्य हो जायेगा, जो शैक्षिक संवर्ग का पद होगा तथा केवल अपने इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्य पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3 (V). उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् :—

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, माध्यमिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। परिषद् का सभापति पदेन निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) होगा तथा वर्तमान में उपलब्ध पद ही रहेंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सचिव (अपर निदेशक स्तर)	01	₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान में उपलब्ध पद
2.	अपर सचिव (संयुक्त निदेशक स्तर)	02	₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान मे उपलब्ध अपर सचिव एक तथा संयुक्त निदेशक एक पद द्वारा
3.	संयुक्त सचिव (उप निदेशक स्तर)	02	₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान मे उपलब्ध पद
4.	उप सचिव (समूह 'ख' स्तरीय)	01	₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600	वर्तमान मे उपलब्ध पद

4 (i). निदेशालय (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) :—

वर्तमान में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले अकादमिक कार्यों जैसे : पाठ्य पुस्तक विकास, मुद्रण एवं प्रकाशन, शोध एवं

मूल्यांकन, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, शैक्षिक तकनीकी, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, ब्रिज कोर्स निर्माण, विशिष्ट एवं नवाचारी शिक्षा आदि कार्यों का सम्पादन राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् के द्वारा किया जाता है। इसके अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिले स्तर पर अकादमिक एवं सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन करते हैं। इनके निदेशक के दायित्वों का निर्वहन वर्तमान मे विद्यालयी शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) संचालित है जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अभिकर्मियों को प्रबन्धन, शैक्षणिक नियोजन, नवाचारों आदि के सम्बन्ध मे सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करता हैं संस्थान का निदेशक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान पदेन है।

प्रशिक्षण के सभी संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0), राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एक ही अकादमिक छत्र के नीचे लाये जाने हेतु प्रशिक्षण से जुड़े सभी संस्थानो के विभागाध्यक्ष के रूप मे एक निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) का पद सृजित किया जा रहा है, जिससे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अकादमिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो मे समन्वय स्थापित हो सके तथा गुणवत्ता सुनश्चित की जा सके।

निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण का यह पद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) के एक संयुक्त निदेशक के पद के उच्चीकरण से सृजित किया गया है। विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1.	निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000	वर्तमान मे (एस0सी0ई0आर0टी0) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में उपलब्ध 04 संयुक्त निदेशक के पदों में से 01 पद को उच्चीकृत / स्थानान्तरित करते हुए सृजित किया गया है।

4 (ii). राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सृजित पदो का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अपर निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान में उपलब्ध पद

1	2	3	4	5
2.	संयुक्त निदेशक	03	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में उपलब्ध 04 पदों में से 03 पदों को यथावत् रखते हुए तथा 01 पद संयुक्त निदेशक को उच्चीकृत कर निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण)
3.	उप निदेशक	08	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	वर्तमान में उपलब्ध 8 पदों को यथावत् रखते हुए।
4.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / डी0आर0सी0	13	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में उपलब्ध 13 पदों को उच्चीकृत कर संयुक्त निदेशक स्तर का किया गया है।

वर्तमान में उपप्राचार्य, डायट के 10 पदों को महानिदेशालय एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा में विभिन्न पदों में उच्चीकृत कर समायोजित किया जा रहा है। एस0सी0ई0आर0टी0 एवं डायट में वर्तमान में सृजित सहायक निदेशक / वरिष्ठ प्रवक्ता पद यथावत् रहेंगे जो शैक्षिक संवर्ग के पद होंगे।

4 (iii). राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) :–

वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण (सीमैट) में सृजित एक अपर निदेशक एवं दो विभागाध्यक्ष (संयुक्त निदेशक स्तर) के निःसंवर्गीय पद हैं इनके कार्यों एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्थान को बनाये रखना राज्य सरकार की आवश्यकता है।

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड / ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अपर निदेशक	01	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	वर्तमान में उपलब्ध नि.संवर्गीय किया गया है
2.	विभागाध्यक्ष (संयुक्त निदेशक स्तर) (अ) नीति नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग (ब) शोध मूल्यांकन एवं तकनीकी विभाग	02	₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	वर्तमान में उपलब्ध 2 पदों को संवर्गीय किया गया है

4 (iv). पूर्व उपलब्ध पदों एवं पुनर्गठन के पश्चात् सृजित पदों का तुलनात्मक विवरण :—

		पूर्व स्वीकृत पद			एतद्द्वारा सृजित पद						
								निदेशालय (अकादमिक)			
क्र0 सं0	पद एवं वेतनबैंड/ ग्रेड पे	विद्यालयी शिक्षा में वर्तमान पदों की संख्या	सीमैट में सृजित कुल पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	महा निदेशालय	निदेशालय माध्यमिक	निदेशालय प्रारम्भिक	एस0सी0ई0आर0टी0	सीमैट	डायट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	निदेशक स्तर ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000	1	0	1	0	1	1	1	0	0	3
2.	अपर निदेशक स्तर ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900	5	1	6	1	4	3	1	1	0	10
3.	संयुक्त निदेशक स्तर ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700	26	2	28	1	17	3	3	2	13	39
4.	उप निदेशक स्तर ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600	67	0	67	1	22	17	8	0	0	48
5.	समूह 'क' खण्ड शिक्षा अधिकारी/समकक्ष पद ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600	—	—	—	–7	97	—	—	—	—	97
6.	समूह 'ख' ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400	100	0	100	0	3	97	0	0	0	100
7.	उप खण्ड शिक्षा अधिकारी ₹ 9,300–34,800 ग्रेड पे ₹ 4,200	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	294	3	297	3	144	121	13	3	13	297

5 (i). पुनर्गठित ढांचे में 297 संवर्गीय पद के अतिरिक्त 01 पद एम0आई0एस0 अधिकारी का निसंवर्गीय पद महानिदेशालय में होगा।

5 (ii). महानिदेशालय (विद्यालयी शिक्षा) एवं निदेशालय (प्रारम्भिक शिक्षा) तथा निदेशालय (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) के गठन के फलस्वरूप वाहन सहित चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के अतिरिक्त निम्नवत् सृजित पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा :—

क्रम	पदनाम	संख्या
1	चालक सहित वाहन	14
3	चतुर्थ श्रेणी	18

5 (iii). उक्त प्रशासनिक संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन के पश्चात् शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग पृथक्–पृथक् हो जायेंगे। प्रशासनिक संवर्ग के ढांचे के पदों के अतिरिक्त समस्त पद यथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाईस्कूल, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कॉलेज, सहायक निदेशक/वरिष्ठ प्रवक्ता, एस0सी0ई0आर0टी0/डायट एवं शोध अधिकारी शैक्षिक संवर्ग के पद होंगे। शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग चयन हेतु विकल्प मांगे जाने हैं, जिसके लिए 01.01.2006 से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्यों से शैक्षिक अथवा प्रशासनिक संवर्ग चयन करने हेतु विकल्प लिया जायेगा। दिनांक 01.01.2006 या इसके पश्चात् नियुक्त/पदोन्नत राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या स्वतः शैक्षिक संवर्ग के सदस्य होंगे। 01.01.2006 या उसके पश्चात् समूह 'क' में कार्यरत अधिकारियों को भी शैक्षिक अथवा प्रशासनिक संवर्ग में से किसी एक संवर्ग को चयन करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. शिक्षणेत्तर कार्मिकों तथा लेखा संवर्ग के कार्मिकों का विभाजन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर, तीनों निदेशालयों तथा महा निदेशालय में आवश्यकतानुसार कर, शासन को एक माह के अन्दर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें, जिससे प्रत्येक स्तर पर पृथक्–पृथक् इकाई के रूप में कार्य प्रारम्भ हो सके।

4. वर्तमान में संचालित कार्यालय भवनों में ही पृथक्–पृथक् इकाई के रूप में व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

5. उक्त नवीन पुनर्गठित ढाँचे में उप खण्ड शिक्षा अधिकारी पद मृत संवर्ग का हो गया है, वर्तमान में कार्यरत उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों का समायोजन समान वेतनमान के उपलब्ध पदों यथा शोध अधिकारी अथवा अन्य पदों पर अर्हता/योग्यतानुसार किया जाना है। इनका समायोजन 15 दिन के अन्दर अपने स्तर से करते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. उक्त पदों पर भर्ती तथा समय सेवा नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त की जायेंगी। प्रशासनिक तथा शैक्षिक संवर्ग की सेवा नियमावली प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव एक माह के अन्दर पृथक्–पृथक् उपलब्ध करायें।

7. उक्त पदधारकों का शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

8. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के अधीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर, तीनों निदेशालयों, महानिदेशालय, एस0सी0ई0आर0टी0, सोमेंट एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् पर प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यथावत किया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–269(P)XXXVII–7/2011, दिनांक 10 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार),
सचिव।

संख्या–142(1)/XXIV–2/11/6(5)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी।
11. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
16. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग)।
17. शिक्षा अनुभाग–1/3/4/5 उत्तराखण्ड शासन।
17. अनुभागीय प्रति।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह),
अनु सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–38 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–94 पर)

अता0 प्रश्न संख्या–38 का संलग्नक 'क'

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन द्वारा वर्ष, 2007–08 से अब तक क्रय किये गये विद्युत पोलों तथा ट्रांसफार्मर पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	विद्युत पोलों की संख्या (नग)	व्यय की गयी धनराशि (रू0 लाख)
1.	2007–08	41390	1642.80
2.	2008–09	26470	1066.00
3.	2009–10	48450	2143.00
4.	2010–11	64860	2663.00
5.	2011–12	39290	1266.00
	कुल योग	220460	8780.80

क्र0 सं0	वर्ष	ट्रांसफार्मरों की संख्या (नग)	व्यय की गयी धनराशि (रू0 लाख)
1.	2007–08	1391	1256.29
2.	2008–09	1585	1150.69
3.	2009–10	2411	2300.39
4.	2010–11	5105	2774.19
5.	2011–12	1305	1487.49
	कुल योग	11797	8969.05

नोटः–सामग्री जनपदवार क्रय नहीं की जाती है।

अता0 प्रश्न संख्या–39 का संलग्नक 'ख'

वर्ष 2007–08 से दिनांक 29.08.2011 तक प्रयोग में लाये गये एवं अवशेष विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मरों का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

जनपद	प्रयोग में लाये गये विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मरों का विवरण		अवशेष विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मरों का विवरण	
	विद्युत पोल	ट्रांसफार्मर	विद्युत पोल	ट्रांसफार्मर
देहरादून	36363	4116	5483	162
टिहरी	7891	1963	255	27
उत्तरकाशी	2624	1074	256	30
पौड़ी	10220	2115	1872	85
चमोली	3999	1159	74	28
हरिद्वार	49153	14157	2519	172
रुद्रप्रयोग	2250	479	कुमाऊँ क्षेत्र के अवशेष विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मरों का विवरण भण्डार केन्द्रवार संलग्नक–ग पर उपलब्ध है।	
नैनीताल	19889	2345		
अल्मोड़ा	9697	1017		
बागेश्वर	5397	542		
ऊधमसिंह नगर	33133	9235		
चम्पावत	4582	304		
पिथौरागढ़	6337	764		

अता० प्रश्न संख्या–38 का संलग्नक 'ग'

दिनांक 22.08.11 तक अवशेष विद्युत परिवर्तकों का भण्डार केन्द्रवार विवरण

दिनांक	वि०भ०के० हल्द्वानी (नैनीताल)	वि०भ०के० अल्मोड़ा (बागेश्वर)	वि०भ०के० काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	वि०भ०के० (ऊधमसिंह नगर)	वि०भ०के० टनकपुर (चम्पावत)	वि०भ०के० पिथौरागढ़	वि०भ०के० मासी (अल्मोड़ा)	योग
22.08.11	83	28	17	99	13	11	17	278

दिनांक 22.08.11 तक अवशेष विद्युत पोलों का भण्डार केन्द्रवार विवरण

दिनांक	वि०भ०के० हल्द्वानी (नैनीताल)	वि०भ०के० अल्मोड़ा (बागेश्वर)	वि०भ०के० काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	वि०भ०के० (ऊधमसिंह नगर)	वि०भ०के० टनकपुर (चम्पावत)	वि०भ०के० पिथौरागढ़	वि०भ०के० मासी (अल्मोड़ा)	योग
22.08.11	2974	337	328	217	492	576	257	6181

नोटः–

1. नैनीताल जिले के सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, हल्द्वानी एवं काशीपुर द्वारा निर्गत की जाती है।
2. ऊधमसिंह नगर जिले को सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, हल्द्वानी, काशीपुर एवं रुद्रपुर द्वारा निर्गत की जाती है।
3. अल्मोड़ा जिले को सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, अल्मोड़ा एवं मासी द्वारा निर्गत की जाती है।
4. बागेश्वर जिले को सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, अल्मोड़ा द्वारा निर्गत की जाती है।
5. पिथौरागढ़ जिले को सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत की जाती है।
6. चम्पावत जिले को सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र, टनकपुर द्वारा निर्गत की जाती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–100 पर)

प्रभारी अधिशासी अभियन्ताओं की सूची

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान	कब से कार्यरत
01	श्री सुनील कुमार	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	12.10.09
02	श्री मनोज कुमार सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, रानीखेत	31.01.11
03	श्री अनुपम सक्सेना	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड 2, अल्मोड़ा ए0डी0बी0	12.10.09
04	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	06.08.10
05	श्री विजय नारायण पाण्डे	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड भवाली	12.10.09
06	श्री शैलेन्द्र मिश्रा	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड 2, नैनीताल ए0डी0बी0	15.01.10
07	श्री संजय प्रसाद सिन्हा	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड पिथौरागढ़ ए0डी0बी0	12.10.09
08	श्री हरीश कुमार	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड बड़कोट	06.08.10
09	श्री प्रद्युम्न कुमार	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	15.03.10
10	श्री धन सिंह कुटियाल	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड घनसाली	14.10.11
11	श्री मनोज पन्त	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, पोखड़	12.10.09
12	श्री इन्द्रजीत बोस	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	06.08.10
13	श्री रमेश चन्द्र	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माणखण्ड ऊखीमठ	29.04.11
14	श्री बदन सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	06.08.10
15	श्री राजीव शाही	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, चम्बा	01.01.09
16	श्री राजेश कुमार पन्त	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड नई टिहरी	29.04.11
17	श्री नवनीत पाण्डे	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, चकराता	12.10.09
18	श्री ओमपाल सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड ए0डी0बी0 उत्तरकाशी	14.10.11
19	श्री राजेश प्रताप सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, सहिया	06.08.10
20	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	14.10.11
21	श्री ब्रजराज मिश्रा	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	रा0मा0 खण्ड2 श्यामकोट	06.08.10
22	श्री राम आसरे	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	वि0/या0 खण्ड ऋषिकेश	22.06.11
23	श्री गंगा बाबू	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी	12.10.09
24	श्री प्रवीण बहुखण्डी	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड पौड़ी	06.08.10
25	श्री दीपक गुप्ता	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, श्रीनगर	12.10.09
26	श्री राजेश चन्द्र	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड बैजरों	29.10.10
27	श्री करण सिंह नेगी	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड 2, पौड़ी ए0डी0बी0	12.10.09
28	श्री गिरीश चन्द्र आर्य	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, कपकोट	14.10.11
29	श्री मनोहर सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लोहाघाट	14.10.11
30	श्री हरीश भारती	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड पुरोला	14.10.11
31	श्री ओम प्रकाश	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	14.10.11
32	श्री रणजीत सिंह	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, पन्तवाड़ी	14.10.11
33	श्री महीपाल सिंह रावत	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट	14.10.11
34	श्री जीवन सिंह ह्यांकी	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन	14.10.11
35	श्री अनिल पांगती	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड ए0डी0बी0, रुद्रपुर	14.10.11
36	श्री पी0एस0 बृजवाल	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड ए0डी0बी0, बागेश्वर	14.10.11
37	श्री मुकेश सिंह परमार	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	अस्थाई खण्ड [illegible]	14.10.11
38	श्री ओम प्रकाश	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हल्द्वानी	14.10.11
39	श्री दिवाकरण सिंह ह्यांकी	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड 2, देहरादून	14.10.11

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–47 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–105 पर)

विधानसभा के द्वितीय सत्र–2011 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–47 का संलग्नक

जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रस्तावों की स्थिति

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख में)	वन भूमि प्रस्ताव कब से लम्बित है
1	2	3	4	5	6
	शहीद मोहन सिंह मो0 मार्ग का वैसाली तक विस्तार	3704/III(2)/08–49(एम0एल0ए0) दि0 19–11–08	5.00	175.00	29–07–2011
	विकासखण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत नौबाड़ा से नौंगाव मोटर मार्ग का निर्माण	541/111–(2)/08–35(प्रा0आ0)/08 दि0 11–02–09	3.00	105.00	17–07–2011
	अल्मोड़ा मजखाली–दिगोटी मो0 मार्ग	2490/III 2/08–35(प्रा0आ0)/07 दि0 25–07–08	4.00	140.00	12–07–2011

प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रस्तावों की स्थिति

1.	जनपद अल्मोडा में डुबरोली से ध्यूली धौनी सम्पर्क मार्ग	262/लो0नि0–1/2003–05(प्रा0आ0)/2003 दि0 31 मार्च, 2003	5.00	21.50	11–11–2010
2.	चौंना ऊंचा वाहन मो0 मा0	13/लो0नि0–2/03–46(प्रा0आ0)/03 दि0 21–01–04	2 Km	27.80	21–07–2011
3.	गरुड़ाबाज मटकन्या अंडोली मो0 मा0	59/लो0नि0–2 दि0 22–01–04	8.00	34.40	17–06–2011

1	2	3	4	5	6
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक कुमाऊ उत्तरी स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रस्तावों की स्थिति					
1.	बराकूना धरमघर मन्योलासैण मो0मा0	127/लो0नि0–1 दि0 16–02–04	5.00	69.50	19–12–2009
2.	पनेट पत्थर खानी धौलछीना मो0मा0	182/लो0नि0–2 दि0 12–02–04	14.00	194.60	21–07–2010
3.	ध्याड़ी मिरगौंव मनेश्वर मो0मा0	182/लो0नि0–2 दि0 12–02–04	5.00	69.50	24–08–2011
4.	ध्याड़ी मिरगौंव मनेश्वर मो0मा0	127/लो0नि0–1, दि0 16–02–04	5.00	69.50	24–08–2011
5.	मजखाली दिगौटी मो0मा0	एल0–118/14–03–1990, अनु0–3 लखनऊ दिनांक 27–01–1990	3.00	12.90	19–05–2011
6.	गुरूड़ाखेत–सूणी मो0 मार्ग	2491/III(2)06–36(प्रा0आ0)/06, दिनांक 19–09–2006	5.00	99.20	10–06–2011
7.	जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मो0मा0	2491/III(2)06–36(प्रा0आ0)/06, दिनांक 19–09–2006	18.00	439.50	10–06–2011
8.	जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली बासोट मो0मा0	2491/III(2)06–36(प्रा0आ0)/06, दिनांक 19–09–2006	9.00	173.70	25–08–2011
9.	देघाट–चितोली मो0मा0 के कि0मी0 13 पर नगरकोटिया कोटिया गांव मो0मा0 निर्माण	827/III(2)06–76(प्रा0आ0)/05 टी0सी0, दिनांक 28–03–06	3.00	94.20	10–06–2011
10.	अल्मोड़ा में सिरोनिया से डाजाकोट–नगरखान ग्राम हेतु सम्पर्क मार्ग	830/III(2)08–29(प्रा0आ0)/07, दिनांक 24–03–08	5.00	130.56	25–07–2011

1	2	3	4	5	6
11.	बसोट–पट्टी कि0मी0 15 से थापला भिला मो0मा0 निर्माण	827 / III(2)06–76(प्रा0भा0) / 05 टी0सी0, दि0 18–03–06	6.500	140.00	25–08–2011
12.	भिकियासैंण से थापला तक मामा0	2580 / III(2)06–44(प्रा0भा0) / 06, दिनांक 19–10–05	5.250	236.00	25–08–2011
13.	इटौला–कनाबुंगा का नैनोली तक विस्तार	3704 / III(2)08–49(एम0एल0ए0) / 08, दिनांक 19–11–08	4.00	140.00	05–03–2011
14.	अल्मोडा मे द्वाराहाट के अन्तर्गत गगास मनोला एराडी मोटर मार्ग का निर्माण	2755 / III(2)06–52(प्रा0भा0) / 06, दि0 10–11–2006	5.00	73.67	31–05–2011

नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रस्तावों की स्थिति

1.	सितईपन्त तिराहे से हरीदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज पेटशाल तक लिंक मार्ग (रा0सै0)	572 / III(2)06–08(प्रा0भा0) / 06 टी0सी0, दिनांक 28–03–06	8.00	200.16	21–12–2008
2.	शैल पुरसौ छाना कुडगोली हवालबाग मो0मा0	182 / लो0नि0–2, दि0 12–02–04	10.00	139.00	29–03–2010
3.	वृद्ध जागेश्वर कसार बेण्ड मो0मा0	298 / लो0नि0–2–16 प्रा0भा0, दि0 28–02–04	5.00	69.60	10–08–2011
4.	अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा अगेर (पच्चीसी) को जोडने हेतु मो0 मा0	2454 / III(2)05–07(प्रा0भा0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–05	2.00	27.80	10–08–2011
5.	चलनीछीना बाजार से प्राईमरी पाठशाला चुपडा तक मो0 मार्ग	774 / III(2)06–13(प्रा0भा0) / 06, दिनांक 28–03–2006	3.00	53.40	04–05–2010

1	2	3	4	5	6
6.	क्वारब से कोसी तक मो0मा0	2488 / III–2 / 08–03(मा0मु0म0घो0), दिनाक 05–07–2008	15.00	525.00	02–07–2010
7.	अल्मोड़ा में कुज्याड़ी से दिलकोट मो0मा0	3704 / III(02) / 49 एम0एज0सी0 / 08, दिनांक 19–11–2008	1.00	35.00	25–02–2011
8.	शीतलाखेत–कठपुड़िया मो0 मार्ग से बटगल भट् (मल्ला मो0 मार्ग)	764 / III(2)08–65(प्रा0आ0) / 07, दिनांक 24–03–2008	4.00	140.00	25–02–2011
9.	जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैड़ी–बक्सवार मो0 मार्ग	2454 / III–मु0म0घो0 / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005	10.00	139.00	07–07–2011
10.	ताड़ीखेत चपलाड़ी मटेला मनिहार मो0मा0	288 / लो0नि0–2–01–10(प्रा0आ0) / 04, दि0 27–02–04	5.00	69.50	20–09–2010
11.	रामपुर कुनीगाड मो0मा0	शासनादेश स0 289 / लो0नि0–2 / 04–16(प्रा0आ0) / 04 दि0 28–02–04	3	41.70	16–06–2011
12.	विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट जौरासी मो0मा0 का निर्माण एवं सेतु निर्माण	शासनादेश स0 289 / 111–(2) / 08–47(प्रा0आ0) / 07 दि0 20–03–08	15Km+ 1no+20m	579.69	14–07–2011
13.	तल्ला भ्याडी भीताकोट मो0 मार्ग	793 / III(2) / 09–04(मु0मं0घो0) / 09, दि0 02–03–09	15.00	0.10	07–07–2011
14.	गनाई–जौरासी मो0मा0 से आगरा (मनराल) मो0मा0	शासनादेश स0 828 / III–2 / 06–62(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–03–06	9	125.10	25–08–2011

1	2	3	4	5	6
भारत सरकार स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रस्तावों की स्थिति					
1.	पत्थर खोला महरगाँव तक मो0मा0	2454(1)– IIIलो0नि0वि0–02 / 2005–07(प्रा0आ0) / 05, दि0 28–10–05	12.00	233.04	11–04–2011
2.	कोरीछीना बग्वालीपोखर मो0मा0 के कि0मी0 8 से कफलना सुतरगाव सम्पर्क मो0मा0 का निर्माण	2935 / 111(2) / 06–59प्रा0आ0 / 06, दि0 22–11–06	3.00	50.40	05–07–2011
3.	अल्मोडा घाट–पनार मो0 मार्ग का चौडीकरण	742 / III(2) / 09–03 (मु0मं0घो0) / 8, दि0 02–03–09	82.00	4787.33	06–06–2011
4.	ताकुला गणानाथ स्नमन को गणानाथ से जोडने हेतु मो0मा0 (राज्य योजना)	59 / लो0नि0–2 / 004 / 41 / 2003, दि0 22–02–04	3.00	41.70	28–02–2008
5.	मकडाऊ दशौला मो0मा0 (कि0मी0 6–10)	127 / लो0नि0–1, दि0 16–02–04	5.00	69.50	10–06–2011
6.	अनु0 ग्राम मरेधुरा–सत्यों–दाडिम खडियारी तक मो0 मार्ग	455 / III(2) 06–07 प्रा0आ0 / 05, दिनांक 24–02–06	2Km State+ SCP 15Km	267.00+ 86.00	10–06–2011
7.	टकोली बैण्ड से बगाड तक मो0 मार्ग का निर्माण	853 / III(2)09–06 मा0मु0मं0घो0 / 09 टी0सी0, दिनांक 02–03–2009	3.00	53.40	10–06–2011
8.	अकुलाडी बैना मो0मा0	112 / लो0नि0–02 / 2004–04(प्रा0आ0) / 2004 दि0 06–02–2004	5.00	102.00	10–06–2011
9.	जनपद अल्मोडा में शिमार भौसखेत दढोली मो0मा0	281 / III(2) 06–36 (प्रा0आ0) / 05, दि0 19.09.2011	10.00	200.50	10–06–2011

1	2	3	4	5	6
10.	जनपद अल्मोड़ा में कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के ग्राम गिवाईपानी तक स्वीकृत मो0मा0 का जजितपुर खाटली तक विस्तार	2454 / III–2 / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–05	7.00	160.22	10–06–2011
11.	करगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के गांव गिवाईपानी मो0मा0	2491 / III (2)06–36(प्रा0आ0), दि0 19–09–2006	6.00	121.80	10–06–2011
12.	कारगिल शहीद आन सिंह के गांव गिंगवाईपानी तक मो0मा0 का निर्माण 30 मी0 सेतु सहित	2491 / III (2)06–36(प्रा0आ0), दि0 19–09–2006	6.00	106.80	10–06–2011
13.	गगास उडी महादेव सैंजापानी भिकियासैंण मरचुला मो0मा0	266 / लो0नि0–02–01–10(प्रा0आ0) / 04, दि0 27–02–04	40.00	556.00	06–06–2011
14.	धमेड़ा शिलिंग मो0मा0	शासनादेश सं0 2503 / 111–2 / 06–37(प्रा0आ0) / 06, दिनांक 20–09–06	15	267.00	16–07–2011
15.	अल्मोड़ा में सनण को जोड़ने हेतु मार्ग	शासनादेश सं0 1753 / 111–2 / 05–63(प्रा0आ0) / 05, दि0 14–10–05	15	329.60	16–07–2011
16.	जनपद अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मंदिर मालभेड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचुलाखाल मो0मा0	2751 / III–02 / 06–49(प्रा0आ0) / 06, दि0 22–11–06	22.00	620.98	16–07–2011
17.	तराड़ी डभरा शशिखाल मो0मा0	2404 / लो0नि0–02 / 2003–02 (मु0मं0घो0) / 2003, दि0 15–09–03	40.00	744.20	19–07–2011

1	2	3	4	5	6
18.	कुनोली मुनोडा देवीखाल मो0मा0	2454 / III–2 / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–05	20.00	334.70	19–08–2011
19.	कालिका दलमोटी मो0मा0	शासनादेश सं0 1291 / III(2) / 05–41 (प्रा0आ0) / 05, दि0 11–07–05	8	129.60	16–07–2011
20.	शहीद राजेश अधिकारी बिनायक ढूंगा मो0मा0	शासनादेश स0 2454 / 111(2) / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी01, दि0 28–10–05	2	41.70	06–08–2011
21.	जैंता खुरडी सेजापानी सनेरिया पनापट मो0मा0	शासनादेश स0 2454 / 111(2) / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी01, दि0 28–10–05	15	208.50	06–08–2011
22.	मेरधूरा सल्पो मो0 मार्ग	853 / III(2) / 09–06 मा0मु0मं0घो0 / 09टी0सी0, दि0 02–03–2008	2Km State+ 15km.	267.00+ 86.00	10–06–2011
23.	टकोली–बैण्ड से बडयूला–बलमा मोटर मार्ग	2490 / III(2) / 08–61(प्रा0आ0) / 07, दिनांक 25–07–2011	17.00	595.00	10–07–2011
24.	गनियाद्योली–धमाइजर मो0 मार्ग का पुन. निर्माण	आयुक्त, नैनीताल के पत्रांक–1103 / 24–12 / 05–06, दि0 31–03–06	1.00 700M	13.65	10–06–2011
	भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।				
1.	जनपद अल्मोडा में खूंट–धामस बसर–ज्योली मो0मा0	2454 / III(2)मा0मु0म0घो0 / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–2005	23.00	257.87	20–10–2010
2.	चौबटिया कुलनाखेत बमस्यू मो0 मार्ग का विस्तार	115 / III(2) / 06–29(प्रा0आ0) / 06, दि0 22–06–05	8.00	189.52	10–06–2011

1	2	3	4	5	6
3.	जनपद अल्मोड़ा में मनान (कलैत) ब्रहमपोखरी मो0मा0 का निर्माण	2454 / III(2) / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–05	18.00	292.60	10–01–2011
4.	बल्मरा चनोली सराईखेत मो0मा0 का नव निर्माण	2454 / III(2) / 05–07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0, दि0 28–10–05	20.00	396.80	10–06–2011
5.	खेती सेराघाट धूरागाव मो0मा0	298 / लो0नि0–2–16 प्रा0आ0, दि0 28–02–04	5.00	72.00	06–07–2011
6.	ममरखोला से पाटिया मो0 मार्ग	3704 / III(2) / 08–48(एम0एल0ए0) / 08, दि0 19–11–08	5.00	175.00	21–06–2011
7.	मौरनौला–जैंती किमी0 2 से खौंकर ग्राम तक पहुँच मार्ग	110 / XXVII(1) / 05, 161 / 2004, दिनांक 07–03–2005	5.00	83.40	01–11–2010

सम्बन्धित खण्ड स्तर पर आपत्ति में प्राप्त प्रकरण

1.	कठपुड़िया बगसर मोटर मार्ग का निर्माण	764 / III(2) / 08–65(प्रा0आ0) / 07, दिनांक 24–03–2008	3.00	105.00	04 / 2011
2.	जनपद अल्मोड़ा में दौलाघट से रिखे सिलानी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	3704 / III(2) / 08–48(एम0एल0ए0) / 08, दिनांक 19–11–08	2.00	70.00	04 / 2011
3.	रानीखेत–मंगचौड़ा–गगास मोटर मार्ग	शासनादेश स0 289 / लो0नि0–2–04–16(प्रा0आ0) / 04, दिनाक 28–02–04	10.00	139.00	09–03–2011

1	2	3	4	5	6
4.	रिस्कना पुल (तिपोली) से बिजनागाँव तक नैणी–पैदानी होते हुए सिमलगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण	शासनादेश सं0 572/111–2/06–08(प्रा0आ0)/06, दिनांक 28–03–06	8.00	142.40	23–09–2011
5.	विनायक–रिखाड़ी–कोटियाग मोटर मार्ग	शासनादेश सं0 2491/111–2/06–36(प्रा0आ0)/06, दिनांक 18–09–06	7.00	124.60	09–08–2011
6.	तामाढौन–गोजना–खल्डुवा मोटर मार्ग का नव निर्माण (मा0मु0मं0घो0)	शासनादेश सं0 2503/111–2/06–37(प्रा0आ0)06, दि0 20–09–06	12.00	213.60	08–09–2011
7.	जनपद अल्मोड़ा में हैड़ाखान से दाड़गी–बाधण मोटर मार्ग का नव निर्माण	शासनादेश स0 853/111 (2)/09–06(मु0म0पा0)/08 टी0सी0, दि0 02–03–09	2.00	70.00	16–09–2011
8.	अल्मोड़ा में द्वाराहाट के अन्तर्गत जखल्लेख–कुन्थाड़ी मोटर मार्ग	शासनादेश स0 63/111 (2)/06–91(प्रा0आ0)/05, दिनांक 06–01–06	4.00	71.20	16–09–2011
9.	कुकुछीना–गर्जिया–पैली मोटर मार्ग का पुन. निर्माण	शासनादेश सं0 2555/111–2/06–41(प्रा0आ0)/06, दिनांक 26–09–06	20.00	342.00	08–09–2011

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–50 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–107 पर)

अनुलग्नक–1

(गढ़वाल मण्डल)

वित्तीय वर्ष	देहरादून		हरिद्वार		पौड़ी		टिहरी	
	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या
2000–01	357	170	215	118	210	50	105	45
2001–02	612	269	530	153	360	65	270	51
2002–03	419	240	358	138	235	74	218	49
2003–04	453	211	301	120	215	85	110	48
2004–05	306	315	239	187	242	95	135	51
2005–06	336	279	229	229	329	93	110	75
2006–07	334	310	142	162	234	85	113	68
2007–08	362	310	186	167	148	65	81	94
2008–09	465	397	337	233	175	117	142	112
2009–10	426	381	238	241	160	99	309	87
2010–11	491	459	266	296	261	137	239	102
योग	4561	3341	3041	2044	2569	965	1832	782

वित्तीय वर्ष	चमोली		उत्तरकाशी		रुद्रप्रयाग	
	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या
2000–01	50	33	75	15	26	02
2001–02	158	35	218	16	70	04
2002–03	74	35	156	23	31	10
2003–04	93	38	78	34	41	12
2004–05	198	52	102	32	76	22
2005–06	98	61	40	31	52	23
2006–07	45	24	43	17	70	12
2007–08	48	19	49	51	30	55
2008–09	218	64	68	58	110	35
2009–10	207	72	41	64	187	35
2010–11	124	61	58	57	115	51
योग	1307	484	1007	388	808	221

कुल योग	गढ़वाल मण्डल
सोसाइटी पंजीकरण	15125
सोसाइटी नवीनीकरण	8285

अनुलग्नक–2

(कुमाऊँ मण्डल)

वित्तीय वर्ष	नैनीताल		ऊधमसिंह नगर		अल्मोड़ा		बागेश्वर	
	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या
2000–01	169	123	147	89	151	56	25	22
2001–02	186	118	173	87	113	51	24	15
2002–03	229	95	163	86	133	55	61	14
2003–04	170	120	203	108	111	46	27	20
2004–05	299	113	239	103	167	71	31	20
2005–06	220	158	269	144	146	56	19	15
2006–07	208	159	186	155	110	69	36	14
2007–08	197	185	93	129	134	57	21	22
2008–09	148	180	148	168	90	70	13	25
2009–10	172	202	138	172	84	75	17	19
2010–11	198	196	217	218	60	86	32	49
योग	2196	1649	1876	1459	1269	682	306	235

वित्तीय वर्ष	पिथौरागढ़		चम्पावत	
	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या	सोसाइटी पंजीकरण की संख्या	सोसाइटी नवीनीकरण की संख्या
2000–01	75	49	22	13
2001–02	98	30	37	07
2002–03	108	31	34	09
2003–04	56	51	38	15
2004–05	110	49	20	17
2005–06	148	56	26	16
2006–07	158	46	18	12
2007–08	85	37	49	16
2008–09	54	37	58	38
2009–10	50	39	71	30
2010–11	47	26	70	17
योग	987	451	443	180

कुल योग	गढ़वाल मण्डल	महायोग कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल	
सोसाइटी पंजीकरण	15125	सोसाइटी पंजीकरण	22302
सोसाइटी नवीनीकरण	8285	सोसाइटी नवीनीकरण	12861

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–65 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–124 पर)

कार्य जो प्रगति पर है

क्र0 सं0	मार्ग / सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष / प्रारम्भ करने का वर्ष	स्वीकृति लागत / पुनरीक्षित स्वीकृति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
राज्य सेक्टर सामान्य					
1.	सागा से बेरटी मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	Mar-08	36.75	95 प्रतिशत
		2.5 Km	Mar-10	36.75	
2.	जखोल से धारा मोटर मार्ग का निर्माण	1.5 Km	Feb-06	29.40	5 प्रतिशत
		1 Km	Jan-08	29.40	
3.	नौगांव पुरोला मोटर मार्ग से स्वील तक मोटर मार्ग का निर्माण, सेतु सहित	3Km+1n0+48m	Mar-08	182.32	25 प्रतिशत
			Apr-08	182.32	
4.	घेवरा से हल्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	Mar-08	183.75	60 प्रतिशत
			Apr-08	183.75	
एस0सी0एस0पी					
नव निर्माण मोटर मार्ग					
5.	अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम को यातायात से जोड़ने हेतु गौरी मौताड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3Km+1no+84m	Dec-04	231.79	100 प्रतिशत
		0.66Km+1no+84m	Jan-05	231.79	
6.	अंगोड़ा से श्रीकोट मोटर मार्ग का निर्माण	3 Km	Dec-06	66-00	95 प्रतिशत
		1.75 Km	Mar-09	66.00	
7.	उत्तरकाशी में पुरोला में डिकाल गांव के डवारूवा मार्ग का निर्माण	3 Km	Dec-06	78.87	95 प्रतिशत
		1.88 Km	Jan-09	78.87	
8.	उत्तरकाशी में पुरोला में सुनाली निवला घेवरा मोटर मार्ग निर्माण	3 Km	Dec-06	71.13	100 प्रतिशत
		1 Km	Mar-09	71.13	
9.	उत्तरकाशी में उड़ियार से देवती तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	17Km+1no+84m	Dec-06	425.35	70 प्रतिशत
		9Km+1no+84m	Aug-08	425.35	

1	2	3	4	5	6
10.	मोरी में सरंगधार से थकयाड़–कुकरेड़ा बंगाल मार्ग सेतु सहित	18Km+1no+84m	Dec.-06	655.00	60 प्रतिशत
			Dec.-08	655.00	
11.	उत्तरकाशी में मोरी मौताड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3 Km	July-08	105.00	95 प्रतिशत
		2.35 Km	Mar.-09	105.00	
12.	उत्तरकाशी के पुरोला मोरा से रामा मार्ग का नव निर्माण	3 Km	Dec.-06	81.48	5 प्रतिशत
		2.75 Km	Mar.-08	81.48	
13.	धामपुर भदराली खड़वयारोंग मोटर मार्ग का निर्माण डामरीकरण सेतु सहित	1no+15m+1job	Oct.-06	142.50	40 प्रतिशत
			Mar.-09	142.50	
14.	उत्तरकाशी में मोरी में मुराड़ से सटा मोटर मार्ग का निर्माण	5 Km	Dec.-06	127.00	10 प्रतिशत
			Jan.-08	127.00	
15.	नौगांव में गडोली से जष्टवाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण	3 Km	Dec.-06	59.83	100 प्रतिशत
		2 Km	Jun.-09	59.83	
16.	जनपद उत्तरकाशी में नौगांव मंजेली मोटर मार्ग से कंसोला तक मार्ग निर्माण	5 Km	Mar.-06	79.00	100 प्रतिशत
			Jan.-11	79.00	
17.	उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत गंगराली पुल सरनौल से सरबडियार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	12 Km	Mar.-08	296.88	5 प्रतिशत
			Ju.l-09	296.88	
नाबार्ड–15					
नव निर्माण मोटर मार्ग					
18.	मोरी–नैटवाड़–सांकरी मोटर मार्ग 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित सरेखण	9.4Im+1no+72m	Jan.-06	278.15	90 प्रतिशत
		8Km.+2no+57m	Mar.-07	317.40	
19.	जनपद उत्तरकाशी में पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत शहीद दिनेश रावत की चिर स्मृति में मसरी से मौंजिणी मोटर मार्ग	20Km+1no+84m	Feb.-04	524.00	10 प्रतिशत
		19.25Km+2no+99m	Feb.-06	891.50	

1	2	3	4	5	6
20.	पुरोला में गुजेल खलाड़ी मोटर मार्ग निर्माण	1Km	Feb-06	19.60	60 प्रतिशत
			Jun-06	19.60	
21.	उत्तरकाशी में गुन्दियाटगांव से कण्डियाल गांव तक मोटर मार्ग द्वितीय चरण का कार्य	3.5Km	Oct-06	61.25	100 प्रतिशत
			Nov-07	61.25	
22.	खूनीगाड–साराश मोटर मार्ग किमी0 1 से 20 तक निर्माण	20Km	Jan-06	387.58	70 प्रतिशत
		12Km	May-06	387.58	
23.	नैटवाड–सेवा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण सेतु सहित	32Km+2no+72m	Feb-04	567.00	50 प्रतिशत
		12Km+2no+72m	Dec-05	567.00	
नाबार्ड–16					
नव निर्माण मोटर मार्ग					
24.	पुरोला में सुनाली डगला धंधरा मोटर मार्ग निर्माण	1.5Km	Feb-06	29.40	50 प्रतिशत
		1Km	Jul-08	29.40	
25.	टिकोची दुवाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग एवं आराकोट भुटाणु 7.00 किमी0 का निर्माण	23Km	Oct-05	472.00	50 प्रतिशत
		19Km	Aug-08	472.00	
26.	पुरोला कुमोला नोडी मठोली मोटर मार्ग से पजेली होते हुए कोडराला तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.5Km	Mar-08	55.12	100 प्रतिशत
			Mar-09	55.12	
27.	सौनाल्डी डाण्डा गांव मोटर मार्ग	3Km	Oct-05	47.40	60 प्रतिशत
		2.5Km	Mar-08	47.40	

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–126 पर)

विधानसभा के द्वितीय सत्र–2011 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य विधानसभा के द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–67 का संलग्नक

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासन स्तर पर लम्बित/प्रस्तावित मोटर मार्गों के आगणनों का विधानसभावार विवरण :–

क्र0 सं0	विधानसभा क्षेत्र का नाम	कार्यों की संख्या जिनके आगणन शासन स्तर पर प्राप्त हैं।	लम्बाई किमी0/मी0 में	लागत लाख ₹ में
1	2	3	4	5
01	पौड़ी	35 (34 कार्य प्रथम चरण के+01 कार्य का विस्तृत आगणन)	181.00+02 सेतु	2448.34
02	श्रीनगर	38 (प्रथम चरण)	175.90+01 सेतु	1709.35
03	यमकेश्वर	19 (प्रथम चरण)	93.60+5 सेतु	1267.95
04	धूमाकोट	16 (प्रथम चरण)	73.00+01 सेतु	924.74
05	लैन्सडाउन	23 (प्रथम चरण)	101.25+01 सेतु	1190.29
06	थलीसैंण	25 (प्रथम चरण)	153.125+02 सेतु	1046.47
07	बीरोंखाल	28 (प्रथम चरण)	95.20+03 सेतु	995.34
08	कोटद्वार	08 (06 कार्य प्रथम चरण के+02 कार्य का विस्तृत आगणन)	94.00+01 सेतु	2710.065
	योग :–	192 कार्य	948.875+16 सेतु	12293.35

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–69 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–128 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–69 का संलग्नक

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृति शासनादेश संख्या / दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत (धनराशि लाख ₹ में)	कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण / टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में रौंथी से बोसगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0शा0) / 10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.200	
2.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में पैयापौडी से कनार मोटर मार्ग	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0शा0) / 10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	
3.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में छोरीबगढ से जाराजिबली मोटर मार्ग का निर्माण	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0शा0) / 10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	मृग विहार की सीमा के अन्तर्गत वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण
4.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में गलाती मोटर मार्ग का निर्माण	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0शा0) / 10, दिनांक 16–08–2010	4.00	50.40	
5.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में बलुवाकोट काडा मोटर मार्ग का निर्माण	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0शा0) / 10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	

1	2	3	4	5	6
6.	जनपद पिथौरागढ़ में रौंथी जुम्मा खेला गर्गुवा स्रोत मोटर मार्ग एव सेतु का नवनिर्माण	5519 / III(2) / 10–18(ग्रा0आ0) / 10, दिनांक 15–10–2010	30.00+ 1 सेतु	388.50	
7.	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में गो स तेदांग–सीपू–मार्छा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1440 / III(2) / 11–05(ग्रा0आ0) / 10, दिनांक 28–03–2011	12.00+ 2 सेतु	151.20	मृग विहार की सीमा के अन्तर्गत वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण
8.	न्याय पंचायत दुग्तु को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	1133 / III(2) / 08–43(ग्रा0आ0) / 09 टी0सी0, दिनांक 11–03–2010	29.00+ 3 सेतु	1606.79	

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–83 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–146 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–83 का संलग्नक

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृति शासनादेश संख्या/दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत (धनराशि लाख ₹ में)	कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड मुनस्यारी के सेराघाट से लोधी टागा मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भूगर्भवेत्ता से निरीक्षण कराया जाना है
2.	वल्थी से गैंजा सप्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	3.00	37.80	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है
3.	जौसा से गौंधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	3.00	37.80	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भूगर्भवेत्ता से निरीक्षण कराया जाना है
4.	थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के कि0मी0 101 से रूइस पट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/10, दिनांक 28–03–2010	3.00+ 1 सेतु	37.80	स्थानीय स्तर पर सरेखण विवाद। नये सरेखण पर विचार किया जाना है
5.	सेराघाट से बौंना मोटर मार्ग का निर्माण	513/III(2)/11–11(प्रा0आ0)/2011, दिनांक 31–03–2011	15.00+ 2 सेतु	185.94	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है
6.	नौजड़ा–खेतड़ा आदिचौरा मोटर मार्ग का निर्माण	298/लो0नि0–4(प्रा0आ0), दिनांक 28–02–2004	10.00	144.00	अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है

1	2	3	4	5	6
7.	सेलमाली से दाखिम मोटर मार्ग का निर्माण	595/III(2)/08-42(प्रा0आ0)/07 टी0सी0, दिनांक 20-03-2008	4.00	147.00	अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है
8.	दिलीगड से बालादफा मोटर मार्ग का निर्माण	764/III(2)/08-65(प्रा0आ0)/07 टी0सी0, दिनांक 24-03-2008	6.00	220.50	नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा वन भूमि प्रस्ताव दि0 18-09-2010 को भारत सरकार को प्रेषित
9.	डाण्डा बैण्ड से ग्राम पापडी तक मोटर मार्ग का निर्माण	275/III(2)/06-52(प्रा0आ0)/05, दिनांक 10-11-2006	5.00	86.25	विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
10.	मालाकोटा से लोध तक मोटर मार्ग का निर्माण	827/III(2)/06-07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0, दिनांक 28-03-2006	6.00+ 2 सेतु	221.76	विस्तृत सर्वेक्षण प्रगति में है
11.	हरकोट-इमला-कोटा मोटर मार्ग का निर्माण	3038/III(2)/06-07(प्रा0आ0)/06, दिनांक 28-11-2006	12.00+ सेतु	272.00	नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा वन भूमि प्रस्ताव दि0 06-06-2011 को भारत सरकार को प्रेषित
12.	मदकोट से बसन्तकोट मोटर मार्ग	457/III(2)/05-55(बजट)/04, दिनांक 30-08-2005	10.00	144.00	अधी0अभि0 पिथौरागढ द्वारा वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 24-08-2011 को जिलाधिकारी को प्रेषित
13.	कालिका बजानी खुमती कनार मोटर मार्ग का निर्माण	2138/III(2)/06-61(प्रा0आ0)/06, दिनांक 22-11-2006	5.50 से 8.00	65.00	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है

1	2	3	4	5	6
14.	बरम–कनार मोटर मार्ग का निर्माण	298/लो0नि0–2/04–16(ग्रा0आ0)/ 2004, दिनांक 28–02–2004	5.00	72.00	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र मे पडता है
15.	बलुवाकोट की तोक गागरा से गौरागांव तक मो0 मार्ग	764/III(2)/08–85(ग्रा0आ0)/07, दिनांक 24–03–2008	5.00	183.75	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
16.	कालिका खुमती से गैरबसौरा अलगरा मोटर मार्ग एवं जिडवा मोटर मार्ग का निर्माण	764/III(2)/08–85(ग्रा0आ0)/07, दिनांक 24–03–2008	4.00	147.00	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
17.	कालिका खुमती मोटर मार्ग के किमी0 03 से बजानी तक मोटर मार्ग का निर्माण	764/III(2)/08–85(ग्रा0आ0)/07, दिनांक 24–03–2008	4.00+ 1 सेतु	224.00	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
18.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला मे रांथी से बौरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(ग्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
19.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला मे पैयापौडी से कनार मोटर मार्ग	5150/III(2)/10–18(ग्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
20.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला मे छोरीबगढ से जाराजिबली मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(ग्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
21.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में गलाती मोटर मार्ग का निर्माण	5150/III(2)/10–18(ग्रा0आ0)/10, दिनांक 16–08–2010	4.00	50.40	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है

1	2	3	4	5	6
22.	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में बलुआकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण	5150 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 10, दिनांक 16–08–2010	2.00	25.20	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
23.	जनपद पिथौरागढ़ में रौंथी जुम्मा खेला गर्गुवा खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का निवनिर्माण	5519 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 10, दिनांक 15–10–2010	30.00+ सेतु	388.50	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
24.	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला में गो से तेदांग–सीपू–मार्छा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1440 / III(2) / 11–05(प्रा0आ0) / 10, दिनांक 28–03–2011	12.00+ 2 सेतु	151.20	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
25.	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तेजम–वतन मोटर मार्ग का नवनिर्माण	41 / III(2) / 05–55(बजट) / 04, दिनांक 30–03–2005	4.00	57.60	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
26.	तवाघाट जिप्ती मोटर मार्ग के गस्कू नामक स्थान से सिर्खा तक नव निर्माण कार्य	3038 / III(2) / 06–06(प्रा0आ0) / 05, दिनांक 08–11–2006	15.00	282.95	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
27.	जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट जिप्ती मोटर मार्ग से बुंगबुंग तक मोटर मार्ग	41 / III(2) / 05–55(बजट) / 04, दिनांक 30–03–2005	4.00	57.60	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है
28.	पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम मार्ग से रूंग, सिर्खा, मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1754 / III(2) / 05–64(प्रा0आ0) / 05, दिनांक 10–11–2005	7.00	100.80	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पड़ता है

1	2	3	4	5	6
29.	न्यू–दर–दुग्तू–बौन मार्ग सेचज गांव तक सम्पर्क मार्ग	1754 / III(2) / 05–64(प्रा0आ0) / 05, दिनांक 10–11–2005	2.00+ 1 सेतु	140.10	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र मे पडता है
30.	तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के किमी0 34 सोसा से तिथिलधार सिर्दाग, सिर्खा स्यंग मोटर मार्ग	786 / III(2) / 08–50(प्रा0आ0) / 07, दिनांक 20–03–2008	13.00	477.75	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
31.	न्याय पचायत दुग्तु को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	1133 / III(2) / 08–43(प्रा0आ0) / 09 टी0सी0–II, दिनांक 11–03–2010	29.00+ 3 सेतु	1606.79	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है
32.	तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के किमी0 24 पांगू से जी0आई0सी0 होकर रिमझिम बैकू (धारपागु) तन्तागांव रौंतो मोटर मार्ग का निर्माण	825 / III(2) / 08–51(प्रा0आ0) / 07, दिनांक 24–03–2008	7.00	257.25	मार्ग समरेखण मृग विहार क्षेत्र में पडता है

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–95 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–160 पर)

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का विवरण

क्र0 सं0	घोषणा संख्या	घोषणा	घोषणा की तिथि	विधानसभा क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	24/2008	डीडीहाट में जड़ी–बूटी शोध संस्थान शाखा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	21 May, 08	पिथौरागढ़
2.	23/2008	मुनस्यारी धारचूला क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराने के सम्बन्ध में आयोग से इसका अध्ययन कराकर संस्तुति के साथ केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा	21 May, 08	पिथौरागढ़
3.	26/2008	डीडीहाट में एक पॉलिटेकनिक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	22 May, 08	पिथौरागढ़
4.	37/2008	सैतीसगाड से डीडीहाट–नारायणनगर लिफ्ट पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	22 May, 08	पिथौरागढ़
5.	56/2008	डीडीहाट में एक मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	22 May, 08	पिथौरागढ़
6.	43/2008	राजकीय हाईस्कूल उच्छेती को इण्टर में उच्चीकृत किया जायेगा	22 May, 08	पिथौरागढ़
7.	41/2008	गनाली जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल मे उच्चीकृत किया जायेगा	22 May, 08	पिथौरागढ़
8.	42/2008	सेरा जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल मे उच्चीकृत किया जायेगा	22 May, 08	पिथौरागढ़
9.	128/2008	जू0 हाईस्कूल राथी मुनस्यारी पिथौरागढ़ का उच्चीकरण कर हाईस्कूल किया जायेगा	22 May, 08	पिथौरागढ़
10.	55/2008	डीडीहाट नगर में शॉपिंग कॉम्पलेक्स की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	22 May, 08	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
11.	53/2008	अल्मोड़ा–पनारघाट मार्ग तीन जनपदों का मुख्य मार्ग है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा चम्पावत को चौड़ा करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	28 May, 08	पिथौरागढ़
12.	54/2008	स्व0 पंडित गैन सिंह व स्व0 पंडित किशन जी की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी एवं इस हेतु 2 नाली भूमि का प्रस्ताव जनपद स्तर पर लम्बित है, यह भूमि शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।	28 May, 08	पिथौरागढ़
13.	111/2008	पिथौरागढ़ मे बेस चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
14.	113/2008	नगरपालिका धारचूला के ग्वाल गाव में सीवर लाईन का निर्माण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
15.	112/2008	पिथौरागढ़ पेयजल तथा रई झील निर्माण, दोनो की कीमतो का पुनंगठन एव दोनो का कार्य साथ–साथ चलाकर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
16.	115/2008	जनपद मुख्यालय पिथौरागढ में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
17.	116/2008	गंगोलीहाट मे मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
18.	117/2008	कनालीछीना विकासखण्ड के हाईस्कूल ख्वाकोट का इण्टरमीडिएट में उच्चीकरण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
19.	114/2008	नगरपालिका पिथौरागढ मे कार पार्किंग का निर्माण किया जायेगा	05 June, 08	पिथौरागढ़
20.	170/2008	डीडीहाट लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण	23 July, 08	पिथौरागढ़
21.	149/2008	भानतड से कुमरोली मसमोली एल0वी0आर0 को मोटर मार्ग मे परिवर्तन 7 किमी0 मिसिंग लिंक	23 July, 08	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
22.	8/2009	नैनी–सैनी हाईस्कूल का उच्चीकरण किया जायेगा	5 Feb., 09	पिथौरागढ़
23.	25/2009	धारचूला मे मोबाईल टॉवर की स्थापना की जायेगी	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
24.	12/2009	गणाई गंगोली में पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण किया जायेगा	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
25.	11/2009	गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत 15 हैण्डपम्पो की स्थापना की जायेगी	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
26.	9/2009	चौरासी में आई0टी0आई0 की स्थापना की जायेगी	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
27.	13/2009	कनालीछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
28.	10/2009	रा0उ0मा0 विद्यालय जाबुका का उच्चीकरण किया जायेगा	15 Feb., 09	पिथौरागढ़
29.	281/2011	जौलजीवी–झूलाघाट मिसिंग लिंक का निर्माण किया जायेगा (अनुमानित लागत ₹ 1.20 करोड़ एवं लम्बाई 4.00 किमी0)	27 Feb., 09	पिथौरागढ़
30.	31/2011	चण्डाक के सौन्दर्य को देखते हुए इको पार्क का निर्माण किया जायेगा	2 Nov., 09	पिथौरागढ़
31.	32/2011	चन्द्रभागा मे शवदाह गृह बनाया जायेगा	2 Nov., 09	पिथौरागढ़
32.	428/2008	गंगोलीहाट मे आई0टी0आई0 भवन का निर्माण किया जायेगा	13 Nov., 09	पिथौरागढ़
33.	15/2010	गंगावली महोत्सव 2008 हेतु विवेकाधीन कोष से ₹ 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	13 Nov,. 09	पिथौरागढ़
34.	429/2008	गंगोलीहाट को मानक पूर्ण होने की दशा में नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा	13 Nov., 09	पिथौरागढ़
35.	131/2010	कनालीछीना में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
36.	122/2010	धारचूला में जड़ी–बूटी केन्द्र की स्थापना की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
37.	129/2010	210 मेगावाट धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण का कार्य आरम्भ कराने हेतु एम0ओ0यू0 की कार्यवाही की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
38.	139/2010	अस्कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का (मानक पूर्ण होने पर) उच्चीकरण किया जायेगा	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
39.	128/2010	चौंदास–ब्यास–दारमा पर्यटन सर्किट की स्वीकृत दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
40.	133/2010	छड़नादेवल–मलान–काडाधार–चमडुंगरी मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
41.	134/2010	पाली–रैंतोली मोटर मार्ग का भौंतड़ी तक विस्तार की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
42.	135/2010	जुगापानी–कोलाटिया मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
43.	136/2010	पीपली–पतासेरा मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
44.	137/2010	मडमानाले–गलाल मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
45.	138/2010	भण्डारीगावरजबार–बोकटा मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
46.	127/2010	अस्कोट मृग विहार के पुर्नसीमाकन हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
47.	126/2010	जूनियर हाईस्कूल तेजम एवं खुमती के (मानक पूर्ण होने पर) उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
48.	123/2010	राजकीय इण्टर कॉलेज पॉगू का नाम स्वतत्रता संग्राम सेनानी श्री परिमल सिंह हयांकी के नाम से किया जायेगा	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
49.	130/2010	पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय देवलथल का उच्चीकरण किया जायेगा	24 Apr., 10	पिथौरागढ़
50.	124/2010	पिथौरागढ़ में र0 जनजाति छात्रावास के निर्माण के लिए ₹ एक करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
51.	125/2010	देहरादून में रं0 जनजाति जनमिलन केन्द्र की स्थापना के लिये ₹ पचास लाख की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ
52.	132/2010	कनालीछीना महोत्सव के लिए ₹ पांच लाख की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	24 Apr., 10	पिथौरागढ
53.	121/2010	रांथी–जुम्मा–खेला–गर्गवा–खेत तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	16 Jul., 10	पिथौरागढ
54.	259/2010	तिजम में झील के निर्माण की कैम्पा योजना से स्वीकृति दी जायेगी	14 Nov., 10	पिथौरागढ
55.	260/2010	जुम्मा हाईस्कूल का मानक पूर्ण होने पर उच्चीकरण किया जायेगा	14 Nov., 10	पिथौरागढ
56.	258/2010	जौलजीबी मेले के संचालन हेतु वर्ष 2011–12 से प्रतिवर्ष ₹ 2.00 लाख की स्वीकृति दी जायेगी	14 Nov., 10	पिथौरागढ
57.	269/2011	अस्कोट में मानक पूर्ण होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी	12 Mar., 11	पिथौरागढ
58.	266/2011	गर्खा लिफ्ट पेयजल योजना की स्वीकृति दी जायेगी	12 Mar., 11	पिथौरागढ
59.	267/2011	रा0उ0मा0 विद्यालय दुगाकोट के उच्चीकरण की सवीकृति दी जायेगी	12 Mar., 11	पिथौरागढ
60.	268/2011	जूनियर हाईस्कूल किरौली के उच्चीकरण की स्वीकृति दी जायेगी	12 Mar., 11	पिथौरागढ
61.	265/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, अस्कोट के भवन निर्माण हेतु ₹ 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति दी जायेगी	12 Mar., 11	पिथौरागढ
62.	676/2011	जूनियर हाईस्कूल हरडीखान का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण किया जायेगा	12 Mar., 11	पिथौरागढ
63.	677/2011	कन्या जूनियर हाईस्कूल, तामाकोट का प्रान्तीयकरण किया जायेगा	12 Mar., 11	पिथौरागढ
64.	678/2011	जूनियर हाईस्कूल, रानीखेत का उच्चीकरण किया जायेगा	12 Mar., 11	पिथौरागढ

1	2	3	4	5
65.	422/2011	कनालीछीना में इसी सत्र से डिग्री कॉलेज की कक्षायें प्रारम्भ की जायेंगी	24 Apr., 11	पिथौरागढ़
66.	426/2011	देवलथल में आई0टी0आई0 की स्थापना की जायेगी	24 Apr., 11	पिथौरागढ़
67.	424/2011	कनालीछीना में स्थाई हैलीपैड का निर्माण किया जायेगा	24 Apr., 11	पिथौरागढ़
68.	425/2011	अनुसूचित जाति बस्ती कनालीछीना सिमार बस्ती में कला स्थल का विस्तार एवं सुधार हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि आगणन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जायेगी	24 Apr., 11	पिथौरागढ़
69.	423/2011	कनालीछीना महोत्सव आयोजन हेतु इस वर्ष ₹ पांच लाख मात्र दिये जायेंगे	24 Apr., 11	पिथौरागढ़
70.	403/2011	पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कालेज में कक्षायें इसी वर्ष में प्रारम्भ की जायेंगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
71.	389/2011	पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेण्ट हेतु ₹ 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) दिये जायेंगे	3 May, 11	पिथौरागढ़
72.	409/2011	ग्राम आगर (मूनाकोट) तथा झूणी (बिण) में ए0एन0एम0 केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
73.	405/2011	मूनाकोट में पॉलीटैक्निक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
74.	406/2011	बड़ावे में आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
75.	404/2011	घाट तथा आवलाघाट पेयजल पम्पिंग योजना प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
76.	407/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, कमलेश्वर में कृषि विषय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
77.	408/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, गुरना में संस्कृत विषय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ़
78.	401/2011	हाईस्कूल सल्लाचिगर, बास्ते, दिगतोली एवं डुगराकोट का उच्चीकरण किया जायेगा	3 May, 11	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
79.	402/2011	मड, विषाड, बेडा, छपरतोला, भाटीगाव, पार्भ, तोली एवं फन्धूडी में हाईस्कूल की स्वीकृति दी जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ
80.	450/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, बॉस मे विज्ञान विषय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ
81.	410/2011	कु0 पूजा जोशी पुत्री श्री योगेश जोशी, ग्राम उर्ग को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ₹ बीस हजार मात्र की सहायता प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ
82.	411/2011	खुनरी बेगम, चण्डाक की विकलांग पुत्री हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष ₹ दस हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	3 May, 11	पिथौरागढ
83.	398/2011	नगरपालिका परिषद पिथौरागढ द्वारा आयोजित शरदोत्सव एव विकास प्रदर्शनी हेतु ₹ 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) दिये जायेंगे	3 May, 11	पिथौरागढ
84.	400/2011	पिथौरागढ गोस्टमानू मेले हेतु ₹ 2.00 लाख (रु0 दो लाख मात्र) दिये जायेंगे	3 May, 11	पिथौरागढ
85.	494/2011	बांसबगड में खाद्यान्न भण्डार की स्थापना की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ
86.	497/2011	खेला, छिपलाकेदार, श्रेपालिया, भराडी मंदिर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा	23 May, 11	पिथौरागढ
87.	498/2011	जोहार क्लब में फील्ड निर्माण हेतु ₹ 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) की सवीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ
88.	499/2011	ऐलागाड–जुम्मा मोटर मार्ग के सुधारीकरण एव पुर्ननिर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ
89.	528/2011	श्रीदिबौरा से खतेडा तक 5 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ
90.	495/2011	ग्रेफ कैम्प से बरकोट तक 2 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ
91.	496/2011	दरकोट से राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, नामजला तक 2 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ

1	2	3	4	5
92.	486/2011	केटी बैण्ड–बसन्तकोट–जोलढुंगा तक 06 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
93.	487/2011	बांसबगड़–मल्लाकोट हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन की स्वीकृति तथा इस मार्ग में मिसिंग लिंक जो 4 किमी0 है, के नवनिर्माण एस0सी0पी0 के अन्तर्गत दी जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
94.	488/2011	जूनियर हाईस्कूल समकोट का उच्चीकरण किया जायेगा	23 May, 11	पिथौरागढ़
95.	489/2011	जूनियर हाईस्कूल सैणरांथी का उच्चीकरण किया जायेगा	23 May, 11	पिथौरागढ़
96.	490/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, मुनस्यारी के भवन मरम्मत हेतु ₹ 20.00 लाख की स्वीकृति दी जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
97.	491/2011	रा0इ0 कॉलेज मुवानी–दवानी में 02 कक्षा–कक्षों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
98.	484/2011	विवेकानन्द विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, मुनस्यारी में प्रयोगशाला निर्माण हेतु ₹ 10.00 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
99.	483/2011	श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 उदय राम, निवासी ग्राम सांईपोलो तहसील मुनस्यारी को विवेकाधीन कोष से ₹ 50 हजार मात्र की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
100.	492/2011	राजकीय इण्टर कॉलेज, नमजला के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दल को विवेकाधीन कोष से ₹ 11 हजार मात्र की सहायता प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
101.	493/2011	मुनस्यारी के 06 महिला मंगल दलों (राथी, लास्पा, जैंती, मटेना, बरमबाड़ा एवं वाताकुमराड़ा) प्रत्येक को ₹ 25–25 हजार मात्र की सहायता विवेकाधीन कोष से दी जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़
102.	485/2011	तल्ला जोहार में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	23 May, 11	पिथौरागढ़

1	2	3	4	5
103.	510/2011	राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट के पुस्तकालय हेतु ₹ 10 लाख मात्र की स्वीकृति दी जायेगी	31 May, 11	पिथौरागढ़
104.	503/2011	गणाई में 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र की स्थापना की जायेगी	31 May, 11	पिथौरागढ़
105.	500/2011	कड़कपानी से भाभा अटल आदर्श गाव जाखनी उप्रेती तक 6 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा	31 May, 11	पिथौरागढ़
106.	501/2011	बेरीनाग–विनायक–पुराणाथल 5 किमी0 सड़क निर्माण किया जायेगा	31 May, 11	पिथौरागढ़
107.	502/2011	हाईस्कूल, कोटेरा व पव्वाधार एवं जूनियर हाईस्कूल केदारेश्वर, बनकोट (बालिका) भण्डारीगाव का उच्चीकरण किया जायेगा	31 May, 11	पिथौरागढ़
108.	504/2011	श्री भुवन जोशी पुत्र श्री ईश्वरी दत्त जोशी ग्राम पोखरी को ₹ 50 हजार मात्र विवेकाधीन कोष से दिये जायेंगे	31 May, 11	पिथौरागढ़
109.	505/2011	श्रीमती हरुली देवी पत्नी श्री मदन सिंह ग्राम बिरगोली को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ₹ 25 हजार मात्र विवेकाधीन कोष से दिये जायेंगे	31 May, 11	पिथौरागढ़
110.	506/2011	प्रेम प्रकाश जोशी पुत्र श्री हीरा बल्लभ जोशी ग्राम सुनेती को ₹ 25 हजार मात्र विवेकाधीन कोष से दिये जायेंगे	31 May, 11	पिथौरागढ़
111.	507/2011	विकलांग विमला गोस्वामी, ग्राम सुगाल को ₹ 10 हजार मात्र की आर्थिक सहायता विवेकाधीन कोष से दिये जायेंगे	31 May, 11	पिथौरागढ़
112.	508/2011	महिला मंगल दल (विकास खण्ड गंगोलीहाट–सुनारगाव, लाल, सजाण मल्लागर्खा, कुंजनपुर, पतारबाड़ा, विकास खण्ड बेरीनाग–उडियारी, अगड़ियागाड़ा) प्रत्येक को ₹ 25–25 हजार की आर्थिक सहायता विवेकाधीन कोष से दी जायगी	31 May, 11	पिथौरागढ़
113.	509/2011	श्री सुरेन्द्र बोरा, ग्राम हनेरा को चिकित्सा उपचार हेतु ₹ 50 हजार मात्र की आर्थिक सहायता विवेकाधीन कोष से दी जायेगी	31 May, 11	पिथौरागढ़

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा/313–29–06–2013–000 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।